खण्ड-210, अंक-3
सोमवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(29 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़, लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जरग़ाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबक्ष, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाडय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ फरवरी, १९६०

तारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में सहकारी बीज गोदाम तथा साधन सहकारी समितियां

*१--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने सहकारी बीज गोदाम हैं और किन-किन स्थानों पर तथा उनके नाम क्या हैं ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--३६।

इनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५५ पर)

*२--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितनी साधन सहकारी समितियां बन गई हैं और कितनी बनाने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इस वर्ष २७१ (दो सौ इकहत्तर) बन गई हैं। अगले वर्ष का लक्ष्य अभी निश्चित नहीं है।

*३--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सहकारी बैंक की शाखें गोंडा जिले की प्रत्येक तहसील में खुलने जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी नहीं। हर तहसील में शाखा खोलने का व्यय सहकारी बैंक नहीं ले सकता।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक अदालती पंचायत में भी सहकारी बीज गोदाम खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--वहां की आवश्यकता अगर आयेगी तो उस आवश्यकता को देखकर सरकार उस पर विचार कर सकती है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो साधन सहकारी समितियां बनी हैं उनमें किसानों को क्या क्या सुविधा दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--दो प्रकार के कर्जे बांटे जायेंगे, अल्पकालीन और मध्य-कालीन ऋण। वे उनकी पैदावार की बिक्री का प्रबन्ध करेंगी। उनके जरिये उन्नतिशील बीज, उन्नतिशील औजार और खाद वगैरा तकसीम किया जायगा।

कृषि सूचना ब्यूरो के लिए मुद्रण मशीन

*४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश कृषि सूचना ब्यूरो के लिये बड़े आकार की मुद्रण मशीन के क्रय करने का प्रश्न वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां।

*५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मशीन की लागत क्या होगी और उसके रख-रखाव पर प्रति वर्ष क्या व्यय होगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--उक्त मशीन की लागत ८०,००० रुपये होगी और इसके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष २,२२० रुपये व्यय होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी मुद्रण मशीन की आवश्यकता की मुख्य मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेंगे जिसके कारण अब मशीन खरीदने की जरूरत हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--प्रदेश का जो कृषि विभाग है उसमें पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए जो रबी और खरीफ आन्दोलन अपने प्रदेश में पैदावार को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है, उसकी पब्लिसिटी के हेतु तथा ऐग्रीकल्चर एटलस भी प्रदेश में बनाने का निश्चय किया गया है तो उसके मुद्रण के लिये आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार की बड़ी मशीन अपने ही खर्चे से मंगाई जाय जिससे यह सब काम समय पर और इकानामिकली (किफायत से) हो सके।

मैनपुरी जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला देने के लिये प्रार्थना-पत्र

*६--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५९ में ईंटों के भट्ठे लगाने के लिये सरकार से कोयला प्राप्त करने के लिये कुल कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश और सप्लाई आफिसर को दी गई थीं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--६०।

*७--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--उपर्युक्त दरख्वास्तों में से कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास कोयला देने के लिये जिले की सिफारिश के साथ भेजी गई ह और कितनी वहीं रोक ली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इनमें से १४ प्रार्थियों के नाम जिले की सिफारिश के साथ सरकार के पास भेजे गये और बाकी ४६ नाम जिला अंतरिम परिषद् ने खारिज कर दिये।

*८--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--जो दरख्वास्तें रोक ली गयी हैं, उनमें सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से कितनी आई थीं और जो दरख्वास्तें भेजी गई हैं, उनमें सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से आई हुई कितनी थीं और व्यक्तिगत लोगों की कितनी थीं और कुल कितनी मंजूर की गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा खारिज किये हुए प्रार्थनापत्रों में २ प्रार्थनापत्र सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से थे। जो प्रार्थनापत्र यहां भेजे गये थे वे सब के सब व्यक्तिगत लोगों की ओर से ही थे। जिले में भट्ठों की आवश्यकता तथा कोयले की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने केवल ८ ही नये ईंटों के भट्ठों की स्वीकृति दी।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो १४ नाम व्यक्तिगत लोगों के भेजे गये कि वे अपना निजी फायदा उठायेंगे और जो सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से स्कूल या पंचायत वगैरह की दरख्वास्तें थीं उनको आपके यहां नहीं भेजा गया तो क्या जिला अन्तरिम परिषद् से पूछने की कृपा की जायगी कि क्या कारण था जिसकी वजह से उनका नाम नहीं भेजा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो उनके अधिकार की बात है। उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कोयला जो दिया जाता है उसका कोई कोटा मुकर्रर है कि एक जिले को कितना मिलना चाहिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। हर जिले का अलग अलग कोटा मुकर्रर है।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी परमिट दिये गये जिनका नाम जिला अंतरिम परिषद् ने सरकार को रेकमेंड करके नहीं भेजा था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---नहीं, ऐसा कोई नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले को जो कोटा उन्होंने दिया है उसको निर्धारित करने का कोई आधार उन्होंने रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, आवश्यकता और वहां की आबादी को देखते हुए मिलता है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिला स्तर पर इन संस्थाओं को यह आदेश दिये जायं कि जो दरख्वास्तें आयें उन में सार्वजनिक संस्थाओं को तरजीह दी जाय व्यक्तिगत दरख्वास्तों पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह आदेश तो पहले से हैं। टाउन एरिया ऐसी संस्था है कि उनको यह काम उचित नहीं जंचता। कोआपरेटिव विभाग को तो विशेष ध्यान दिया ही करते हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार मेरी इस सूचना को मान कर कि वह दोनों संस्थायें टाउन एरिया में नहीं थीं, सरकार जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आप लिख कर दें तो जरूर जांच करेंगे क्योंकि मेरे पास तो टाउन एरिया का नाम भी फारिया लिखा है।

*९-११---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में गैंजेज तथा महादेव फ्लावर मिल का निरीक्षण

*१२---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १९ सितम्बर, १९५९ को राज्य के खाद्य मंत्री ने कानपुर की आटा मिलों का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आटा पीसने का कार्य होते समय जिन सरकारी अधिकारियों का मिल में उपस्थित होना आवश्यक है वे नहीं मौजूद थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह निरीक्षण १९ सितम्बर को नहीं बल्कि १८ सितम्बर को किया गया था।

*१३---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खाद्य मंत्री ने किन-किन मिलों का निरीक्षण किया था तथा कौन-कौन से अधिकारी अनुपस्थित पाये गये ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गैंजेज फ्लावर मिल और श्रीराम, महादेव फ्लावर मिल का निरीक्षण किया गया था। श्रीराम, महादेव फ्लावर मिल पर सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर तथा कामदार अनुपस्थित थे। सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर तो दूसरे स्थान पर ड्यूटी पर थे। कामदार की नौकरी समाप्त कर दी गई।

*१४---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १९ सितम्बर को गोरखपुर के अतिरिक्त जिलाधीश से गोरखपुर गल्ला दुकानों पर आटे के बजाय गेंहू दिये जाने की मांग सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, पर इस मांग को उस समय स्वीकार करना सम्भव नहीं था । पर अब पूर्वी जिलों में आटे की सप्लाई कम करके उसकी जगह गेहूं दिया जा रहा है ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि आटा देने का निर्णय जो किया गया था वह मिलों को बारोजगार बनाने के लिये किया गया था तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह निर्णय किन परिस्थितियों में करना पड़ा और क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से आटा ही मिलों से लेने का निर्णय किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी हम ने उस आटे को कबाल टाउन्स में थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया है और जो अपना गेहूथा वह उधर दे दिया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह श्रीराम और गंजेज फ्लावर मिल्स, जिनका मुआयना किया गया था उनके आटों में क्या कोई नुक्स पाया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हां, एक मिल में जरा आटा खराब जा रहा था, उड़ रहा था, तो उसको मरम्मत करने को कहा गया था कि उसको ठीक करें ताकि उस चीज का नुकसान न हो।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन के पास इस प्रकार की भी शिकायतें आयी हैं कि यह मिलें आटे में मिट्टी मिला दिया करती हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी शिकायतें सुन कर ही मैं देखने गया था कि कितना सत्य है उन में।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि एक मिल में कुछ आटा खराब पाया गया, तो क्या वे कृपा कर इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या खराबी पायी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने यह नहीं कहा कि आटे में खराबी पायी गयी थी बल्कि यह कहा था कि वहां आटा उड़ रहा था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अभी प्रश्न यह हुआ था कि आटे में क्या मिट्टी मिल गयी थी, इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इन्हीं सब बातों को सुन कर मैं गया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि गये थे तो क्या शिकायत पाई ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका उत्तर अभी माननीय मंत्री जी ने माननीय अवस्थी जी के प्रश्न के उत्तर में बता दिया है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे गये थे तो क्या उन्होंने उस आटे को चख कर देखा था या किस प्रकार देखा था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हाथ में लेकर भी देखा था और चख कर भी देखा था।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर जो सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर और कामदार अनुपस्थित थे और वहां उनकी जगह एक दूसरा व्यक्ति भेजा गया, तो जो अनुपस्थित थे उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वहां पर एक आदमी भेजा गया था। जो अनुपस्थित था उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बाद को मुझे तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि वह ड्यूटी पर दूसरी जगह काम से भेजा गया था। इसलिये उसको फिर री-इन्स्टेट कर दिया गया।

श्री मदन पांडेय---इस बात को देखते हुए कि वहां पर कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, क्या माननीय मंत्री जी ने उसके बाद कोई ऐसा आदेश निकाला कि जिससे लोग भविष्य में अनुपस्थित न रहें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उनकी ड्यूटी तो बदलती रहती है। वैसे इस बात का आदेश है कि वहां पर बराबर एक दो आदमी रहें जिससे कि मिल वाले आटे में किसी प्रकार की मिलावट न कर पायें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जो गैन्जेज फ्लावर मिल का आटा उन्होंने देखा तो उसमें सड़े हुये गेहूं पीसे जाने की बात भी साबित हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, मैंने स्टाक में जितना आटा था वहां की हर एक बोरी को एटरंडम देखा और कहीं कोई खराबी नहीं पायी।

प्रतापगढ़ जिले की सहकारी समितियों में गबन

*१५---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रतापगढ़ के जिला नियोजन अधिकारी ने अभी हाल ही में पुलिस में इस आशय की रिपोर्ट की है कि वहां के कोआपरेटिव विभाग के अन्तर्गत लगभग चौरासी हजार रुपयों का गबन है ?

*१६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गबन कितने समय के दर्मियान में हुआ और उक्त समय का हिसाब आडिट हुआ था या नहीं तथा इस सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी नहीं, किन्तु उस जिले की सोसाइटियों में ८३,९०५ रुपये का गबन १९४७-४८ और १९५८-५९ के बीच में हुआ है। आडिट के आधार पर जो व्यक्ति दोषी पाये गये उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई और की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त गबन कितनी सोसाइटियों में हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---संख्या तो मैं गिन कर बता सकूंगा। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७-४८ में कितने रुपये का गबन हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---७५८ रुपये का।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गबन के संबंध में कितनी और किस-किस की गिरफ्तारी हुई और कितनों पर मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---४८ आदमी इसमें पकड़े गये । २६ आदमी पुलिस के सुपुर्द किये गये जिनमें २३ का पुलिस चालान कर चुकी है, दो पुलिस के विचाराधीन हैं, १ छोड़ दिया गया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एक लाख रुपये के लगभग गबन हुआ है उनमें गबन करने वाले किन-किन पदों पर नियुक्त थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---उनमें १२ सुपरवाइजर थे, २ कुर्क अमीन थे और ११ सेल्समैन तथा एकाउन्टेन्ट थे । इनमें से २१ बरखास्त हो गये हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह सन् १९४७-४८ का गबन है इस गबन का पता सरकार को कब चला ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इसका पता जब सन् १९४७-४८ की आडिट हुई तब चला । उसी के आधार पर पता चलता है और उसी समय सन् ५० में यह मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गबन का पता कब लगा और किसके द्वारा लगा ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो बता दिया उन्होंने ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब १९५० में अदालत के सुपुर्द मामले कर दिये गये तो अदालत में क्या कार्यवाही हुई और क्या नतीजा निकला ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मैं अभी बता ही चुका हूं कि २६ मामले पुलिस के सुपुर्द कर दिये गये जिनमें से २३ का चालान पुलिस कर चुकी थी और २ विचाराधीन हैं । रहा अदालत का, उसने २-३ आदमियों को बरी कर दिया है और ५ आदमियों को मुलजिम ठहराया है ।

सलेमपुर तहसील में साधन सहकारी समितियां खोलने की प्रार्थना

*१७---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में नवम्बर, १९५९ में कितनी साधन सहकारी समितियां प्रति तहसील में खोली गई हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

१---देवरिया तहसील	..	३०५
२---पडरौना तहसील	..	१३४
३---हाटा तहसील	..	१११

*१८---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें नवम्बर, १९५९ में देवरिया के एक विधायक द्वारा इस आशय का पत्र मिला है कि सलेमपुर तहसील (देवरिया) में साधन सहकारी समितियां क्यों नहीं खोली गयीं ? यदि हां, तो उन्होंने उस सम्बन्ध में कौनसी कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---उन्हें पत्र द्वारा स्थिति से अवगत करा दिया गया था ।

नोट :---तारांकित प्रश्न १७-१८ श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उस पत्र में माननीय सदस्य ने क्या बातें लिखी हैं, मंत्री जी संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---माननीय उग्रसेन जी सलेमपुर तहसील के क्षेत्र में साधन सहकारी समितियां खुलवाना चाहते थे, लेकिन ये समितियां उन्हीं क्षेत्रों में खोली जाती हैं जहां कि विक्रय समितियों का संगठन हो अथवा किया जा सकता हो । जहां पर वह चाहते थे वहां उस समय यह संभव नहीं था । अगले वर्ष विचार होगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उस समय संभव नहीं था तो क्या अब संभव हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष विचार करेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि माननीय उग्रसेन जी ने जो पत्र लिखा था उसके उत्तर में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि अगले वर्ष में साधन सहकारी समितियां खोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उनको जो उत्तर दिया गया है उसमें यह नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी है, यही उत्तर गौतम जी ने उनको दिया है ।

साधन सहकारी समितियों की स्थापना

*१९---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य में कितनी सेवा सहकारी समितियों का निर्माण हो चुका है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---१-१२-१९५९ तक १०, २१९ (दस हजार दो सौ उन्नीस) साधन सहकारी समितियों का निर्माण हो चुका है ।

*२०---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सेवा-सहकारी समितियों के सफलता पूर्वक संचालन हेतु सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां । साधन समिति योजना का स्परूप निबंधक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश की दो †पुस्तिकाओं में दी हुई है :---

(१) साधन सहकारी समितियों की मार्गदर्शिका ।

(२) उप-नियमावली साधन सहकारी समिति ।

इनकी प्रतियां संलग्न हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश में कुल कितनी साधन सहकारी समितियों की स्थापना हो जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अगले वित्तीय वर्ष के लिए ५,००० साधन सहकारी समितियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और फिर बजट को देख कर अगले में बताया जा सकता है ।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो साधन सहकारी समितियां बनायी गयी हैं ये पहले वाली जो थीं उनको ही बदल दिया गया है या नये तौर से बनायी गयी हैं ?

---

†पुस्तिकायें छापी नहीं गयी हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जो १०,२१९ साधन सहकारी समितियां संगठित हुई हैं उनमें से ३,००० नयी हैं और ७,२१९ के करीब पुरानी हैं। जो नयी हैं उनमें ४० फीसदी परिवारों के व्यक्ति लगे हैं, जो पुरानी हैं उनमें ६० फीसदी।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि साधन सहकारी समितियों की संख्या बहुत जोरों से बढ़ रही है और रुपये का आदान प्रदान करने में सहकारी समितियों के सभापतियों को बैंक तक जाना पड़ता है तो बैंक की शाखाएं भी अन्य स्थानों पर सरकार खोलने का विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---बैंक की शाखा खोलने का बैंक के संचालक मंडल को अधिकार है। अगर वह लाभप्रद हो सकती है तो बैंक की शाखाएं उन्हें खोलने का अधिकार है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ७,००० पुरानी समितियों को परिवर्तित किया गया है, उन समितियों ने प्रस्ताव अपने यहां पास करके भेजा था या सरकार ने अपनी तबीयत से कर दिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सहकारिता लोगों की इच्छा के ऊपर ही आधारित है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है।

श्री रूमसिंह---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो साधन सहकारी समितियाँ बनायी गयी हैं उनमें एक मंत्री बनाया गया है जिसको कुछ तनख्वाह भी दी जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मंत्री तो नहीं, एकाउंटेंट उसको कहते हैं। इसमें भारत सरकार से शुरू के साल में ३०० रुपया एकांशिक, उनका जो वेतन होगा, उसके लिए सहायता मिलेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति की "मार्ग दर्शिका" नामक जो पुस्तिका छपी है उसमें सरकार ने रूरल कमीशन आन एग्रीकल्चर और आल इंडिया क्रेडिट सर्वे की रिपोर्टों के आधार पर यह मानकर कि भविष्य में जब कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियों की स्थापना होगी तभी पैदावार बढ़ सकेगी, क्या सरकार ने कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियां बनाने का कोई लक्ष्य स्थापित किया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए १०० ज्वांइट फार्मिंग सोसाइटीज का लक्ष्य था, यानी २० प्रतिवर्ष, आज उस लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ चुके हैं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने उत्तर में बताया कि यह एकाउन्टेंट हैं तो क्या वह एकाउण्टेन्ट पार्ट-टाइम रखे जा रहेहैं या पूरे समय के लिये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---पार्ट-टाइम।

श्री चन्द्रजीत यादव---मार्ग-दर्शिका पुस्तक में लिखा है कि जो साधन सहकारी समितियां होंगी या हर गांव में जो सहकारी समिति होगी उससे सम्बन्धित एक मार्केटिंग सोसायटी भी होगी, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि अबतक कुल कितनी मार्केटिंग सोसायटियां प्रदेश में बन चुकी हैं और कुल कितनी स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--१४८ बन चुकी हैं और अगले वित्तीय वर्ष में १७८ और बनेंगी ।

*२१--श्री उग्रसेन--[११ फरवरी, १९६० को प्रश्न ५९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है]

खाद्यान्नों का स्टाक

*२२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में ३-८-५९ के तारांकित प्रश्न १९ के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के २५ फरवरी, सन् १९५९ के दिन वितरण के हेतु दिये जाने के पश्चात् २६ फरवरी, सन् १९५९ के प्रातःकाल किन-किन खाद्यान्नों का (यह खाद्यान्न चाहे भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा व्यापारियों से अध्यासित किये गये हों) कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां. स्टाक था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--२६ फरवरी, सन् १९५९ को प्रातःकाल जिन-जिन केन्द्रों पर सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों का जो स्टाक था उसकी †सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि ३-८-५९ को प्रश्न संख्या १९ के लिखित उत्तर में सरकार की तरफ से बताया गया था कि केन्द्र से राज्य सरकार को १,६३, १८, २७९ मन खाद्यान्न मिला, राज्य सरकार द्वारा चावल की खरीद १३, ३०, ९१६ मन हुई, राज्य सरकार द्वारा मिल वालों तथा व्यापारियों से जब्त किया हुआ २,४३,६४१ मन, इस प्रकार कुल खाद्यान्न था १,७८,९२,८३६ मन और उस तारीख तक वितरण हुआ था १, ५२, ४२, २१७ मन . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आपने तो बहस शुरू कर दी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, यदि मैं उसको न कहता तो साफ नहीं होता । और आज स्टाक में २६, ५०, ६१९ मन दिखलाया गया है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप प्रश्न पूछिये ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्टाक में इतना खाद्यान्न बढ़ कैसे गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अगर नोटिस दी जाय तो मैं हिसाब लगाकर बता सकूंगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--१४, ९३, २४० मन खाद्यान्न की मात्रा जो बढ़ गई है उसके कारण क्या सरकार मेरे प्रश्न को नोटिस मानकर, बताने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--इसके लिये तो आप नया नोटिस दीजिये ।

सेंट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ में सुअरों का पाला जाना

*२३--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ में सुअरों के अलावा और जानवर क्यों नहीं पाले जाते हैं ?

---

†सूची छापी नहीं गई !

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ एक व्यवसायिक संस्था है और वहां केवल वे ही धन्धे लिये गये हैं जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ समझे जाते हैं। अनुभव द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से केवल सुअर पालन का ही कार्य इस फार्म पर लाभदायक हो सकता है।

श्री राम प्रसाद देशमुख---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस डेयरी फार्म में केवल सुअर ही पाले जाते हैं इसलिये सेन्ट्रल डेयरी फार्म के नाम से जो मक्खन बिकता है वह क्या सुअर का होता है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जैसा कि उसके नाम से ही विदित है, सेन्ट्रल डेयरी फार्म सुअर पालने के अलावा कुछ दूध खरीदकर उससे क्रीम और घी वगैरह भी बनाता है।

***२४---श्री मोतीलाल अवस्थी**---[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

ललितपुर में मुन्सिफ को अलाटेड मकान के विरुद्ध रिट

***२५---श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर (झांसी) में सरकार व मकान मालिक के बीच उस मकान के सम्बन्ध में जिसमें कि मुन्सिफ रहते हैं झगड़ा चल रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मकान मालिक ने एक मुन्सिफ के हक में हुये एलाटमेंट आर्डर के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट दायर की है जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताएगी कि कब हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है और कब तक निर्णय होने की आशा है?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो हाईकोर्ट से संबंधित है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जब मकान मालिक ने एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्राइमा फेसी केस होते हुए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की तो उससे पहले वहां के सरकारी अधिकारियों से क्या यह निवेदन नहीं किया था कि यह मकान खाली करा दिया जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह कहते हैं कि इन्होंने किया था। रेग्युलर नहीं था।

श्री राजनारायण---जब मकान मालिक ने, वहां जो मकान एलाट करते हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बताया कि इनका नाजायज कब्जा है .....

श्री उपाध्यक्ष---(श्री जगमोहनसिंह नेगी से) उनका मतलब है कि ऐसी कोई शिकायत अधिकारियों से की थी और उस पर कार्यवाही हुई या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इवैक्युई प्रापर्टी थी और इन्होंने खरीदी थी। एक बार तो जबर्दस्ती कब्जा भी हो गया। उसके बाद इनको हटाया गया फिर इनके पास रहा, बार-बार चलता रहा। तो इससे क्या सम्बन्ध इसका?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह उत्तर हमारी समझ में तो आया नहीं, सम्भव है आप की समझ में आ गया हो।

श्री उपाध्यक्ष---हम आप से समझ लेंगे (हंसी)।

नोट---प्रश्न २५ श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछा।

गन्ना यूनियनों का चुनाव न हो सकना

*२६--श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने सी० डी० आई० फैक्टरी क्वार्टर्स में रह रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--२९ सी० डी० आई० फैक्ट्री क्वार्टर्स में रह रहे हैं।

*२७--श्री जगवीरसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की किन-किन गन्ना यूनियनों का १९५८-५९ के सीजन का चुनाव नहीं हुआ और क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--प्रदेश की जिन गन्ना युनियनों का वर्ष १९५८-५९ का चुनाव नहीं हुआ उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं। यूनियनों के चुनाव न होने के कारण विशेष कर सम्बन्धित गन्ना यूनियनों के सन् १९५८-५९ के वार्षिक अधिवेशनों का निश्चित समय पर न हो सकना है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५६ पर)

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि क्या यह नितान्त आवश्यक है कि वार्षिक सम्मेलन नहीं हो तो चुनाव नहीं कराया जायगा? जहां वार्षिक सम्मेलन नहीं हो पाया वहां क्या प्रबन्ध किया गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा-- गन्ना आयुक्त की ओर से निश्चित समय के अन्दर चुनाव कराने के आदेश दे दिये गये हैं और बैलेंस शीट के लिये भी।

श्री जगवीरसिंह--क्या यह सही है कि बुलन्दशहर गन्ना यूनियन का चुनाव २ साल तक नहीं हुआ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां, माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी को मालूम है कि कई साल तक चुनाव नहीं हो पाते हैं और मंत्री जी हर वर्ष निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--बोर्ड आफ डायरेक्टर्स स्वयं इस बात की कोशिश करतेकि हैं वार्षिक सम्मेलन न बुलाया जाय। बाज दफ़ा वे अनिश्चित समय के लिये उनकी तारीखों को टाल देते हैं और बाज दफ़ा बैलेंस शीट भी तैयार नहीं होती है।

श्री शिवप्रसाद नागर--जब प्रदेश भर में सभी गन्ना सोसाइटीज के अध्यक्ष जिलाधीश होतेहैं तो सरकार उनको क्यों नहीं आदेश देती है कि समय से जलसे कराये जावें?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सभी गन्ना सोसाइटीज के अध्यक्ष जिलाधीश नहीं होते, गैर-सरकारी लोग भी होते हैं।

श्री मदन पांडेय--जिन लोगों के कारण बैलेंस शीट तैयार नहीं होती है क्या सरकार उनक विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देने जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--शिकायत आने पर कार्यवाही] अवश्य होगी।

श्री जगवीरसिंह--क्या मंत्री जी के पास शिकायत आई है कि बुलन्दशहर में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स जानबूझ कर चुनाव को टालता है?

श्री उपाध्यक्ष--इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---बुलन्दशहर के यूनियन के सामने कौन-सी कठिनाई थी जिससे २ साल तक चुनाव नहीं हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---वहां चुनाव हो चुके हैं। कठिनाई यह थी कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स वार्षिक सम्मेलन की तिथि लगाने में देर कर रहा था।

जौनपुर जिले में साफ्ट कोक की दूकानों की कमी

*२८---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में मछली शहर कस्बे में तथा शाहगंज कस्बे में साफ्ट कोक (Coal No. 2) देने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में साफ्ट कोक मेसर्स अमीर अहमद बशीर अहमद कोल डिपो होल्डर द्वारा जनता को प्राप्त होता है और मछलीशहर कस्बा के निवासियों को जौनपुर से ही साफ्ट कोक देने की व्यवस्था है।

श्री माताप्रसाद---चूंकि मछली शहर जौनपुर से २० मील है, क्या मंत्री जी यह सोचकर कि मछलीशहर के लोग उस दूकान से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं मछलीशहर में ही दूकान खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---एकाध दूकान और बढ़ा देंगे, लेकिन जगह जिले के स्तर पर ही तय होती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में क्या सरकार कोयला देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---तीन तहसीलों में कोल डिपो नहीं हैं। एक साथ तो सब को देना कठिन है मगर जहां बढ़ाया जायगा वह जिले के स्तर पर ही तय होगा, जैसा मैंने पहले कहा है।

वेयर हाउस कारपोरेशन में दो नियुक्तियां

*२९---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेयर हाउस कारपोरेशन ऐक्ट, १९५९ में वर्णित कार्य के संचालन के लिये सरकार अथवा उक्त कारपोरेशन ने कौन-कौन ऐसे अधिकारी नियुक्त किये हैं जिनका वेतन २०० रुपये से अधिक है ? उनके नाम व पते तथा योग्यतायें क्या-क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---वेयर हाउस कारपोरेशन में २०० रुपये मासिक वेतन से अधिक पाने वाले केवल दो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उनके नाम व पते तथा योग्यतायें निम्नांकित हैं :---

(१) मैनेजिंग डाइरेक्टर (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ) श्री मणिशंकर मिश्र, बी० काम०।

(२) सेक्रेटरी तथा चीफ इनवेस्टीगेटर, श्री खजान सिंह, एम० काम०।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इनके पते क्या हैं और नियुक्त करने वाले कौन से अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी यह बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---श्री मणिशंकर मिश्र, परमानेंट एडीशनल रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, और सेक्रेटरी श्री खजानसिंह, यह काशी नरेश डिग्री कालेज में थे इससे पहले। वे अब ३२५ रुपये पर सेक्रेटरी और इनवेस्टीगेटर नियुक्त किये गये हैं। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने चेयरमैन को अधिकार दे दिया था कि वह अपना सेक्रेटरी नियुक्त कर सकते हैं। श्री मणिशंकर मिश्र को स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के मशिवरे से सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की स्वीकृति मंगा कर उसे स्वीकार किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि इनमें से कोई सज्जन मंत्री जी के रिश्तेदार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष-- क्या मंत्री के किसी रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिये ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट-- यह वाक़या है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा-- मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या उक्त पदों के लिये कोई विज्ञापन किया गया था ? यदि हां, तो मिनिमम क्वालीफ़िकेशन्स क्या रखी गई थीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--नोटिस चाहिये।

सहकारी संघ, फर्रुखाबाद में श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी की नामजदगी

*३०--श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ, फर्रुखाबाद के अवैतनिक मंत्री पद पर श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी को नामजद किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके नाम की सिफारिश जिले से आयी थी और क्या संघ का बहुमत उनके विरुद्ध है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)-- जी हां। सिफारिश जिले से आई थी, संघ का बहुमत उन के विरुद्ध मालूम नहीं पड़ता।

इटावा से वाराणसी बीज भंडार को मटर लाने का किराया

*३१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी-- क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ के सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में वाराणसी के सरकारी बीज भंडारों में बोने के हेतु कितने मन मटर प्रत्येक माह में ट्रकों द्वारा इटावा से आया और आये हुए मटर का ट्रक किराया प्रतिमन किस दर से अदा किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सन् १९५९ के सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर माह में इटावा से वाराणसी को मटर बिलकुल नहीं भेजी गई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी-- १९५९ के किसी महीने में मटर इटावा से वाराणसी आया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां, आया है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी-- उसका क्या किराया अदा किया गया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इटावा से वाराणसी जून में २०० मन गया, सरकारी रेट था ३।।।), लेकिन दिया गया १.३० रुपये। अक्तूबर में आगरा से वाराणसी २,५०० मन गया, गवर्नमेंट एप्रूव्ड रेट था ४.०३ रुपये, लेकिन दिया गया २.२१ रुपये। अक्तूबर में मथुरा से वाराणसी ८०० मन भेजा गया था। गवर्नमेंट एप्रूव्ड रेट था ४·५९ रुपये, लेकिन दिया गया २.७१ रुपये।

श्री राजनारायण--यह जो एप्रूव्ड रेट से कम किराया दिया गया उसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा -- टेंडर काल किये गये होंगे, उसी के आधार पर कम दिया होगा।

कमियार फार्म की भूमि

*३२--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा और बाराबंकी जिले में कमियार फार्म था ? यदि हां, तो कितने एकड़ों में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा-- जी हां। इसका क्षेत्रफल २,४०२ एकड़ है।

*३३--श्री गंगाप्रसाद--क्या यह सत्य है कि यह फार्म सरकार ने समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त जमीन खाली पड़ी है या किसी को दी गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--चूंकि उक्त फार्म पर लगातार बहुत हानि हो रही थी वह बन्द कर दिया गया है। उसकी कुछ भूमि बटाई पर दी गई है। इस फार्म के भविष्य के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि कितने वर्षों से इस फार्म पर हानि होती आयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जब से चालू किया गया उसी समय से नुकसान हुआ है। १९५५ में सरकार ने यह निश्चय किया कि इसको बन्द कर दिया जाय।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म की भूमि भूमिहीनों को दी गयी या अन्य किसी को ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--किसको दी गयी, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि फार्म से सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ और अब सरकार इस जमीन को किस ढंग से रखना चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष--जमीन बटाई पर दी हुई है और भविष्य में उसका क्या होगा, यह प्रश्न विचाराधीन है, ऐसा सरकार ने जवाब दिया। नुकसान कितना हुआ इसको माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

सीतापुर में कण्ट्रोल्ड फूड ग्रेन

*३४--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--३१ अगस्त, १९५९ के प्रश्न, ६, ७ और ८ के उत्तरों के क्रम में क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "फूड ग्रेन डीलर लाइसेंसिंग आर्डर, १९५९" के आधीन सीतापुर शहर में जिन गल्ले के विक्रेताओं (लाइसेन्सी) की संख्या ८५ बतलाई गई है, इनके पास १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक और १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९५९ तक प्रत्येक माह में कण्ट्रोल्ड फूड ग्रेन कितना प्रत्येक माह की आखिरी तारीख में स्टाक में था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सीतापुर जिले में गल्ले के विक्रेताओं (लाइसेन्सीज) के पास, प्रत्येक माह की आखिरी तारीख में कन्ट्रोल्ड फूड ग्रेन इस प्रकार था :--

माह, साल	गेहूं	चावल
	मन	मन
१ जनवरी, १९५८	७६	७३
२ फरवरी, १९५८	२	३७

माह साल				गेहूं	चावल
३ मार्च, १९५८	..	..	..	१२	३२०
४ अप्रैल, १९५८	..	..	..	९२७	४७७
५ मई, १९५८	..	..	..	१,६७३	५६१
६ जून, १९५८	..	..	..	१,०५७	१,२६१
७ जुलाई, १९५८	..	..	..	६६६	३५०
८ अगस्त, १९५८	..	..	..	९५	३१
९ सितम्बर, १९५८	..	..	..	६	२
१० अक्तूबर, १९५८	..	..	..	१	३०
११ नवम्बर, १९५८	..	..	..	७१	२०
१२ दिसम्बर, १९५८	..	..	..	७	६५१
१३ जनवरी, १९५९	..	..	..	३७९	८४६
१४ फरवरी, १९५९	..	..	..	..	१,४३३
१५ मार्च, १९५९	..	..	..	३	१,७२६

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ९ मार्च, १९५९ को माननीय सदन में सीतापुर के माननीय सदस्य डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा ने मेरा नाम लेते हुए कहा था कि जिस जगह मैं सीतापुर में जा कर बैठता हूं ४० हजार मन गल्ला पड़ा हुआ है जब कि इसमें कुल टोटल १२,७२० मन का है ? इसमें कौन-सी बात सत्य है ?

श्री उपाध्यक्ष---नियमावली के मुताबिक एक मेम्बर दूसरे मेम्बर से सवाल पूछ सकता है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं।

कृषि फार्मों का उत्पादन

*३५---**श्री इन्दुभूषण गुप्त**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश का कोई भी ऐसा सरकारी फार्म है जिससे लाभ होता है ? यदि हां, तो उसका प्रति एकड़ वार्षिक निखालिस लाभ (net profit) क्या है ?

*३६---क्या सरकार प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि फार्मों के पिछले तीन वर्षों की फसलों के उत्पादन के आंकड़े अलग-अलग देने की कृपा करेगी ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, यही सवाल २८-१२-५९ को स्थगित हो चुके हैं। इसके पूर्व भी नोटिस दे चुका हूं। इस प्रकार ये दो साल तक स्थगित हो चुके हैं। सरकार आंकड़ों को छिपाना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुसार जब सूचना एकत्र करने का उत्तर प्राप्त होता है तो पन्द्रहवें दिन प्रश्न फिर से रख दिया जाता है। उस वक्त संभवतः सूचना आ सकेगी।

*३७---३८---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आंजमगढ़)---[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सदर तहसील में कृषि फार्म खोलने के लिये भूमि का क्रय

*३९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले में राजकीय कृषि फार्म खोलने के लिये वित्तीय वर्ष १९५८-५९ एवं १९५९-६० में कुछ भूमि सदर तहसील में खरीदी गई है ? यदि हां, तो किस दर से तथा कितने एकड़ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिला आजमगढ़ की तहसील सदर में राजकीय कृषि फार्म खोलने के लिये सन् १६५८-५६ में ५६.०४० एकड़ भूमि ८०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी गयी थी। सन् १६५६-६० में अभी तक कोई भी भूमि वहां नहीं खरीदी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फार्म को खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा— जिससे उन्नतिशील बीजों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय— क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कृषि फार्म में गत वर्ष कितने एकड़ में रबी के बीज के लिये बुवाई हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*४०-४२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (अनुपस्थित)—[२१ मार्च, १६६० के लिये स्थगित किये गये।]

फुटकर विक्रेता संघ, इटावा का कथित प्रार्थना-पत्र

*४३—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में शक्कर का फुटकर बिक्री का कोटा जिला सहकारी संघ को दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हां।

*४४—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फुटकर विक्रेता संघ, इटावा की ओर से सरकार के पास प्रार्थना-पत्र सन् १६५६ में ऐसे आये हैं कि फुटकर शक्कर की बिक्री का कोटा उन्हें भी दिया जावे ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या विचार किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं।

*४५-४६—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—[२१ मार्च, १६६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में क्षेत्रीय सहकारी समितियां

*४७—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में लार्ज साइज सहकारी सोसाइटीज किन-किन जगहों पर चल रही हैं तथा आगामी वर्षों में किन-किन जगहों पर और खोलने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—गोरखपुर जिले में जिन स्थानों पर लार्ज साइज सोसाइटीज (क्षेत्रीय सहकारी समितियां) संगठित की गई हैं उनके नाम यह हैं :

(१) लक्ष्मीपुर (एकमा),
(२) धानी बाजार,
(३) पुरन्दर पुर,
(४) कम्पोयरगंज (चौमुखा),
(५) आनन्द नगर,
(६) अहितपुर,
(७) शाहाबाद बुजमानगंज,
(८) बहादुरी।

आगामी वर्षों में कहीं भी कोई लार्ज साइज सहकारी समिति (क्षेत्रीय सहकारी समिति) नहीं खोली जायगी।

*४८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि सभी सहकारी सोसाइटियां, लार्ज साइज सोसाइटीज में परिणत कर दी जायें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा— जी नहीं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुय कि इन लार्ज साइज सहकारी सोसाइटियों से जनसेवा काफी हो रही है, वह उसे और जगहों पर खोलने से क्यों इन्कार कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो जाहिर है कि माननीय सदस्य उसके कार्य से सन्तुष्ट हैं और उसके बाद प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है, उस सिलसिले में इतना बतला देना चाहता हूं कि ८, ९ नवम्बर, १९५८ को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें नयी सहकारी नीति के आदेशानुसार प्रत्येक गांव में साधन सहकारी समितियों का संगठन किया जायगा और जब साधन सहकारी समिति हर गांव में हो जायगी तब लार्ज साइज सहकारी सोसाइटी की आवश्यकता नहीं रह जायगी। इसी वजह से ३१ मार्च, १९५९ के बाद प्रादेशिक सरकार ने प्रदेश में लार्ज साइज सहकारी सोसाइटीज का संगठन न करने का निश्चय किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के इस सुझाव को मान कर क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि भविष्य में लार्ज साइज सहकारी समितियां जो बनी हुई हैं उनको छोटी-छोटी सहकारी समितियों में परिवर्तित कर लिया जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—फिलहाल तो सरकार इस कार्य को चालू रख रही है, लेकिन उनका क्या भविष्य होगा, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है।

*४९-५०—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—[२१ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

विकास खण्डों में कृषि फार्म खोलने की योजना

*५१—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड के क्षेत्र में अच्छे प्रकार के बीज के प्रदर्शन तथा उपज के निमित्त २५ एकड़ का फार्म बनाने की कोई सरकारी योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां, विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५७ पर)

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २५ एकड़ के फार्म बनाने की जो योजना ह, उसमें भूमि, किस प्रकार से प्राप्त की जायगी ? सरकार भूमि एक्वायर करेगी या किसानों से कहा जायगा कि व स्वेच्छा से भूमि दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—भूमि एक्वायर ही की जाती है, लेकिन अगर एक्वीजीशन रेट और बाजार रेट में बहुत ज्यादा फर्क हो तो एक फार्म लैन्ड कमेटी बनी हुई है उसके सामने इसको भेज देते हैं, उसकी भी राय इसमें ले ली जाती है।

*५२-५३—श्री मुक्तिनाथराय—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर तथा राज्य के अन्य जिलों में कृषि बीज भंडार

*५४—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में किन-किन स्थानों पर कृषि विभाग के बीज भंडार इस वित्तीय वर्ष में नये खोले गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग का कोई बीज भंडार नहीं खोला गया है।

*५५—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में किन-किन स्थानों पर सहकारी विभाग के बीज भंडार इस वित्तीय वर्ष में नये खुले हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—चालू वित्तीय वर्ष में गोरखपुर जिले में २१ नये सहकारी बीज भंडार खोले गये जिनका तहसील वार विवरण सूची में है—

सूची

तहसील	भंडार
महराजगंज ..	(१) मदनपुरा, (२) खेमपिपरा, (३) बास पार, (४) सतगुरु, (५) लक्ष्मीपार एकडमा।
सदर ..	(१) रिठ्ठाखोर (पाली), (२) पिसरौलिया (कुआवल), (३) डोहरिया बाजार (४) भौवा पार, (५) लहसरी।
फरेन्दा ..	(१) करमहा, (२) बहादुरी बाजार, (३) धानी बाजार,
बांसगांव ..	(१) भांटपार, (२) रामनगर, (३) शाहपुर, (४) हाटा, (५) परसिया, (६) कूरी बाजार, (७) माल्हनपार, (८) आशापार।

*५६—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल कितने कृषि बीज भंडार इस वित्तीय वर्ष में खुले हैं तथा कितने खुलने वाले हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस वित्तीय वर्ष में कुल ३२ बीज भंडार विभिन्न जिलों में खोले गये हैं। उनकी जिलेवार सूची संलग्न है। अब इस वर्ष बीज भंडार नहीं खोले जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५८ पर)

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किन कारणों से कृषि विभाग द्वारा कोई बीज भंडार नहीं खोला गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा— गोरखपुर में ३१ बीज भंडार पिछले साल थे और २१ कोआपरेटिव सीड स्टोर नये खुल चुके थे, इस कारण।

श्री अमरनाथ—सहकारी बीज गोदाम तथा कृषि बीज गोदाम किस आधार पर खोले जाते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये।

डी० सी० एफ०, बस्ती के अन्तर्गत श्री रामसमुझ चौधरी की बर्खास्तगी तथा कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण

*५७—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी०सी०एफ०, बस्ती की आडिट की कोई स्पेशल रिपोर्ट १-१-५७ से ३१-१२-५६ के अन्दर प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री राम समुझ चौधरी, ब्रांच मैनेजर डी० सी० एफ० ब्रांच बस्ती को गबन के अपराध में फेडरेशन की नौकरी से निकाल दिया गया।

*५८—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि १-१-५७ से ३१-१२-५९ की अवधि में बस्ती में कितने जिला सहकारी अधिकारियों का तबादला हुआ और प्रत्येक कितने-कितनी अवधि तक जिले में रहा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस अवधि में चार जिला सहकारी अधिकारियों का तबादला हुआ। प्रत्येक को जिले में रहने की अवधि निम्न प्रकार थी।

नाम	अवधि
१—श्री बी सी० राम	.. अप्रैल १९५६ से २९-८-५७
२—श्री एन०पी० सिंह	.. १२-१०-५७ से १६-१२-५७
३—श्री के०पी०नारायण	.. १७-१२-५७ से १६-८-५८
४—श्री राम कृपाल सिंह	.. १७-८-५८ से १२-१२-५८
श्री एन० पी० सिंह	१३-१२-५८ से अब तक काम कर रहे ह।

*५९—**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन तबादलों का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—तबादले प्रशासकीय कारणों से किये गये।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रशासकीय कारण क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रशासकीय की परिभाषा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह तो अक्सर होते रहते हैं आप और कोई प्रश्न पूछें।

खीरी जिले को लोहे की सरिया का कोटा न मिलना

*६०—**श्री शिव प्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी को डिस्ट्रिक्ट सप्लाई का लोहे की सरिया का कोटा कब से नहीं मिला है और अभी कब तक नहीं मिलेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—खीरी जिले में लोहे की सरिया का आखिरी कोटा नवम्बर, १९५९ में प्राप्त हुआ था और निकट भविष्य में और कोटा प्राप्त होने की आशा है।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आखिरी कोटा नवम्बर, १९५९ में प्राप्त हुआ था वह पिछले कोटे के प्राप्त होने के कितने दिन बाद प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—खीरी जिले में २२-५-५९ को एक कोटा गया और २०-६-५९ को दोबारा गया और फिर ५ और ६ टन का २०-८-५९ को गया और फिर २-११-५९ को गया, इस तरह से ५ टन, ३ टन, १४ टन और ५ टन लोहा गया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी को डिस्ट्रिक्ट सप्लाई का लोहे का कोटा कब से नहीं मिला और कब तक नहीं मिलेगा और क्या यह कोटा वह कोटा है जो केवल जनता के लिये है या और किसी प्रकार का है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—१६ टन तो ब्लाक परमिट का था और ११ टन अगेन्स्ट रगुलर कोटे का था।

कुठौंद ब्लाक में धान की उपज

*६१—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रबी आन्दोलन के फलस्वरूप कुठौंद ब्लाक, जिला जालौन, के कुल कितने रकबे में धान की फसल बोई गई और इस फसल की औसत पैदावार प्रति एकड़ क्या हुई ? यदि औसत पैदावार में कोई कमी हुई, तो उसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—रबी आन्दोलन का सम्बन्ध धान से नहीं है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को मालूम है कि नहर से पानी न मिलने के कारण यह फसल नष्ट हो गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कौनसी फसल नष्ट हो गई, तथा किस प्रश्न से आपका प्रश्न संबंधित है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—धान का खरीफ आन्दोलन से सम्बन्ध है, इसलिये इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रबी में नहीं, खरीफ में जो धान बोया गया था उसकी पैदावार कैसी हुई ? कम हुई, तो क्यों कम हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने अभी कहा कि नोटिस चाहिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पूछा गया है धान की फसल के बारे में, रबी या खरीफ शब्दों में कोई हेर-फेर हो गया तो भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आखिर धान की फसल जो फेल हो गई इसका कारण मंत्री जी को मालूम है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—यदि औसत पैदावार में कोई कमी हुई तो उसका क्या कारण है, इससे आपका मतलब है ?

श्री शिवप्रसाद नागर—जी हां ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस प्रश्न में लिखा था रबी आन्दोलन के फलस्वरूप....

श्री उपाध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि कमी कितनी हुई ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—धान का रबी आन्दोलन नहीं हुआ । लेकिन अगर माननीय सदस्य आंकड़े चाहेंगे तो विकास विभाग से मंगाने पड़ेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मान्यवर, यह रबी और खरीफ का डिस्प्यूट खड़ा हो गया...

श्री उपाध्यक्ष—फिर से प्रश्न सुधार कर पूछ लिया जाय; मैं उसको मंजूर कर लूंगा ।

*६२-६४—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५-६७—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—[३१ मार्च, १९६० के प्रश्न २२-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६८—**श्री इन्दुभूषण गुप्त**—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।)

नोट—तारांकित प्रश्न ६१ राजा वीरेन्द्रशाह ने पूछा ।

दानपुर ब्लाक में भूमि का क्रय

*६९—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में दानपुर ब्लाक में जो ९० एकड़ भमि १९५८-५९ में खरीदी गई उसके लिये जिलाधीश महोदय ने प्रति एकड़ कितने रुपये पर खरीदने के लिये सिफारिश की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिलाधीश बुलन्दशहर ने इस जमीन का मूल्य जब यह सीरदारी थी ४०० रुपये प्रति बीघा अथवा ६४० रुपये प्रति एकड़ आंका था। जब जमीन वास्तव में खरीदी गई उस समय जमीन के मालिक ने भूमिधारी हासिल कर ली थी जिसके कारण इसका मूल्य बढ़ गया था।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह सीरदारी से भूमिधरी कब बनी और वह कब खरीदी गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—खरीदने से पूर्व जबकि शुरू में खरीदने का प्रश्न था और जिलाधीश ने इसके दाम लगाये थे और जब खरीदी इसी बीच में, यह उत्तर मैं दे चुका हूं।

'सूचना की आवश्यकता है' उत्तर पर आपत्ति

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं। मुझे जहां तक याद है, माननीय प्रतापसिंह जी ने प्रश्नों के संबंध में एक बार व्यवस्था उठायी थी कि मंत्रियों के लिये यह कहना क्या उचित है कि सूचना मिलने पर इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्योंकि लोक सभा में भी व्यवस्था हो चुकी है और माननीय अध्यक्ष ने भी उस दिन कहा था कि मंत्रियों को जवाब देने के लिये तैयार होकर आना चाहिये और किसी खास जरूरत पर ही नोटिस मांगना चाहिये। हर बार यह कह देना कि नोटिस चाहिये, यह उचित है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—जो बात आपने कही वह सर्वथा उचित है, लेकिन यहां प्रश्नकर्ता की वजह से ही प्रश्न गलत हो गया। तो उसके लिये वह क्या तैयारी करके आते ?

पुलिस विभाग के वार्षिक कार्य विवरण में आपत्तिजनक वाक्य छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—यह माननीय अवस्थी जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है जो इस प्रकार है "इलाहाबाद व कानपुर में दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हो गईं जबकि एक बड़े पैमाने पर खुले आम गुंडागर्दी हुई तथा पुलिस को शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोली चलानी पड़ी"। यह वार्षिक कार्य विवरण पुलिस विभाग, १९५९ में एक वाक्यांश छपा है।

माननीय अवस्थी जी ने यह प्रश्न उठाया है कि सदन के विशेषाधिकारों की इस प्रकाशन से अवहेलना हुई क्योंकि ये मामले इंक्वायरी कमीशन के सामने हैं। यह जांच कमीशन विधान सभा द्वारा नहीं नियुक्त हुये हैं बल्कि सरकार के प्रशासकीय आदेश द्वारा हुये हैं। अतः इस प्रकाशन से सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। हां, यदि मानहानि का प्रश्न उठता है तो वह जांच कमीशन की मानहानि का हो सकता है। इससे इस प्रश्न को मैं नियमानुकूल घोषित नहीं करता। अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो यथास्थान इस संबंध में कार्यवाही करें।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—सम्मति तो जान ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष---सम्मति की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण---सदन में इसकी चर्चा हो चुकी थी.....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। रूलिंग देने के बाद मैं यह प्रथा नहीं चलाना चाहता कि इस विषय पर वादविवाद शुरू हो जाय। इसलिये मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण---आपकी वर्तमान रूलिंग को रिवाइज करने के लिये पुनः प्रश्न उठाया जा सकता है और अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था नहीं हो सकती। आप मुझसे पुनर्विचार के लिये कह सकते हैं।

श्री राजनारायण---लेकिन मेरा निवेदन यह था कि रूलिंग देने के पूर्व फिर से हम लोगों की राय जान लेनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। जिस समय अध्यक्ष को संतोष नहीं होता है और कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है तो अपने संतोष के लिये वह जानकारी कर लेते हैं। जो विषय स्पष्टतः नियमों में नहीं आते उनके लिये माननीय सदस्यों की राय लेना अध्यक्ष के लिये आवश्यक नहीं है।

प्रश्नों के उत्तर पर मंत्री के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं इनमें किसी जिम्मेदार व्यक्ति के दस्तखत नहीं होते, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---टाइप हो कर आते हैं। इसे देख लिया जायगा।

'नया भारत' में विधेयक का प्रारूप छपने के सम्बन्ध में तीन मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---दूसरा एक प्रश्न विशेषाधिकार का श्री गौरीशंकर राय जी का है। प्रश्न यह है कि---"नया भारत" के ८ फरवरी के अंक के पृष्ठ ७ पर तथा कई अन्य पत्रों में "उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास" शीर्षक में एक लेख छपा। यह विधेयक अब तक सरकारी गजट में नहीं आया और इसके संबंध में सदन को कोई सूचना नहीं है। उनका कहना है कि यह सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई। क्या माननीय गौरीशंकर राय जी प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार अवहेलना हुई ?

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, इसको अगर थोड़ा पढ़ दूं तो सदन को कुछ जानकारी हो जाय। "उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्य पत्र 'नया भारत' के ८ फरवरी के अंक के पृष्ठ ७ पर तथा कई अन्य पत्रों में 'उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास' शीर्षक में एक लेख छपा। इस लेख में 'उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां विधेयक' के प्रारूप का पूर्ण विवरण है। उसमें यह भी लिखा है कि उक्त विधेयक का प्रारूप तैयार है और शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। यह विधेयक अब तक सरकारी गजट में नहीं आया। इसके संबंध में सदन को कोई सूचना नहीं है। किसी भी विधेयक का सदन को जानकारी के पहले ही पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होना इस सदन का अपमान तथा सदन के प्रति शिष्टता के विरुद्ध आचरण है।"

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बतलायें कि किस तरह यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री गौरीशंकर राय—मैं यह बता रहा था कि तीन मंत्रियों के विरुद्ध यह प्रश्न है। माननीय सहकारिता मंत्री, श्री मोहनलाल गौतम, माननीय न्याय मंत्री, श्री हुकुम सिंह जी और माननीय सूचना मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी, से इसका संबंध है। सर्वप्रथम, जिससे आप भी सहमत होंगे, एक नियम है कि कोई भी बिल जब बनता है तो वह सब से पहले हाउस में पेश होता है। ऐसी परम्परा है .....

श्री उपाध्यक्ष—यह परम्परा आप बता रहे हैं या विशेषाधिकार के बारे में कह रहे हैं ?

श्री गौरीशंकर राय—दो बातें मैंने लिखी हैं....।

श्री उपाध्यक्ष—मैं डेफिनिट नियम या पार्लियामेंटरी पद्धतियों का किताबों से कोटेशन चाहता हूं।

श्री गौरी शंकर राय—वही बता रहा हूं। दो बातें मैंने लिखी हैं। एक तो सदन का अवमान है; दूसरे कहा है कि सदन के प्रति अशिष्टता का व्यवहार है। इस संबंध में हमारा नियम ११७ है। श्रीमन्, मैं मोटी-मोटी हेड-लाइन्स ही पढ़े देता हूं। उसमें लिखा है:—

"विधेयकों का पुरःस्थापन तथा प्रकाशन

विधेयकों को पुरःस्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति।"

जब कभी सरकार को किसी विधेयक को सदन में पेश करने से पूर्व गजट में प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है तो उसको अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेनी होती है। बिना उसकी अनुमति के सरकारी गजट में भी प्रकाशन नहीं होता है। इसी तरह का नियम हमारी लोक सभा में भी है। नियम ६४ इस प्रकार है—

"The Speaker may...."

श्री उपाध्यक्ष—हमारी जो नियमावली है वह लोक सभा के करीब-करीब अनुरूप ही बनायी गयी है। इसलिये उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—उसका सारांश यह है कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के किसी भी विधेयक का प्रकाशन इस सदन में आने के पहले नहीं हो सकता। अतः मेरा यह कहना है कि इस सदन की अनुमति ही नहीं बल्कि इसकी जानकारी के भी पहले बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के और बिना गजट में प्रकाशित हुए यह विधेयक प्रकाशित किया गया है, इसलिये यह सदन का अवमान है।

दूसरी बात, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार, उसके पेज ११९ में लिखा है—

"Premature publication of a Committee proceedings...."

श्री उपाध्यक्ष—यह उससे संगत नहीं है। स्पष्ट ही है कि कमेटी के सामने जो प्रोसीडिंग्स हो रही हों वह पब्लिश नहीं होनी चाहिये। विधेयक के बारे में जो हो वह बताइये।

श्री गौरीशंकर राय—वही बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप संगत बात करिये। यह तो मैं समझ गया। कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत होने के पहले प्रकाशित नहीं होना चाहिये, इस संबंध में आपको जो कुछ कहना हो वह कहिये। वह तो कमेटी के सामने होने वाली प्रोसीडिंग्स के बारे में है।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मैं साबित यह करना चाहता था कि कैबिनेट भी सदन की एक कमेटी है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में यह है कि--

"They are the most confidential servants of the King."

तो जो मोस्ट कांफिडेंशिल सर्वेन्ट्स हैं किंग के उनको यह हक नहीं है कि अपनी कैबिनेट के डिसीशन्स को आउट कर दें। एक बात प्रोफेसर लास्की ने कहा है :

"It is the most secret Committe."

इसके अलावा :

"The Cabinet is an integral and living part of the Parliament and cannot be separated from it."

इस समय मेरे पास पुस्तक नहीं है। जेनिस ने लिखा है---

"The Cabinet is not a matter of definition, it is a matter of analogy."

इस तरह कैबिनेट सदन की एक बहुत इम्पारटेंट और सीक्रेट कमेटी है। इस कैबिनेट को हम ऐसा समझते हैं कि यह सदन की एक कमेटी है। इसलिये यह कमेटी का अवमान है और उसके बाद इस सदन का अवमान है।

दूसरी बात जो मैंने कही है कि सदन के प्रति अशिष्टता का व्यवहार है वह यह है कि यहां की और प्रत्येक जगह की परम्परा है....

श्री उपाध्यक्ष---परम्परा का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो नोटिस पढ़ा गया उससे पता चला कि बन्दा भी उसमें मुल्जिम है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मेरी वैधानिक आपत्ति है। मैं आपके द्वारा यह चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है उसको विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में कहें। वह कोई नोटिस नहीं पढ़ा गया है।

श्री उपाध्यक्ष--विशेषाधिकार के नियमों में यह कायदा है कि माननीय सदस्य को नोटिस मिलना चाहिये। वह कहते हैं कि मुझे अभी मालूम हुआ है।

श्री राजनारायण---वह कोई नोटिस नहीं है, जिसको मंत्री जी ने साधारण तौर की नोटिस बतला दिया। माननीय गौरीशंकर राय ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उसको नोटिस कह कर मजाक के रूप में जवाब दे रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं यह अर्ज कर रहा था कि १३ वर्ष तक मंत्रिपद पर रहने के जमाने में आज यह पहला मौका है कि हमारे भाई बलिया से विद्वान आये हैं, उन्होंने कोई ऐसा प्रश्न उठाया। चूंकि न्याय विभाग में यह ड्राफ्ट होती है, लिहाजा न्याय मंत्री भी मुजरिम हैं। काहे के? पब्लिकेशन के। ड्राफ्टिंग के नहीं। ड्राफ्टिंग करना कोई जुर्म नहीं है। नियम यह है कि जो संबंधित विभाग होता है वह सिद्धांत तय करता है, फिर वह ड्राफ्टिंग के लिये भेजते हैं। सेक्रेटरी के लेबिल पर हो कर वह वापस चला आता है। मिनिस्टर तक वह जाता नहीं। अगर आता भी हो तो ड्राफ्ट करना कोई जुर्म नहीं है। सलिये, श्रीमन्, जब तक वह यह साबित न कर दें कि न्याय मंत्री ने बिल का पब्लिकेशन करवाया है तब तक मैं किसी जुर्म का मुजरिम नहीं होता। मान लीजिये कि गौरीशंकर जी की टोपी खो गयी, उन्होंने किसी को देखा नहीं कि कौन ले गया और कह दिया कि दारुलशफा में जितने लोग रहते हैं सब ने चुराया है.....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय न्याय मंत्री सिर्फ कानूनी और वैधानिक पहलू बतायें। मेरिट पर न जायं।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---मैं यह कहता हूं कि जब तक वह यह साबित न कर दें कि हमने छापा या गौतम जी ने छापा या कमलापति जी ने छापा तब तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे सबसे जरूरी चीज यह साबित करनी है---यह भी बर्डन हमारे मित्र पर है--कि जिस फार्म में पूरा बिल छपा, जो बिल की मौजूदा शक्ल है---उसी शक्ल में वह कहीं छपा है। लेकिन अगर किसी सिद्धांत को किसी ने छाप दिया, कहीं खोज लगा कर, तो वह बिल का पब्लिकेशन नहीं है।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, न्याय मंत्री जी के बाद कुछ विशेष तो कहना नहीं है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की नोटिस जो माननीय सदस्य ने दी थी उसकी प्रतिलिपि मुझे भी मिली है। मेरे पास इस विषय की पूरी रिपोर्ट भी नहीं है कि क्या छपा, कहां छपा, कैसे छपा, इसकी कोई जानकारी भी हमारे पास नहीं है। यह भी नहीं जानता, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि किसी बिल को छाप देना यह अवमान है सदन का तो जो पत्र में छपा है वह कोई बिल छपा है या यदि बिल नहीं छपा है तो कोई इस तरह की रिपोर्ट कि एक बिल सरकार सोच रही है ले आने को जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था होगी, इस प्रकार का कोई लेख छापना क्या वह भी उसमें आ जाता है, अवमान है या नहीं, तो इस विषय में जब तक कि थोड़ा समय न मिल जाय तब तक मैं अपनी ओर से इस पर कुछ कह भी क्या सकता हूं ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो इस प्रकार का नोटिस अभी पहुंचा नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, वह माननीय गौतम जी के पास पहुंचा होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जो माननीय न्याय मंत्री जी ने और सूचना मंत्री जी ने बातें कही हैं, उससे ज्यादा जब तक कि मैं नोटिस न देख लूं और यह भी न देख लूं कि जो छपा है वह बिल की शक्ल में छपा है या उसका कोई लिस्ट छपा है, जब तक इन सारी चीजों को न देख लिया जाय तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक मूल प्रश्न आपकी ओर से उठाया गया था। माननीय गौरीशंकर राय जी ने अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया था उसमें कमेटी मीटिंग की किसी कार्यवाही को प्रकाशित कराने से संबंधित बातें थीं। तो आपकी ओर से उनसे पूछा गया कि कैबिनेट क्या कोई कमेटी मीटिंग के रूप में मानी जायगी। मैं आपके सम्मुख संविधान का अनुच्छेद १६६ पढ़ रहा हूं---"सरकारी कार्य का संचालन---वि.सी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायगी.....

श्री उपाध्यक्ष---इसका इससे क्या संबंध है ? जो खबर अखबार में छपी उससे इसका क्या संबंध जुड़ता है ?

श्री राजनारायण---उसी पर तो आ रहा हूं, श्रीमन्। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल हमारे विधान मंडल और लेजिस्लेचर का पार्ट है या नहीं ? अगर राज्यपाल लेजिस्लेचर के पार्ट हैं तो बिना राज्यपाल से आज्ञा लिये हुए सरकारी गजट में अध्यादेश भी नहीं हो सकता, बिल भी नहीं छप सकता। तो यह विधेयक क्यों छापा गया ?

श्री उपाध्यक्ष---कोई विधेयक छपा है ?

श्री राजनारायण---विधेयक नहीं है, पत्रिका में जो छपा है वह यही है कि इस तरह का विधेयक सरकार ला रही है सदन में और हमारी नियमावली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, जो पढ़ा गया, कि माननीय अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बिना किसी समाचारपत्र में इस तरह का प्रकाशन नहीं किया जायगा। तो मैंने जब संविधान को देखा तो अनुच्छेद १६७ में यह दिया है "राज्य कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राज्यपाल को पहुंचाने का, राज्य कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगावें, उसको देने का, तथा किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो, किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का, कर्त्तव्य होगा। ..

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कैबिनेट अगर कोई डिसीशन लेती है, उसकी बैठक हुई, उसमें कोई डिसीशन हुआ तो उसमें कहां रुकावट है इसके लिये....

श्री राजनारायण---मैं वही कह रहा हूं। श्रीमन्, जरा धीरज रखें। इस समय आप जज की कुर्सी पर विराजमान हैं, तो जरा धैर्य रखें। बीच में मुझको टोकेंगे तो क्रम टूट जायगा। मेरा यह कहना है कि राज्यपाल हमारे इस लेजिस्लेचर के अंग हैं क्योंकि यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिये....

श्री उपाध्यक्ष---इस पर कोई वाद-विवाद नहीं है.....

श्री राजनारायण---तो कोई भी अध्यादेश या कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल की सम्मति के आ नहीं सकता, तो जब राज्यपाल की सम्मति के बिना सदन में नहीं आ सकता तो उसका समाचार-पत्रों में प्रकाशन भी नहीं हो सकता और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से सदन का अवमान होता है क्योंकि राज्यपाल सदन का एक अंग होता है।

अब दूसरी बात इसमें यह कही गई कि क्या वह विधेयक था जिसके बारे में इस प्रकार से जोर दिया गया है। सरकार की ओर से जो अभी बतलाया गया, उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है। उन्होंने यह कहा है कि उनको मौका दिया जाय कि वे सका अध्ययन करें। मैं चाहता हूं कि उनको मौका दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि सरकार की ओर से किसी ने यह नहीं बतलाया कि हमारे विधेयक का प्रारूप यह है। जब सरकार की ओर से उस प्रारूप को नहीं बतलाया गया है कि इस तरह का वह प्रारूप है तो फिर किस प्रारूप को सही माना जाय ? हम समझते हैं कि जो प्रारूप छपा है उसी प्रारूप को हीं सही माना जाय जब तक कि सरकार उसका खंडन न करे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपके कोई निर्णय देने के पूर्व हम लोगों को अवसर दिया जाय कि जो सरकारी विधेयक है उसके प्रारूप को हम अवलोकन कर सकें। हम देखेंगे कि इसकी धारा और उसकी धारायें अधिकांश में मिलती हैं या नहीं। अगर इसकी धारायें मिलती हैं तो निश्चित रूप से हम यह समझते हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। उनको जानकारी करना है। माननीय न्याय मंत्री जी ने बतलाया कि वह मुजरिम नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को दिया जाय ताकि उसकी छानबीन होकर सही मुजरिम का पता लग सके। हो सकता है कि न्याय मंत्री जी मुक्त हो जांय। जब तक इस प्रश्न की पूरी जांच न होगी तब तक असली मुजरिम का पता नहीं लग सकता। उसमें यह लिखा है कि "उक्त विधेयक का प्रारूप तैयार है और वह शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा"। उसके यह शब्द हैं कि विधेयक का प्रारूप तैयार है और उसमें यह व्यवस्था है। उस व्यवस्था को भी बतला दिया है। इसलिये मेरा

निवेदन यह है कि अगर इसको विशेषाधिकार समिति को नहीं भेजा गया तो फिर सही मुजरिम की खोज नहीं हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष---गौरीशंकर राय जी ने जो प्रश्न उठाया था उस सम्बन्ध में मैंने कई माननीय सदस्यों का राय सुना । पहला प्रश्न तो यह था कि हमारी नियमावली के नियम ११७ और लोक सभा नियमावली के नियम ६४ के मुताबिक बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं किया जा सकता । यहां इससे मुझे कोई इनकार नहीं है लेकिन यह प्रश्न यहां नहीं है । यहां, कोई विधेयक सरकारी गजट में, विधेयक के रूप में, प्रकाशित नहीं हुआ है । इसलिये इन नियमों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

अब रह गई एक महत्वपूर्ण बात यह कि कैबिनेट नें पालिसी डिसीशन लिया और उसके अनुसार कोई विधेयक बना तो उसके सम्बन्ध में विधेयक सदन में आने के पहले पब्लिसिटी होनी चाहिये या नहीं । मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि यह कर्त्तव्य कैबिनेट का है कि जो फैसला वहां पर हो इसको वह प्रकाशित करे या न करे । आमतौर पर जो कैबिनेट के नीति के सम्बन्ध में फैसले होते हैं छपते रहते हैं कि स प्रकार के फैसले हुये । अगर कैबिनेट ने जानबूझ कर भी इसको प्रकाशित कर दिया है तो वह अनुचित नहीं था . . .

श्री राजनारायण---श्रीमन्, ...

श्री उपाध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में न बोलें । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनारायण---यह पार्लियामेंट्री तरीका है कि कोई भी सदस्य बीच में माइक पर बोल सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें । दूसरा प्रश्न यह है कि एक समाचार-पत्र में यह बात छपी कि उसका प्रारूप तैयार है और उसमें यह बातें है । वह एक आम पालिसी का डिसीशन है जो केबिनेट की तरफ से हुआ है । उसका प्रकाशन हुआ है । वह विधेयक नहीं है । इसी प्रकार के प्रश्न लोक सभा में और हाउस आफ कामन्स में भी उपस्थित किये गये थे । लोक सभा में "Leakage of Bank Award Commission Report before presentation to House" के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था और उस सम्बन्ध में माननीय मावलंकर जी ने जो व्यवस्था दी थी उसे पढ़ दूं तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को आसानी होगी । वह इस प्रकार है :

".....it is equally the duty of the Press to help observance of parliamentary conventions ; it is a wrong practice to obtain information in that manner and give publicity to it before a particular matter is placed before the Parliament. I trust and hope that the Press will follow this kind of convention and help the House in that direction.

.....As regards the question of breach of privilege, we are not quite so sure as to whether it is a breach of privilege. If I was quite so sure of that cent per cent, the question could be straight way put before the Privileges Committee instead of requesting the Minister to enquire and report. After all, parliamentary conventions have to grow ; therefore we shall require the co-operation of all concerned, including the Press.....I do not propose to appoint a committee for this purpose....it was doubtful to my mind whether this was a question of privilege or not. It was undoubtedly improper for that paper to do so, but impropriety is one thing and breach of privilege another thing."

(L. S. deh., Part 11, dated 22-8-55, C. 10778.)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसका अनुवाद भी हिन्दी में कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें यह प्रश्न बैंक एवार्ड के बारे में उठाया गया था और उसका प्रकाशन प्रेस में हो गया था। तो माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि यह कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है बल्कि एक कन्वेंशन और परम्परा की अवहेलना हुई है और मैं चाहता हूं प्रेस से कि वह इस सम्बन्ध में सहयोग करे और कोई मामला जब तक कि सदन के सामने, पार्लियामेंट के सामने, न आये तब तक इधर-उधर से खबर पा कर प्रकाशित न करें । ऐसा करना अनुचित है । ये शब्द कहे गये थे ।

दूसरा हाउस आफ कामन्स का मामला है इसी किस्म का । वहां स्पीकर ने यह कहा :

"I am clear that there is no question of privilege about it. The custom of the House whereby Ministers judge it courteous to the House to make important announcements here before they make them outside, is a matter of courtesy which has grown into a custom, a good custom, of the House. Its breach does not raise a question of privilege." (H. C. Deb. dated 7-5-52 Vol. 500 C. C. 390-91.)

तो उपरोक्त पहली व्यवस्था में पत्रकारों के कर्तव्य के बारे में कहा गया, दूसरी व्यवस्था में सरकार के बारे में । मैं भी इसी मत का हूं और यह व्यवस्था देता हूं कि इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है । हां, यह परम्परा के विरुद्ध है और अनुचित है ।

(श्री गौरीशंकर राय के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

इस सम्बन्ध में मैं अब किसी माननीय सदस्य को न स्पष्टीकरण करने के लिये और न रूलिंग के बारे में बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय--मैं एक दूसरी बात जानना चाहता हूं हालांकि उसका सम्बन्ध इस से जरूर है । मैं जानना चाहता हूं कि जैसी आपने व्यवस्था दी कि यह शिष्टता के विरुद्ध आचरण है, तो क्या मंत्री जी को इस के लिये कोई पश्चाताप है या वह अफसोस जाहिर करना चाहते हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह आब्जरवेशन की बात है । जैसा वह उचित समझेंगे करेंगे ।

श्री गौरीशंकर राय--वह क्या उचित समझते हैं, यह उनसे पूछ लिया जाय ।

(श्री गोविन्दसिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन प्रश्न की गंभीरता बहुत है....

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहने की इजाजत नहीं देता । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । इस सम्बन्ध में यदि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो मुझ से अलग बात कर लें ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है दूसरे विषय के सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष--फरमाइये ।

श्री शिवप्रसाद नागर--मंत्री जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक मिसाल दी थी कि अगर गौरीशंकर जी की टोपी गायब हो जाय तो दारुलशफा भर को तलाश किया जाय। उसी तरह से मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर सदन में किसी की कोई चीज खो जाय तो क्या माननीय मंत्री जी अपनी पंचबंगलिया की तलाशी न करा कर पूरे दारुलशफा की तलाशी करायेंगे, इसका अधिकार माननीय मंत्री जी को है या नहीं। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--आप यह लिख पर माननीय मंत्री जी को भेज दें।

प्रश्नों के उत्तर पर मंत्रियों के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय ताराचन्द माहेश्वरी जी ने जो प्रश्न उठाया था कि उत्तर जो दिये जाते हैं उन पर किसी के हस्ताक्षर न होने के बारे में, उस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी थी कि मैं जांच कर के बतलाऊंगा। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि इस प्रश्न को लेकर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठिये। मैंने उस समय यह बताया था कि जो स्थिति होंगी उनकी मैं जांच करके बताऊंगा। इस समय जो और महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, उनके बीच आपको इस तरह के प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आवश्यकता, श्रीमन्, इसलिये थी....

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, आप कृपया बैठिये। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आपको कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। आप कृपया बैठिये। मैं कह चुका हूं कि अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी है मैं उसको देखूंगा और जो उचित व्यवस्था समझूंगा वह करूंगा। मैंने कोई अनुचित बात नहीं कही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मुझे भी बोलने का मौका, श्रीमन् दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष--मेरी व्यवस्था के बारे में आप अब कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि आप कृपया बैठिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था से सहमत नहीं हूं, मुझे कुछ कहने का मौका तो मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (स्थान ग्रहण न करने पर) आप कृपया बैठिये। मेरी व्यवस्था के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजनारायण--मैं, श्रीमन्, आपकी रूलिंग से सहमत नहीं हूं, मुझे बोलने तो दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, रूलिंग से माननीय सदस्य सहमत हों या न हों, कभी माननीय सदस्य सहमत नहीं होते, कभी माननीय मंत्री जी असहमत होते हैं, किन्तु रूलिंग हो जाने पर आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिये आप अपना स्थान ग्रहण करें।

अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी सदस्यों को विधान परिषद् के निर्वाचन में निर्वाचक मान लेने की नीति में सत्य प्रतिनिधित्व न करने के कारण स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--श्री राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। उसको मैं पढ़े दे रहा हूं वह इस प्रकार है--

"अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम का उद्देश्य संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में किया गया था। परिषद् के संगठन में सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों सदस्य हैं। सदन ने जो अधिनियम बनाया उसमें सरकारी सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। अब आगामी विधान परिषद् में जो सदस्य लोकल एथारिटीज निर्वाचक मंडल से चुने जाने वाले हैं उसमें सरकारी सदस्य भी वोटर हो रहे हैं। अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य विधान परिषद् के चुनाव में वोटर हों या नहीं, इस सम्बन्ध में सरकार ने इलेक्शन कमीशन के पास सदन की मंशा का सत्य प्रतिनिधित्व न कर सदन का अवमान किया है। प्रत्येक सदन का अवमान विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है।

अतः मैं मंत्री, स्वायत्तशासन विभाग, श्री विचित्रनारायण शर्मा, के विरुद्ध सदन की भावना के विरुद्ध कार्य करने के लिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।"

इस सम्बन्ध में पहले भी कुछ चर्चा हो चुकी है और माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि कुछ गोपनीय पत्र-व्यवहार है, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता। माननीय अध्यक्ष ने उसी समय यह पत्रावली तलब करा ली थी। मैंने उस फाइल को पढ़ा और उस फाइल में ये बातें कतई सिद्ध नहीं होती कि सरकार ने कोई बात इलेक्शन कमीशन के सामने छिपायी है। बल्कि स्पष्टतया जो बातें ऐक्ट में और नियमों में दी हुई हैं उनको पत्र में लिख दिया गया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी है। माननीय राजनारायण जी अगर फाइल देखना चाहें तो वह फाइल देख सकते हैं। इसलिये जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उन्होंने उठाया है वह नहीं उठता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं समझता हूं कि अगर आप मुझे कुछ कहने का मौका दे दें तो बात स्पष्ट हो जायेगी। मैं उसको आपको समझा दूं...

श्री उपाध्यक्ष--उसमें समझाने की कोई बात नहीं है। आपने यह चार्ज लगाया है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन के पास सदन की मंशा का सत्य प्रतिनिधित्व न कर सदन का अवमान किया है। सदन ने ऐक्ट बनाया है और उसमें यह प्रावीजन कर दिया है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सरकार ने जब पत्र-व्यवहार किया तो जो अधिनियम है उसके बारे में भी स्पष्ट लिख दिया कि उन सरकारी कर्मचारियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। उसमें कोई बात छिपाई नहीं गयी है। इसलिये कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप हमको बोलने का मौका दें। किस को वोटिंग राइट है, किसको नहीं, यह विधेयक में दिया हुआ है। किस नियम के मातहत माननीय मंत्री जी को इलेक्शन कमीशन से राय जानने की आवश्यकता पड़ी? इसलिये आप मुझे बोलने का मौका दें.....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठिये। आपको मालूम है कि जो हमारे चीफ इलेक्टोरल आफिसर हैं वह ही इलेक्शन के बारे में मतदाताओं की सूची तैयार करते हैं। इलेक्शन कमीशन की राय जब सरकार ने मान ली तो चीफ इलेक्शन आफिसर ने यह आदेश दिया कि उन अधिकारियों का नाम भी मतदाताओं की सूची में दर्ज कर लिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरे प्रश्न का तो उत्तर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का क्या कर्तव्य है, यह संविधान में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिये हमने संविधान में यह बना लिया कि इक्कीस वर्ष का मर्द-औरत जो होगा वह वोटर होगा, तो वोट देने का हक किसको होगा यह तो हमारा संविधान बतायेगा। अब कमीशन यह चाहे कि किसी को हक दे या न दे, तो यह उसका कोई कर्त्तव्य नहीं है। हमारे संविधान की मंशा के मुताबिक वोट देने या न देने के सम्बन्ध में वोटरों की सूची वह जरूर तैयार करा सकता है लेकिन उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। इसका हमने अध्ययन किया है।

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन प्रश्न तो विशेषाधिकार का है। आप कृपया बैठें। क्या कर्त्तव्य है या नहीं है इलेक्शन कमीशन का, उसके हम जज नहीं हैं। हमें अधिकार नहीं है, न अध्यक्ष को और न विधान सभा को। और भी कानूनी कार्यवाही राजनारायण जी कर सकते है, मैं नहीं कहता कि इसकी वेलिडिटी के सम्बन्ध में उनके लिये और रास्ते बन्द हैं।

श्री राजनारायण--एक निवेदन को सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं रूलिंग दे चुका हूं और उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता, और अधिक आपको बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण--आपने मुझसे जान लिया ?

श्री उपाध्यक्ष--मैंने वह जान लिया।

श्री राजनारायण--आश्चर्य है, आप कैसे जान गये। आप जरा इस सम्बन्ध में .....

श्री उपाध्यक्ष--अब इसमें कोई भी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण--किस सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं यह कह रहा हूं कि मैंने आपको बता दिया कि माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने कोई बात इलेक्शन कमीशन से छिपाई नहीं है, इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हुआ। उसके बाद जो भी कार्यवाही आप करना चाहें कानूनी, वह आप कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--कानूनी कार्यवाही करने हम आपकी राय से नहीं जायेंगे। हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह कि इस सदन में जब कोई विधेयक आता है तो उसके उद्देश्य और कारण लिखे रहते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि अंतरिम जिला बोर्ड जो का विधेयक आया यह उसके उद्देश्य और कारण के खिलाफ जाता है और ला मेम्बर ने क्या रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन को मुझे इसकी भी जानकारी है और सरकार की ओर से स्पष्ट वहां यह राय भेजी गयी कि वहां सदस्यों को मत देने का अधिकार दिया जाय।.....

श्री उपाध्यक्ष--आप अपना स्थान ग्रहण करें। विशेषाधिकार का सरकार के मंशा से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार का कोई भी मंशा रहा हो, उसके लिए आप उसके विरुद्ध वोट आफ नो-कान्फिडेंस ला सकते हैं। उसको अपदस्थ कीजिये, लेकिन मैं इस पर विशेषाधिकार की अनुमति नहीं दे सकता। आप मेरी मजबूरी भी समझें।

श्री राजनारायण--मैं इतना ही चाहता हूं कि कोई आपस की कटुता पैदा न हो, हम में और मंत्री जी में, और गुस्सा न करें आप वरना यह होगा कि हमें भी आपके गुस्से पर रंज होगा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो हमें भी गुस्सा करने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष--सदन के अन्दर अनुशासन का तो आपको पालन करना ही होगा।

श्री राजनारायण--अनुशासन में रहना होगा और उसको हम ग़लत समझेंगे तो यहां नहीं बैठेंगे। यदि मजबूर किया जायगा तो जैसे कि पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं वह चीज फिर हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण--आइंदा के लिए अगर भविष्य में विशेषाधिकार का प्रश्न उठे तो निर्णय करने से पहले हमारी सम्मति ली जानी चाहिए और हमारी पूरी जानकारी लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--अध्यक्ष को अधिकार है कि जब किसी प्रश्न पर अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है तो बिना जानकारी लिए निर्णय दे सके। आप स्थान ग्रहण करें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं, इलेक्शन कमीशन के मामले के सम्बन्ध में। इन कार्य-स्थगन के प्रस्तावों को भी मैं इसलिए अस्वीकृत करता हूं कि पोजीशन इस सम्बन्ध में काफी स्पष्ट हो गयी है। वैलिडिटी के बारे में अगर किसी को कोई कानूनी आपत्ति हो तो वह कर सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)-- उपाध्यक्ष महोदय, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में पूछ तो लीजिये ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्य-स्थगन प्रस्तावक महोदय ने जो चीजें उठायी हैं उन पर अगर मन्त्री महोदय स्टेटमेंट दे दें तो उससे सदस्यों को वास्तविक जानकारी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--फाइल आप के सामने हैं, जो सदस्य चाहें पढ़ सकते हैं। मन्त्री जी ने कोई चीज छिपाई नहीं है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)-- फाइल तो हिन्दी में नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ट्रान्सलेटर का प्रबन्ध कर दिया जायगा।

मुरादाबाद के बर्तन उद्योग के स्याह कलम मजदूरों (Engravers) की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम उपमंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--श्री झारखंडे राय तथा श्री चन्द्रजीत यादव ने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उपस्थित किया है। मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि सम्बन्धित मन्त्री इस पर वक्तव्य देना चाहेंगे। वह इस प्रकार से है, "प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत हम लोग आप के द्वारा सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं :--

मुरादाबाद बर्तनों पर पच्चीकारी (Engraving) के लिये हमारे देश में प्रमुख स्थान रखता है। इस समय पच्चीकारी किये गये सामानों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी हो

रहा है जिससे हमारे देश को वैदेशिक विनिमय प्राप्त (Earning in foreign exchange) करने में सहायता होती है । मुरादाबाद में ३० हजार मजदूर बर्तन उद्योग में लगे हैं । पिछले कुछ महीनों में दूकानदारों और ठेकेदारों की साजिश से ग़ैरकानूनी ढंग से मजदूरों की मजदूरी में कटौती हो रही है और उनकी सहकारी यूनियन के साथ भेद-भाव की नीति बरती जा रही है। फलस्वरूप गत २३ फरवरी से पांच हजार स्याह कलम मजदूर (Engravers) हड़ताल कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने मजदूर विरोधी रुख अपना कर २३ फरवरी से नगर में धारा १४४ लगा दिया है और कल शाम तक ६० मजदूर नेता और मजदूर गिरफ्तार किये जा चुके हैं । इससे अत्यन्त विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।"

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---माननीय झारखंडे राय और माननीय चन्द्रजीत यादव के पास है वह कल तक की नहीं बल्कि कल से बहुत पहले की होगी। कल की स्थिति यह है कि वहां का सारा मामला जो कुछ मजदूरों और कुछ ठेकेदारों के बीच का था वह समझौते के लिए ९ आदमियों को, जिनको कि उन्होंने पंच मान लिया है, सौंप दिया गया है और वे उसको देख रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न उठा दिया गया है इसलिये इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा अर्ज कर देना चाहता हूं। मुरादाबाद में यह जो झगड़ा है यह वहां के सारे मजदूरों और सारे कारीगरों का नहीं है। इस वक्त यह झगड़ा वहां जो एन्ग्रेवर हैं, जो बर्तनों में नक्काशी का काम करते हैं या उसमें रंग भरते हैं उन लोगों के सम्बन्ध में ही है। वहां के काम का ढंग यह है कि वहां के व्यापारी ठेकेदारों के जरिये इस काम को कराते हैं। ठेकेदार कुछ लोगों को काम दे देते हैं; वे लोग उसे मजदूरों से कराते हैं और उस काम को लौटा देते हैं। यह काम परम्परागत वहां पर सैकड़ों सालों से इसी तरह से चला आ रहा है। इस काम के सम्बन्ध में सन् १९५९ में दिसम्बर के महीने में कुछ शिकायतें आईं कि मजदूरी कम हो रही है। तो इस सम्बन्ध में जिले के अधिकारियों ने बातचीत की और मालिक और मजदूरों में आपस में समझौता हो गया। हम समझते थे कि यह किस्सा खत्म हो गया। पहले उस दिसम्बर के झगड़े में हमारे पास एक तार आया था कि हमारी भूख-हड़ताल शुरू हो रही है यानी आज तार आये और कल से भूख-हड़ताल शुरू हो। यद्यपि सरकार ने कभी भी भूख-हड़ताल को इस प्रकार के समझौते में हथियार नहीं माना है लेकिन फिर भी यह समझ कर कि कुछ नासमझ लोगों की वजह से यह बात हो गई है, हमने उसमें हस्तक्षेप किया और दोनों का आपस में समझौता करा दिया। हाल में मान्यवर, फिर वहां के जो ठेकेदार हैं और जो एन्ग्रेवर्स हैं उनमें आपस में झगड़ा शुरू हुआ। इस झगड़े में करीब ५०० के लोग हैं और ३० हजार की जो बात कही गई है वह ठीक नहीं है। वे हमारी डिस्ट्रिक्ट एथारिटीज के पास गये तो उन्होंने सलाह दी कि तुम ठेकेदारों या मालिकों के जरिये क्यों काम करते हो, तुम लोग अपनी सहकारी समिति बनाओ और सरकार तुमको सारे साधन देने को तैयार है और सारे सहायता देने को तैयार है लेकिन उस रूप को सरकार स्वयं नहीं बदल सकती जब तक कि वह स्वयं न तैयार हों। तो वह इस काम को करने के लिये तैयार नहीं हैं जिससे कि उनके भूख-हड़ताल और झगड़े का रास्ता बदल जाता और न वह सरकारी रास्ता ही पकड़ने के लिये तैयार हैं और इन बातों के लिये उनका नेतृत्व श्री झारखंडे राय जी का दल कर रहा है। तो अब दिक्कत यह है कि वह ऐसा काम करना नहीं चाहते जिससे उनकी दिक्कत दूर हो जाय। इस सम्बन्ध में कुछ झगड़ा हुआ, ठेकेदारों और मजदूरों में आपस में मारपीट भी हुई जिसके फलस्वरूप १८ तो ठेकेदार लोग और कुछ मजदूर---मेरे पास अभी ठीक सूचना नहीं आई है---लगभग कुल मिलाकर ५० लोग पकड़े गये और दोनों के दोनों को बंद कर दिया, मेरे खयाल से धारा १०७, ११७ और १५१ में। क्योंकि झगड़े की वजह से उनको पकड़ा गया, इसलिये मैंने अन्दाजा लगाया कि ये धारायें होंगी। ठेकेदारों द्वारा बेल एप्लीकेशन मूव की गई। यह सभी जानते हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन को कोई रोक नहीं सकता है। मजदूरों की तरफ से कोई इस तरह की एप्लीकेशन मूव नहीं हुई। फिर भी, सरकार ने मालिक और मजदूरों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। उसका फल

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

यह हुआ कि दोनों ने वहीं के ९ कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट को मंजूर कर लिया और कल ही यह समझौता हो गया है। जेल में अब कोई नहीं है, झगड़ा अब कोई नहीं है और मुझे उम्मीद है कि उनके सवालों को तय करने में चन्द्रजीत जी यादव और माननीय झारखंडे राय के दल के लोग भी मजदूरों की उचित सहायता करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां के एन्ग्रेवर्स ने आज से दो माह पहले सहकारी समिति बनाने के लिये दरख्वास्त भेजी थी ? उसके कागजात उनकी तरफ से आ चुके हैं और अब सरकार ही इस मामले में देर कर रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, अव्वल तो कोई भी समिति बने, सरकार उसके बीच में नहीं आती है। रजिस्ट्रार के पास उसकी दरख्वास्त जाती है और वह ऐक्ट के मुताबिक उसको करते हैं। जहां तक मेरी सूचना है, वह यही है कि उनको सहकारी समिति बनाने के लिये सलाह दी गयी थी लेकिन वे उस काम को पूरा नहीं कर पाये हैं। मुझे इस बात की सूचना नहीं है कि रजिस्ट्रार के पास उनके कोई कागजात पहुंचे हैं या नहीं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)-- क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि एन्ग्रेवर्स की एक मीटिंग में जिलाधीश भी गये थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि वे अपनी एक सोसाइटी बनायें ? जिलाधीश ने यह भी कहा था कि ठेकेदार लोग उनको ऐक्सप्लायट कर रहे हैं। उसके अनुसार जिन लोगों ने सोसाइटी बनायी है उनको ठेकेदार काम नहीं देते हैं और यह कहते हैं कि जो पुराना तरीका है उसके अनुसार ही काम करो तो देंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पुराने और नये जमाने में हमेशा ही लड़ाई रही है और अगर जमाने को बदलना है तो कुछ कठिनाई तो अवश्य ही होगी।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)-- क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि जब पहले दिन झगड़ा हुआ था, उसमें दो व्यक्ति घायल हुए, जिनको चारपाई पर लिटा कर बाजार में घुमाया गया, इससे झगड़ा ज्यादा भड़का ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा-- इसके लिये नोटस की आवश्यकता होगी लेकिन इस चीज को विष्ट जी अधिक अच्छी तरह से जानते होंगे। जहां तक मजदूरों का सवाल है, उनको समझाने के बजाय लोगों ने उनके झगड़े को उलझाने की ज्यादा कोशिश की।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आज तक दफा १४४ वहां पर क्यों लगी हुई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा-- दफा १४४ इस वक्त वहां नहीं है, इसीसे मालूम होता है कि दोनों दलों में वहां शांति है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कुछ लोगों ने वहां मामला सुलझाने के बजाय उलझाने का प्रयत्न किया, तो क्या वे लोग माननीय मंत्री जी के सम्बन्धी हैं जिनका वे नाम नहीं बताना चाहते ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मेरा संबंध तो उन लोगों से नहीं है किन्तु, मान्यवर, जिस दल के माननीय राजनारायण जी हैं वे उन लोगों के साथ बैठने वाले लोग हैं; इसलिये उनका सम्बन्ध होता है। विरोधीदल में एक दल है कम्युनिस्ट पार्टी, इस नाते उनका संबंध है उनसे।

श्री चन्द्रजीत यादव--- क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस हड़ताल में ५ हजार पच्चीकारी मजदूर शामिल थे और उनकी एक मांग यह थी कि पहले ठेकेदार लोग एक रुपये में दो आने लिया करते थे और वे लोग दो आना देने को तैयार हैं लेकिन ठेकेदार लोग ८ आना तक लेते हैं और जिलाधीश ने भी कहा था कि ठेकेदार लोग ज्यादती कर रहे हैं और उन्होंने बीच में पड़ कर समझौता कराने की कोशिश की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- जहां तक वेजेज का सवाल है, सरकार मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती और मुरादाबाद में भी उससे अधिक उसका और कोई करने का इरादा नहीं है। एक ही रास्ता है कि वे सहकारी समितियां बनायें और अपने काम के लिये दूसरों पर भरोसा न रखें।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान--

अनुदान संख्या १८---लेखा शीर्षक २९--पुलिस---(क्रमागत) *

श्री उपाध्यक्ष--- अब पुलिस अनुदान पर वाद-विवाद जारी होगा।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--- उपाध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत, तथा उपनेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री को देख कर अक्सर यह आभास होता है कि जब आप पुलिस की बात करें तो माननीय मंत्री जी शिक्षा की तरफ सोचते हैं और जब आप शिक्षा की बात करें तो उनका ध्यान पुलिस के डंडे की तरफ आता है। तो इस समय तो मुझे नाजी गोवेल्स की याद आती है वह कहा करता था :—

"When I hear the word "Culture" my hand goes to my pistol."

तो इस समय मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान पुलिस की तरफ आकर्षित करने का साहस कर रहा हूं। श्रीमन्, इन दो दिनों में मैंने जो भाषण माननीय सदस्यों के सुने उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि वे केवल अपने जिले और अपनी तहसील ही नहीं, बल्कि अपने मखसूस थाने की बात ही कहना चाहते हैं। बदकिस्मती से डेढ़ दिन में मुश्किल से १३ या १४ थानों का जिक्र हो सकता है जब कि यहां सैकड़ों थाने हैं। जिक्र व्यापक होना चाहिए कि एक थाने का। लिहाजा मैं आप के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मंत्री होम सेक्रेटरी, तथा उनके सलाहकार पुलिस के आफिसरों को defy करता हूं कि वे यदि वाक़ई में बातें जानना चाहते हैं तो हमसे पूछें और यह न समझें कि हम जो पूछते हैं या कहते हैं उसका कोई असर नहीं होता या कोई महत्व नहीं रखता है। डेमोक्रेसी जिसके नाम की यहां दुहाई दी जाती है, इस सरकार ने उसके आगे के "डे" और बाद के "रेसी" को निकाल दिया है जिससे बीच में केवल "मौक" ही रह गया है। यह परम्परा होनी चाहिये कि सही तौर पर डेमोक्रेसी हो और उसको जिले के स्तर पर बरतना चाहिये। लेकिन आज जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा उस के इशारे पर जिस तरह से पुलिस नचाई जाती है उससे पता लगता है कि असलियत क्या है। श्रीमन्, इसमें सन्देह नहीं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, पुलिस के लिये जो बजट में पैसा होना चाहिये उस हिसाब से इस बजट में पैसा कम है और वह ज्यादा होना चाहिये। मगर जो मौजूदा पुलिस की परिस्थिति है और जो मौजूदा पुलिस का ढांचा है उस को देखते हुए पैसा जरूरत से बहुत ज्यादा है। पुलिस की आवश्यकता urbanisation से शुरू हुई यानी जैसे हमारी जन-संख्या बढ़ी वैसे पुलिस की जरूरत हुई। मेरे खयाल से पुलिस का वजूद हुआ हमको सरकारी आफिसरों के मजालिम से बचाने के लिये। जैसे फौजदारी, थानेदारी, जिलेदारी ये जो नाम

---

*२७ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री सुरथबहादुर शाह]

हैं, इसका मतलब ही है एक्सेस बाई दी आर्मीज ऐण्ड ओफ़िशियल्स (Excesses by the armies and officials) और उससे बचाने के लिये कानून में भी नाम इसी से पड़ा है जाब्ता फ़ौजदारी। तो यह जाप्ता फ़ौजदारी इसलिये है कि वह सरकारी आफिसरों के मज़ालिम से जनता की रक्षा करें और इसीलिये पुलिस की जरूरत हुई। मगर आज होता क्या है ? बजाय जनता की हिफाजत होने के क्राइम्स करने वालों को प्रोटेक्शन दिया जाता है आज सी० आर० पी० सी० द्वारा। उस की धारा १३२ को मुलाहिजा फरमायें तो उसमें पायेंगे ।

"Protection against prosecution for act done under this chapter.

No prosecution against any person for any act purporting to be done under this Chapter shall be instituted in any Criminal Court, except with the sanction of the State Government, and

(*a*) No Magistrate or Police Officer acting under this chapter in good faith,

(*b*) No officer acting under section 131 in good faith

गौर फ़रमाइये

"No person doing any act in "good faith"

अर्थात्, अब हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है कि हम साबित करें कि गुड़ फ़ेथ नहीं था। यह आज कल का जो तरीका है, उनके जो पूर्वज थे, उनके मूरिस आला, बृटिश सरकार, यह उनकी लीगेसी यानी विरासत चली आती है। मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी में किसी भी महकमें को, किसी भी सरकारी बिभाग को ऐसा प्रोटेक्शन देना गलत है।

दूसरे डिसेन्ट्रेलाइजेशन यानी विकेन्द्रीकरण की बातें कही जाती हैं लेकिन जो काम होता है वह हमें सेंन्ट्रेलाइजेशन या केन्द्रीकरण की तरफ ले जाता है। हम आशा करते हैं कि विकेन्द्रोकरण होगा लेकिन अगर जरा-सी मरपीट की शिकायत होती है तो हम से आशा की जाती है कि हम सब सबूत दें। आप दीजिये पुलिस को लोकल बाडीज के अधिकार में, जिला परिषदों और म्यूनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाज के अख्तियार में, किसी दिन भी कोई मारा जायगा तो मेंम्बर चुन कर नहीं आयेंगे और वहीं की पुलिस होगी तो ऐसा नहीं होगा। होता यह है कि रोज तबादले होते हैं, थानेदार थोड़े दिन में वहां के मामलात को समझते हैं और जब समझने लगते हैं और वहां के लोगों को कुछ समझ पाते हैं और कोशिश करते हैं कुछ सम्हालने की तो साल दो साल में वह वहां से रवाना कर दिये जाते हैं। इस तरह की ट्रान्सफर्स की नीति है; वह ठीक नहीं है। (एक आवाज—आप को किसी थानेदार से सांठ-गांठ मालूम होती है) मेरी तो किसी थानेदार से सांठगांठ तब होती जब मैं या तो जिला कांग्रेस कमेटी का मेम्बर होता या आप का सा दिमाग रखता तब होती। जब यहां पर पुलिस बनाई गई थी तो उसका ढांचा एक सेमी-मिल्टिरी पेटर्न का था और उस वक्त की सरकार ने उसे कालोनियल एक्सप्लायटेशन के लिये बनाया था लेकिन अब डेमोक्रेटिक सेट-अप में वह मुनासिब नहीं है। इसमें १३ लाख रुपया पी० ए० सी० की नई भरती के लिये है, ७ लाख रुपया पुरानी गाड़ियों के बदलने के लिये हैं, और ५ लाख रुपया टेम्पोरेरी पोस्ट्स व वेतनों की तरक्की के लिये है। लेकिन क्राइम्स के डिटेक्शन के लिये भी कहीं कोई रुपया रखा गया है ? हमारा क्राइम्स डिटेक्शन डिपार्टमेंट अत्यन्त चिरकुट यानी रेचेड है, पुराने ही कुछ मैथड्स या तरीके उसको मालूम हैं और कोई मार्डन साईन्टिफ़िक तरीके डिटेक्शन के उन्हें मालूम ही नहीं हैं सिवा दो चार कुत्ते रखे गये हैं। पुराने थर्ड डिग्री यानी डंडा मार तरीके से कुछ पता चल पाया तो ठीक, वर्ना कोई सवाल नहीं। इसलिये साइन्टिफ़िक तरीके पर डिटेक्शन या खोज करने के लियें रुपया बजट में होना जरूर चाहिये था। हमारा खयाल है कि अभी तक महज नामों में ही तब्दीली हुई है, पहले Horton, Dodd और Measures. होते थे, अब लहरी, भल्ला और माथुर

होने लगे, नीदरसोल और म्यूडी नहीं रहे तो अब शास्त्री और त्रिपाठी होने लगे। हमें देखना चाहिये कि आज हमारी जनता में पुलिस के आदमी को देखकर साइकोलाजिकल रिएक्शन क्या होता है। जो भाव सहारे और दोस्ती का जनता में होना चाहिये वह नहीं है उसके बजाय उनको देखकर टेरर यानी डर और भय होता है और वह इसलिये है कि हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने हमें पुलिस का रूप राक्षसी रूप में देखने को ही सिखाया था और है। जब तक इसमें परिवर्तन न होगा, जनता उनको दोस्त और मददगार न समझेगी और न अच्छा काम ही हो सकेगा। पुलिस को जनता के इशारे पर नाचना होगा, मैं किसी विशेष दल या व्यक्ति के बारे में नहीं कहता लेकिन आज की जो मौजूदा मुसीबतें हैं उनका मूल कारण यही है कि एक बड़ी खाई पुलिस और जनता के बीच में आ गई है।

तीसरे, श्रीमन्, आम कहावत है कि fraud thrives in secrecy, यह कि जो क्राईम्स या जुर्म होते हैं वह डार्कनेस यानी अंधियारे में होते हैं यानी तारीकी में, खामोशी और पोशीदगी में। चोर तो बड़े-बड़े काशी के पंडितों से शकुन विचार करा के जायं और हम रिपोर्ट लिखावें तो कहा जाय कि देखा था ? नाम बताओ और नहीं देखा तो घर जाओ। तो पहला काम जो है पुलिस का, उसमें वह इस्तेमाल होनी चाहिए। इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट आपका चिरकुट या रैचेड है जिसकी वजह से तमाम क्राइम्स का पता नहीं चलता और इससे उनकी तादाद बढ़ती है। नतीजा यह होता है कि पुलिस को मजबूरी अपनी खाना-पूरी करने के लिये जाली गवाह और झूठे मुकदमें बनाने पड़ते हैं। जहां तक जजमेन्ट की बात है, वही मैजिस्ट्रेट पहले हमको कमिट करते हैं और फिर वही मैजिस्ट्रेट हमको जज करते हैं। लिहाजा एक्जीक्यूटिव और जुडीशरी अलग होना जरूरी है। मेरा निवेदन है कि पुलिस के क्राइम डिटेक्शन की तरफ ध्यान दिया जाय और उनकी इसमें ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान दिया जाय। मुरादाबाद में ट्रेन करते हैं कि दौड़ो, कूदो, फांदो। लेकिन मेन्टल केलीबर, दिमागी योग्यता क्या होनी चाहिए, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--बाकी एक मिनट में आप कोटेशन न दें।

श्री सुरथबहादुर शाह--जो उनकी दिमागी शक्ति है उसमें तरक्की होनी चाहिए। यह नहीं कि पुलिसमैन सायकोलाजी का प्रोफेसर हो जाय। लेकिन उसे यह पहचान होनी चाहिए कि कहां पर दूसरे के हक का अपहरण होता है। उसे यह जानना चाहिये कि ट्रेसपास कहां होता है हक का, वही जुर्म है और उसी को रोकना सब का फर्ज है मगर विशेष कर पुलिसमैन का।

***श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ललितपुर सब-डिवीजन में जो सहयोग सरकार ने डकैती निवारण में दिया है उसके लिये भी मैं माननीय गृह मंत्री, आई० जी० और खास तौर से अपने जिले के एस० पी० का आभारी हूं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि ललितपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं कि जिनको सुनकर हमारा और वहां की जनता का हृदय फट गया। जिन्होंने पुलिस को डाकुओं के बारे में खबर दी उनको दिन दहाड़े मार दिया गया।

एक घटना है सन् ५६ की। भैयालाल और हजारी दो भाई थे। एक गांव है दिपरिया जो धौरहा के पास है। सूरतसिंह डाकू की खबर उन लोगों ने दी। डी० एस० पी० मुकर्जी साहब थे। उसके दूसरे ही दिन बाजार के अन्दर आम जनता के सामने गोली से दोनों भाइयों का शिकार किया गया। लक्ष्मणसिंह १३ अगस्त, ५८ को उसकी लड़की और उसके मजदूरों के सामने मारा गया। ११ अगस्त को उसने नाराड पुलिस को खबर दी और पुलिस के साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गज्जूराम]

आया डाकुओं को बताने के लिये कि किस जगह छिपे हैं। पुलिस ने कोई तवज्जह नहीं दी। १३ तारीख को उसके खेत के ऊपर उसे पकड़ा और पकड़ कर उसकी लड़की के सामने गोली से मारा।

चौथी घटना अभी हाल की नवम्बर या दिसम्बर की है। कुंवर जी नामक ग्रामवासी ने जाकर डी० वाई एस० पी० को बताया कि सूरत सिंह के गिरोह का एक आदमी हमारे गांव के खेत में छिपा हुआ है। ललितपुर की पुलिस गयी और उसने जाकर उस डाकू को पकड़ा। लेकिन उसने पुलिस से कह दिया था कि मेरे द्वारा दी गई सूचना की खबर गांव में अथवा पुलिस में किसी को न हो वरना वह खबर डाकुओं तक पहुंचा दी जायगी और मैं मार दिया जाऊंगा लेकिन हुआ वही जो वह नहीं चाहता था। नाराड से सर्किल इन्सपेक्टर पी० ए० सी० के साथ आता है और कुंवर जी की पीठ को आम जनता के सामने थपथपाया और कहा कि तुम्हें बन्दूक इनाम में मिलेगी। इसके बाद ही उसने डी० वाई एस० पी० से कहा कि अब मैं जिन्दा नहीं बच सकता क्योंकि इसकी सूचना डाकुओं के पास पहुंच जायेगी और मुझे जिन्दा नहीं छोड़ा जायगा। दूसरे दिन उसको गोली से मार कर बीच रास्ते में कागज का लेबिल लगा कर डाल दिया गया जिस पर लिखा था कि १२ घंटे तक उसकी लाश को कोई न उठाये। शाम को ६ बजे पुलिस वालों ने १२ घंटे बाद उसकी लाश को उठवाया। तो वहां पर यह भय है कि जो भी पुलिस को सूचना देगा वह जिन्दा नहीं रह सकता। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जानकारी अवश्य करायें कि डाकुओं को ऐसी खबर किसके द्वारा दी जाती है, पुलिस के द्वारा या जनता के द्वारा।

मैंने मंत्री जी से कई बार प्रार्थना की कि जो आदमी इस तरह मारे जायं उनकी बीबी और बच्चों को कुछ माहवारी सहायता जरूर मिलनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई अपनी जान नहीं देगा। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि ललितपुर सब-डिवीजन में ४ थाने खोले, पुलिस की चौकियां बढ़ायीं, पुलिस भी बढ़ायी लेकिन वहां पर सच्चाई से काम नहीं होता जैसा कि होना चाहिये। पुलिस निर्दोष आदमियों को पकड़ती है और दोषियों को नहीं पकड़ती, जो डाकुओं से सम्बन्धित हैं वे नहीं पकड़े जाते। अगर किसी भले आदमी को पकड़ा जाता है तो वह ऐसी जिन्दगी से मरना बेहतर समझता है और वह डाकू हो जाता है मजबूरन। अभी माननीय मंत्री जी और आई० जी० ने बड़ी मेहरबानी की कि कुछ आदमियों को डाकू होने से बचाया और एस० पी० ने सच्ची जानकारी करा कर उन आदमियों के वारन्ट वापस लिये। तो मेरा कहना है कि सच्चे आदमियों को तंग न किया जाय और जो वाकई डाकुओं से मिले हैं, आई० जी० महोदय को सारी बातें मालूम हैं, उनके खिलाफ़ वह कार्यवाही नहीं की जाती है जो की जानी चाहिये। अगर ऐसे आदमियों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी तो और आदमियों की डाकुओं से मिलने की हिम्मत नहीं होगी। बहुत से डाकू मारे भी गये, यह भी आई० जी० महोदय को मालूम है कि किसने मारे। लेकिन सारा श्रेय पुलिस को दिया जाता है।

इसके अलावा एक कांस्टेबिल जिसकी तनख्वाह ५० रुपया या ६० रुपया हो तो वह कैसे हिम्मत करे डाकू के सामने गोली चलाने की जब कि पेंशन भी उसे ११ रुपये ही दी जाय? वह क्या सोचेगा कि मैं एक डाकू के मुकाबले गोली चलाऊं और शायद मारा जाऊं तो मेरे भी संतान व स्त्री है उसको पालने वाला कोई हो? ११ रुपये में क्या पालन-पोषण हो सकता है? हर एक आदमी चाहता है कि अच्छे कार्य में उसका नाम हो। महरोली थाने में एक कांस्टेबिल इसी तरह मारा गया लेकिन उसको हजार, २ हजार रुपये सहायता दी गयी और पेंशन ११ रुपये ही मिली। तो फिर पुलिस उतनी बहादुरी से काम नहीं करती जितनी बहादुरी से उसे करना चाहिये।

एक चीज यह भी है कि अगर एक कांस्टेबिल कोई सम्मन लेकर या किसी और कार्य से बाहर जाता है तो सारे दिन में उसे साढ़े ६ आने मिलते हैं, तो उसमें वह कैसे गुजारा कर सकता है। उसे रिश्वत लेनी ही पड़ेगी। कम से कम १ रुपया या सवा रुपया उसे खूराक के लिये मिलने चाहिये जिससे सारे दिन वह गुजारा कर सके।

केन्द्रीय सरकार का एक चपरासी होता है उसकी तनख्वाह ८५ रुपये होती है और हमारे यहां जो चपरासी होता है वह सारे दिन घूम कर बारिश, गर्मी व ठंड में काम करता है और गोली का निशाना भी बनाया जा सकता है, तो कम से कम उसका वेतन उस चपरासी के बराबर तो होना ही चाहिये, जब कि वह अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। करप्शन की बात कही जाती है। मेरे खयाल से कांस्टेबिलों में करप्शन नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कांस्टेबिलों की तनख्वाह उन चपरासियों के बराबर जरूर कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--श्री चन्द्रजीत यादव अनुपस्थित हैं। माननीय गृह मंत्री अपना भाषण शुरू करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मेरा निवेदन यह है कि पुलिस के सम्बन्ध में जो कार्य पुस्तिका छपी है...

श्री उपाध्यक्ष--मेरी इजाजत के बगैर आप बोलने खड़े हो गये। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण--मैं इजाजत लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप बैठिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष--आपने अपना मौका खो दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव--एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कल माननीय बेचनराम जी गुप्त वहां प्रेसाइड कर रहे थे तो मैं बोल रहा था। वे स्वयं पुलिस कमीशन के मेम्बर हैं स समय उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने कहा कि एक मिनट लाबी में चल कर वे कुछ पूछना चाहते हैं, उसी स्पष्टीकरण के लिये मैं लाबी में गया हुआ था। मैं आ रहा था जैसे ही मैंने सुना कि आपने मेरा नाम पुकारा लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--यादव जी, आप भाषण काफी दे चुके हैं और पुलिस पर भी बोल चुके हैं। अब मैं एक नई परम्परा चला दूंगा तो मेरे लिये बड़ा कठिन होगा। आपने अपना अवसर खो दिया। अब माननीय गृह मंत्री भाषण देंगे।

श्री राजनारायण--मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैं पार्लियामेंटरी पद्धति का पालन नहीं करूंगा अगर मैं कुछ न कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण--वे ४५ मिनट पहले बोले और ४५ मिनट अब बोलेंगे। जितना नियम के अनुसार समय मिलना चाहिये उससे ज्यादा समय है जो उनको मिलेगा। बहुत सी मुख्य बातें जो माननीय सदस्यों को कहनी हैं वे नहीं कह पा रहे हैं। लिहाजा मैं सदन का त्याग करता हूं उस समय तक के लिये जब तक मंत्री बोलेंगे, उसके बाद वोटिंग पर फिर आऊंगा।

(श्री राजनारायण ने समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, इस अनुदान को सरकार की ओर से राज्यपाल की सिपारिश पर सम्मानित सदन से स्वीकार करने की जो प्रार्थना की गयी उस पर आदरणीय सदन ने कल से ही अपने विचार प्रगट किये। कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध जिले के भिन्न-भिन्न थानों से हैं। कहीं किसी थाने में कोई वारदात हुई या कहीं ठिकाने से काम नहीं किया गया। उनके सम्बन्ध में यकायक इस समय कोई उत्तर देना सम्भव नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है क्योंकि इतनी दूरी से इतनी जल्दी कोई रिपोर्ट आ नहीं सकती । लेकिन उन बातों को हमने नोट कर लिया है और उसके विषय में जानकारी भी की जायगी । अगर कोई माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में आयी हुई रिपोर्ट को जानना चाहेंगे तो मैं बता भी सकूंगा और उसके लिये कोशिश करूंगा कि वह शिकायतें दूर हों और जितनी उसमें सच्चाई हो उसके मुताबिक सरकार काम करे ।

कुछ ऐसी बातें कही गयीं जो आमतौर पर पुलिस बजट पर कही जाती हैं । कुछ ऐसी बातें, जिनका प्रायः सभी लोग उल्लेख करते हैं, उस प्रकार की कुछ व्यापक शिकायतें भी हैं । उनके अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता । उन्हीं को फिर दोहराया गया, जैसे कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जरायम छिपाये जाते हैं, चोरी वगैरह की रिपोर्ट न लिखना, डकैती अगर हो जाय तो चोरी में लिख दो । ये शिकायतें बराबर चली आ रही हैं । हमेशा पुलिस बजट पर ये बातें कही जाती हैं । जरायम दबाये गये, कुछ लोगों को सता कर पुलिस के आदमियों के जरिये पैसा बसूल करना---यह शिकायत होती है ।

तीसरे, तफतीश के सम्बन्ध में शिकायत की जाती है कि जांच-पड़ताल ठीक से नहीं होती । बहुधा, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, या कुछ आदमियों को फंसा कर जो वाकई जुर्म करने वाले हैं उनको छोड़ दिया जाता है, मामलों की ठीक तफतीश नहीं होती और मुकदमें छूट जाते हैं ।

एक खास तरह की शिकायत है कि आज कल लोगों में बड़ा आतंक और भय फैल गया है । 'इनसिक्योरिटी" शब्द का इस्तेमाल किया गया । मैंने भी अपना अनुदान प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार की इनसिक्योरिटी की भावना शहरों और देहातों में, खास-तौर से देहातों में है । ये ऐसी शिकायतें हैं जो किसी खास जगह के बारे में नहीं आमतौर पर पुलिस के प्रशासन के सम्बन्ध में की गयी हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि यद्यपि ये बातें पुरानी हैं, लेकिन यह तथ्य है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां मौजूद हैं । जब लोगों को तकलीफ होती है तो उसकी शिकायत इसलिये की जाती है कि उसे दूर करने की चेष्टा की जाय । इस सम्बन्ध में दो तीन बातें आप की आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक तफतीश के मामले को थानों के रोजाना प्रशासन से अलग करने का सम्बन्ध है, उसके लिये एक उपाय बताया जाता है कि अगर जांच-पड़ताल थानों के जरिये न हो, रिपोर्टिंग और इनवेस्टीगेशन का अलग सेक्शन हो तो रिपोर्ट न लिखने और जांच में मामलों को दबा देने की या फाइनल रिपोर्ट लगा देने की, या वक्त न मिलने के कारण उसकी अच्छी तरह से तफतीश न करने से जो मुकदमें में कमजोरियां रह जाती हैं, उन सबको दूर किया जा सकता है । यह एक उपाय है । श्रीमन्, हमारे प्रदेश के ६-७ जिले हैं जिनमें वाच ऐंड वार्ड जिसको कहते हैं, उससे इनवेस्टीगेशन एजेंसी अलग की गयी है । आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, बरेली, वाराणसी और लखनऊ में प्रयोगात्मक तौर से इस पर क्या खर्चा होता है और कितनी सुविधा होती है, दोनों दृष्टियों से देखा जा रहा है । रिपोर्टिंग के सिलसिले में जो शिकायतें रहती हैं, उनका कितना परिहार हो सकता है, इसका प्रयोग किया गया है । आज इसमें ७० तो सब-इंस्पेक्टर हैं । अलग से यह इन्वेस्टीगेशन का काम करते हैं । जल्दी हो जाय इसकी भी कोशिश करते हैं । कुछ देहाती इलाकों में भी इन्वेस्टीगेशन स्क्वैड बनाया गया है । यह आगरा, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में है । इसमें भी एक छोटा दल बनाया गया है, हेडक्वार्टर पर जो जांच पड़ताल का काम करे । खाली यही काम उसके जिम्मे है । पैसा इस पर काफी खर्च होता है, काम जल्दी होता है, यह सही है, क्योंकि ये साधारण पुलिस के काम से बरी रहते हैं । कितना खर्चा इसमें पड़ सकता है और किस ढंग से इस काम को हम आगे कर सकें इसके लिये पुलिस कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात रख दी गयी है । एक बड़ी भारी बुनियादी बात पुलिस के प्रशासन की है कि ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था करने वाला जो स्टाफ है वह, और कोई जरायम हों तो उनकी जांच

पड़ताल करने वाला स्टाफ दोनों एक ही रहते हैं, तो उसमें तरह-तरह की गड़बड़ी पैदा होती है। उसको अलग करने की बात कही जा सकती है। अब उसके लिये बड़ी भारी व्यवस्था करनी पड़ेगी सारे प्रदेश में उसको लागू करने में। लेकिन फिर भी अगर यह चीज करने की हो तो की जाय। पर उसका एक खाका हो, किस ढंग से यह चीज हो, इस सब के लिये पुलिस कमीशन के जिम्मे यह बात भी की गई है और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को कोई मतभेद नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था एक साथ पूरी नहीं हो सकती तो जहां तक हो सके फ्रीजिंग करके सही, या जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति हम लावें जिससे कि सारे सूबे में यह चीज लागू हो सके ताकि यह दोनों फंक्शन अलग हो जांय पुलिस के, तो इसके लिये अब पुलिस कमीशन की रिपोर्ट की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

माननीय, रिपोर्ट वगैरह लिखाने के सिलसिले में शिकायतें लोगों की हैं। ये बातें होती होंगी। मैं यह नहीं कहता कि नहीं होंगी। जो रिपोर्ट लिखाने जाते होंगे सारी रिपोर्ट उनकी लिखी ही जाती होगी या लिखाते वक्त उनको बदला नहीं जाता होगा, यह मैं नहीं कहता। माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र का व्यक्तिगत अनुभव है, तो उनकी बातों को यहां खड़े होकर काट देना अनुचित है। कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन सरकार की ओर से बराबर इस बात का प्रयत्न किया गया है, बार-बार इस तरह के आदेश दिये गए हैं कि रिपोर्टें सही सही लिखी जायं। यह खयाल करता, जैसा कि हमारे मित्र चन्द्रजीत यादव जी ने कदाचित् यह कहा कि यह तो सरकार की पालिसी है कि जुर्म छिपाये जांय, इसीलिये वह नहीं लिखे जाते, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। जुर्मों की कमी नहीं है, जैसा कि देखने से मालूम होगा, और इसमें भी, दो सौ या चार सौ छिपा देने से ही कोई सरकार को बड़ा भारी लाभ नहीं हो जायगा जो वह उन्हें छिपाना चाहे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---टेंडेंसी ऐसी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नहीं है। सरकार का कोई इसमें लाभ नहीं है और यह बड़ी खतरनाक बात है कि आफिसर्स को नीचे यह हम कह दें कि जुर्म होते रहें और तुम छिपाते जाओ। कोई भी सरकार अगर इस तरह की कार्यवाही करेगी तो जो केवल डंडे के ऊपर रहती हो, जैसी कि विदेशी सरकार थी, तो उनकी बात तो दूसरी थी, लेकिन जो सरकार बनती है और बिगड़ती है जनता के जरिये, आज है और कल नहीं रहेगी, कल दूसरी है और परसों तीसरी हो सकती है, तो वहां जुर्मों को छिपा करके, कोई सरकार चल नहीं सकती। जुर्म धीरे-धीरे अन्दर ही अन्दर बढ़ते रहें और सरकार को उनका पता तक न चले, यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। कभी सरकार की यह नीयत नहीं हो सकती। कभी इसकी कल्पना वह कर नहीं सकती। बल्कि उसकी चेष्टा यह रहती है कि जुर्म छिपाये न जांय। सर्क्युलर पर सर्क्युलर जाते रहे हैं,। आदेश बराबर दिये गए हैं यहां तक कहा गया है कि अगर कहीं रिपोर्ट न लिखी जाय तो उसकी सूचना रिपोर्ट लिखाने वाला स्वयं या किसी दूसरे के जरिये चिट्ठी लिखाकर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास भेज सकता है। तो सरकार की तरफ से कहीं जरा-सा भी छिपाने की कोशिश नहीं है और अगर कहीं छिपाये जांय तो इसके तो बराबर प्रश्न यहां होते रहते हैं और जहां कहीं हमें इसका प्रमाण मिलता है कि यहां जुर्म छिपाये गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई या लिखते समय जिस दफा में रिपोर्ट लिखाना चाहते थे उसमें न लिख करके जुर्म को कम करके दूसरी दफा में लिखा गया है, जहां कहीं हमें इसकी शिकायत मिलती है वहां हम इसके ऊपर कार्यवाही करते हैं और मैं समझता हूं कि सरकार की इस नीति का पता पुलिस के विभाग को भी लग जाय कि जुर्मों को छिपाने की कतई कोई नीति नहीं है। बल्कि इसे हम जुर्म समझते हैं कि अगर कोई जुर्म हो और उसकी छिपाने की कोशिश की जाय और यदि ऐसी कोई बात हुई तो उसका जब कभी वाकया सामने आवेगा तो उस पर ऐसी कार्यवाही की जायगी जिससे कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मान्यवर, पुलिस कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस को हमने देखा तो उसमें मेरा ऐसा खयाल है कि कोई ऐसी बात जिसे हम सोच सकते थे पुलिस के प्रशासन के सम्बन्ध में उसे छोड़ा नहीं गया है; और प्रदेशों में भी पुलिस का कमीशन बना है, बिहार ने बनाने का इरादा किया, केरल में भी कुछ बन रहा था शायद। तो अब कोई भी टर्म्स आफ रेफरेंस में ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसको हम ने सोच कर के, जहां तक विमाग जा सकता था, उसको रख देने की कोशिश न की हो।

इस विचार से कि यह एक खाका, एक नक्शा इन सारे प्रश्नों के ऊपर विचार किया हुआ मन्तव्य साधारणतः हमारे सामने प्रस्तुत हो जाय, उसको यह प्रदेश भी देख सके और सरकार भी उस दिशा में अग्रसर हो सके यह किया गया है। अगर खर्चे का बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला हो तो हमारा विधान मंडल इस विषय पर निर्णय करे कि इतना बड़ा खर्चा पड़ने वाला है तो इसमें इतना काम हम लें और इतना काम न लें और आगे किस तरह से काम चल सके। जो कुछ करना है उसका एक वास्तविक चित्र सामने आना चाहिये। यह सारे प्रश्न इस इन्वेस्टी-गेशन और रिपोर्टिंग के भी, और जितनी तरह की और शिकायतें की गई उनका किस तरह से परिहार हो सकता है यह सब हमने उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में रखा है।

दो-तीन बातें और कही गई जिसके लिये में समझता हूं कि हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। यह सही बात है कि तनख्वाह बढ़ाई जांय और हमने कुछ बढ़ाई भी है। उनको कुछ सुविधा भी दी है। यह भी कहा गया कि वह कुछ पैसा वसूल कर लेते हैं। इसकी खास वजह यह है कि उनको तनख्वाहें कम मिलती है और काम बहुत ज्यादा उनसे लेते हैं। अभी गज्जूराम जी ने कहा कि उनको इतनी तनख्वाह तो दें जितनी कि भारत सरकार अपने चपरासियों को देती है। भारत सरकार के काम करने वाले आदमी हमारे प्रदेश में भी काम करते हैं और हमारे प्रदेशीय सरकार के काम करने वाले आदमी जो यहां काम करते हैं उनमें जमीन और आसमान का अन्तर है। अगर दुगना अन्तर नहीं तो ड्योढ़ा अन्तर जरूर है। उसका भी एक असर होता है हमारे काम करने वालों पर। आप और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि २,४ रुपये बढ़ाने से ही लाखों और करोड़ों रुपये तक मामला पहुंच जाता है। ५५ रुपये से ८५ रुपये करने की बात कही गई। ऐसा हो सके तो बड़ी खुशी होगी। पर उतने साधन भी होने चाहिये। फिर पुलिस की ही बात नहीं है। इस सरकार के मातहत और दूसरे विभाग भी हैं जिनका यही पे स्केल है। इस विषय पर भारत सरकार से सहायता मिल सकती है और उसके लिये यह सरकार बराबर बात करती रहती है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं सन् १९४७ में जब कि पे कमेटी बैठी थी। इधर भी कुछ सुविधा दी गई हैं और कुछ स्केल में भी इजाफा हुआ है। आने-जाने के खर्चे, मकानों में रहने का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई को कुछ हद तक फ्री करना, मेडिकल सहायता, कोई आपत्ति आ जाय तो एस० पी० के पास ऐसे साधन रहें जिससे वह तुरन्त उनकी सहायता कर सके, अगर ड्यूटी करते हुये ऐसी घटना में उसकी जान चली जाय, जिसका जिक्र गज्जूराम जी ने किया, उसकी सहायता करने की बात, फैसिलिटी और एमेनिटी आदि, अगर पूरी तनख्वाह नहीं दे सकें, तो इसको करने की हमने कोशिश की है। बावजूद इन सब बातों के इस दिशा में जो कुछ भी करना जरूरी है वे सब बातें पुलिस कमीशन के सामने हैं। जो उनकी ड्यूटी हैं और जो हम उनको देते हैं उनमें कहां तक अनुपात है, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिये और उस परिवर्तन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक कोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। कमीशन के सामने उन प्रश्नों को रखा गया है।

मान्यवर, २,३ बातें और ऐसी हैं जो विशेष रूप से यहां पर कही गईं और जिनका मुझे दुख है। गौरीशंकर राय जी ने कहा कि पार्टी के काम के लिये पुलिस का यूज किया जाता है। अब इस सम्बन्ध में बड़ी नम्रता के साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह बिलकुल निराधार लान्छन है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है। यह बिलकुल गलत बात है। पुलिस का कभी पार्टी

के काम में यूज नहीं किया जाता है। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। वह उस समय कुछ क्रोध में थे। हमारे एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा था वह उससे अनुप्राणित हो उठे। अब मैं यह समझता हूं कि यह बात अनुचित है कि ऐसा किया जाय। जिस बात का कोई आधार न हो उसे केवल अपने संदेह और शक में कह दिया जाय, यह अनुचित है। पुलिस कभी पार्टी के लिये नहीं यूज की गयी है और न कभी यूज की जायगी. . . .

श्री सुरथबहादुर शाह---क्वेश्चन। क्वेश्चन।

श्री कमलापति त्रिपाठी---आन्सर आन्सर। हियर इज दि आन्सर। यह लान्छन है और गलत है। इसके अगर कोई प्रमाण पेश किये जांय तो यह बात कही जा सकती है। कोई घटना बतायी जाय कि फलाँने स्थान पर पार्टी के काम में पुलिस यूज की गयी और उसके प्रमाण पेश किये जांय और फिर देखा जाय कि उस लान्छन में कोई तथ्य है या नहीं।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्वेश्चन। क्वेश्चन।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या आप जांच कमेटी बैठाइयेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जांच कमेटियां तो बनायी जाती हैं। पहले आप आधार पेश कीजिये। जांच कमेटियां तो बनती रहेंगी। कमीशन मौजूद है। इधर-उधर की बात कह दी जाती है। मुझे तो इस बात की सूचना है कि हमारे विरोधी दलों का प्रभाव अधिक पड़ जाता है .....

श्री सुरथबहादुर शाह---क्वेश्चन। क्वेश्चन।

(व्यवधान)

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं. . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझ गया आपकी व्यवस्था का प्रश्न। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मुझे आपको विश्वास कराना आता नहीं। आप अगर इस बात के तथ्य और साधारणता में विश्वास नहीं करते तो मैं आप को विश्वास नहीं दिला सकता। मैंने कहा और कहता हूं कि आप ने जो कहा है वह निराधार है, वह अनुचित लान्छन है। अगर आप बता दें कि फलाने स्थान पर फलां घटना में पार्टी के काम में पुलिस का प्रयोग किया गया तो मैं आपकी आज्ञा से मान्यवर, यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उस के लिये और उन अधिकारियों के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है वह करने की कोशिश की जायगी।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैंने तो डिफाई किया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अरे भाई, सुन लो। मैं इसलिये कह रहा था. . . .

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---मेरा भी एक चार्ज है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बिना इजाजत बोलने लगे हैं। आप बैठें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं निवेदन यह कर रहा था कि हम और आप यहां बैठे हैं और हम लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव भी है। किसी भी सरकार के लिये यह बहुत खतरनाक बात होगी अगर वह पुलिस का अपने पार्टी इंटरेस्ट के लिये प्रयोग करे और ऐसे समय जब कि आप देश में लोकतंत्र की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उसमें पार्टियां आती और जाती हैं और अगर वे पार्टियां अपने काम के लिये पुलिस का प्रयोग करने लगेंगी तो बहुत बड़ा खतरा हो जायगा क्योंकि फिर नहीं मालूम कि कौन-कहां, कब खिसकता-खिसकता कहां रहेगा। तो यह कभी किया नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जाता, नहीं किया जायगा और कभी हमने किया नहीं है। अगर ऐसी घटना हो और यदि उसका आपको ज्ञान हो तो हमें वह बतलायी जाय और हम उसको देखेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या जांच करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बात यह है कि हर बात का उत्तर उसी भाषा में, उसी रूप में, मान्यवर, मुझे देने का अभ्यास नहीं है। मैंने सीखा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह बहुत अच्छी बात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने सीखा नहीं है इसलिये कि मुझको कभी सिखाया नहीं गया है। लेकिन मैं यह कह रहा था कि मैं अपने मित्रों, जो उधर बैठे हैं, की बात पर, उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं करता। यह नहीं कहता कि वे हमें बदनाम करने के लिये यह आरोप लगा रहे हैं। मैं यह जरूर कहता हूं कि यह आक्षेप निराधार है और अगर इसकी जानकारी हमको करायी जायगी तो हम उसके लिये कार्यवाही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि आप ने हमारे दल को बदनाम करने के लिये यह लांछन लगाया। आप दस बातें कहें, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन उसी भाषा में जवाब देने का तरीका मुझे मालूम नहीं है। इतना ही कहता हूं कि उस बात का कोई आधार नहीं है और अगर घटना मालूम हो तो उसका परिहार करने की हम पूरी चेष्टा करेंगे, इसलिये कि मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के भविष्य के लिये भी और यहां जिस प्रकार का जीवन बनाने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं उसके लिये भी, यह बड़ी खतरनाक बात होगी अगर पुलिस का प्रयोग कोई पार्टी, जो शासन में आ गयी हो, अपने काम के लिये करे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिये वह खतरे की बात होगी और भविष्य के लिये, हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही हानिकारक बात हो जायगी। जिसको देश और प्रदेश के हित की जरा भी चिन्ता है उसको ऐसा करना नहीं चाहिये। अगर हमको मालूम हो जाय कि ऐसी घटना हुई है तो हम अवश्य ही उसके प्रतिकार और परिहार का प्रबन्ध करेंगे और उसके लिये चेष्टा करेंगे। हां, मैं समझता हूं ऐसी बातों का आधार क्या है? मेरे पास इस तरफ के बहुत से माननीय सदस्यों की अक्सर शिकायतें आती हैं कि फलां थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, फलां थाने में उनकी बात नहीं सुनी गयी। मैं कहता हूं कि अगर विरोधी दलों की यह बात मान भी ली जाय कि वे लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो यह कहना बिलकुल गलत है कि वे पार्टी के काम करते हैं। जहां तक उनकी बात न सुने जाने की बात है, कुछ व्यक्तिगत बातें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन सबके लिये ऐसा कहना अनुचित है। कुछ व्यक्तिगत बातें तो हो सकती हैं, लेकिन वह भी नहीं होना चाहिये, और अगर ऐसी कोई भी बात मेरे सामने आयेगी तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा।

श्री गौरी शंकर राय—जज ने अपने जजमेंट में लिखा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—लिखा होगा, यह मैं नहीं कहता। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे भी नहीं होने चाहिये। व्यक्तियों की बात दूसरी है। किसी थाने पर किसी का रौब हो और उसकी शक्ल देख कर कोई थानेदार कुछ काम कर देता हो वह बात दूसरी है। किन्तु पार्टी में उसका प्रयोग किया जाता है यह बात गलत है। व्यक्तिगत प्रभाव में कहीं कोई कार्य हो सकता है, किन्तु यह भी नहीं होना चाहिये। सरकार की कोई पालिसी इस तरह की नहीं है। किसी के खिलाफ भी अगर कोई शिकायत होगी तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी। विरोधी भाई कहते हैं क्वैश्चन क्वैश्चन, तो ऐसी कोई बात नहीं है।

दूसरी बात, मान्यवर, यह है कि पुलिस के काम करने के ढंग में परिवर्तन होना चाहिये। इस विषय में उनका दृष्टिकोण नहीं बदला यह शिकायत काफी की गयी है। मैं समझता हूं कि जितना परिवर्तन होना चाहिये उतना नहीं हुआ है, किन्तु यह बात सही है कि उनके दृष्टिकोणों में एक अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, कुछ व्यक्तियों की

बात तो मैं नहीं कहता संभव है कि उनके तौर तरीके गलत हों, और वे नहीं होने चाहिये, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसा कि उधर के लोगों ने भी जिक्र किया, जिन्होंने अपनी जिन्दगी को खतरे में डाल कर काम किया है और करते हैं। पुलिस का और जनता का सम्बन्ध एक सेवक और स्वामी का सा हो, यह सभी चाहते हैं। पुलिस का कार्य सचमुच ऐसा हो जाय जिससे कि वह जनता का विश्वास प्राप्त कर ले और वह यह समझने लगे कि वह उनकी रक्षक है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो पायेगी, यह होकर रहेगी। जनता का विश्वास उसे प्राप्त होगा और होकर रहेगा। यह मैं मानता हूं कि उसमें जिस हद तक सफलता मिलनी चाहिये उतनी सफलता हमको नहीं मिली है। जनता की सेवा में काफी कार्य पुलिस ने किया है। चिल्डरेन्स ऐक्ट के मातहत भी काफी काम पुलिस ने किया है और हर काम में पुलिस का प्रयोग किया जाता है जिससे जनता को लाभ होता है। सर्विस स्क्वैड बने हुये हैं, राइफल क्लब हैं, और भी इस तरह की चीजें हैं जिनसे काफी सेवा हमारी यह करते हैं। इसलिये जो १००, १५० वर्ष की परम्परा हमारी रही है उसको बदलने में कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा बहुत कुछ अभी हमें करना बाकी है। हमारे पास पुराने सब-इन्सपेक्टर्स बहुत कम हैं, नई भर्तियां हो रही हैं, प्रतिवर्ष ५०-६० लोग लिये जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी ट्रेनिंग में खासतौर से कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि उससे उनमें एक प्रकार का सेवा भाव पैदा होगा। जहां उनकी बन्दूक की ट्रेनिंग हो, घुड़सवारी की ट्रेनिंग हो, और दूसरी प्रकार की ट्रेनिंग हो, वहां इस प्रकार की भी ट्रेनिंग होनी चाहिये जिससे उनमें सेवा भाव पैदा हो। जैसी आज आवश्यकता है अपने प्रदेश में, इस प्रदेश में जहां आप लोकतंत्र की स्थापना करने वाले हैं, जितना प्रयत्न किया गया था उसका कितना लाभ पहुंचा है, इसके बारे में देखने की आवश्यकता है और भविष्य में उसको कितना आगे बढ़ावें जिससे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके बारे में भी देखने की आवश्यकता है और यह बहुत बड़ी खास वजह थी। तो इन प्रश्नों को विचार करके पुलिस कमीशन की स्थापना की कि वैलुएशन हो, वह इस बात को बताए कि इस दिशा में जो किया गया है उसका कोई नतीजा निकला या नहीं, और इस दिशा में यदि कुछ करना है तो उसका समय आ गया है। १०-११ वर्ष का समय बीत गया, अब क्या हो सकता है, ट्रेनिंग में क्या किया जाय, उनके कायदे-कानून में क्या परिवर्तन किया जाय, उनके सारे तौर-तरीके और जो ड्यूटीज और राइट्स हैं उनमें क्या परिवर्तन किया जाय जिससे नये विचार उनमें उत्पन्न हो सकें, इस प्रश्न पर विचार करके एक स्कीम सामने आये इसीलिए कमीशन बना है।

डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जाती है। इसमें हमारे चन्द्रजीत जी ने कहा कि कारपोरेशन को दे दो। लन्दन की पुलिस की बात कही जाती है कि कारपोरेशन के अन्डर है। ठीक है। कारपोरेशन के अन्डर पुलिस को देने से और फिर सारे प्रदेश में पुलिस क्या अपनी लोकल बाडीज को दे दी जाय--गांव सभा को या अन्तरिम जिला परिषद् को या कहीं और। इनको देने का फल आज की ऐसी परिस्थिति है उसमें क्या हो सकता है, यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके ऊपर आज हम कोई फैसला कर सकें। यह एक खतरनाक बात हो सकती है। किसी प्रदेश की आन्तरिक और वाह्य शान्ति की व्यवस्था के लिए जो प्रबन्ध हो उस प्रबन्ध में जो कुछ परिवर्तन करना हो, सोच समझ कर ही कर सकते हैं। आज अपने प्रदेश की जो आन्तरिक या वाह्य स्थिति है वह साधारण स्थिति नहीं है। हमने इस मामले को कमीशन के सुपुर्द कर दिया है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पुलिस फोर्स के, कि वह तमाम प्रश्नों पर विचार करके अपना सुझाव दे। है टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात है और इसीलिए हमने सुपुर्द किया। कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि उसकी वजह से पुलिस के सारे काम करने के ढंग में एक परिवर्तन आ जायगा, जनता के अधिक नजदीक आ जायगी। ट्रेनिंग के मामले को भी उसी के सुपुर्द किया जाय कि उसमें कौन सा परिवर्तन किया जाय। एक पुराना ढंग चला जा रहा है। १८ वर्ष या २० वर्ष का लड़का लिया जाता है और सीधे-सीधे वह स्कूल से आता है। कोई वजह नहीं है कि पुलिस के डिपार्टमेंट में जाते ही जनता से उसका सम्पर्क भी टूट जाय, उसका रुख

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

भी बदल जाय क्योंकि गया तो होता है समाज से ही, इसलिए उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाय जिससे उसका दृष्टिकोण हमारी स्थिति के अनुसार जगे। ये सारे प्रश्न उस कमीशन के सामने होंगे।

और जो टीका-टिप्पणी हुई, उसकी जो बुनियादी बातें हैं, उसमें कोई मत-भेद नहीं है। उसको कैसे करें और करने के वक्त में क्या हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा आर्थिक, और आज की जो समाज की स्थिति है उसमें किस सीमा तक उसको करें और किस तरह से फेज आउट करें, इतना सा ही प्रश्न है और मैं समझता हूं वह कमीशन के विचाराधीन है। मैं ऐसा मानता हूं कि जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आने वाली है। जब वह आ जायगी तो तदनुकूल परिवर्तन करने की पूरी चेष्टा आप सबके सहयोग से होगी, क्योंकि वह हमारे प्रदेश की आवश्यकता है।

अब एक बात और कह करके मैं समाप्त करूंगा और वह यह कि हमारे चन्द्रजीत जी ने कहा कि लाठियां चलवाईं पुलिस से विश्वविद्यालयों में, और विश्वविद्यालय में अपनी पुलिस को भेज करके कब्जा कर लिया और विश्वविद्यालयों की पवित्रता को अपवित्र लोगों या अपवित्र पुलिस को भेज करके नष्ट कर दिया। अब इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि कभी पुलिस लाठी चला दे या गोली चला दे और बल का प्रयोग कर दे तो इस बात को कभी कोई पसन्द नहीं कर सकता कि गोली चलाई जाय। अपने प्रदेश में किसी भी स्थान में किसी भी कारण से पुलिस की लाठी से या गोली से किसी की मौत हो जाय तो उसको कोई भी सरकार चाहे वह इधर की, हो या उधर की हो की या कोई भी सरकार हो, जो उस व्यवस्था को जिसे आप और हम सब यहां पर लाना चाहते हैं उसकी चेष्टा करते हुये कभी पसन्द नहीं कर सकती और उसे कभी इससे प्रसन्नता नहीं हो सकती। लेकिन आप यह देखें कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तो हम क्या करें। कोई वाइस-चांसलर है वह यह कहता है हमारे ऊपर खतरा है, हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है, अध्यापक खतरे में हैं और जिले के अधिकारियों को वह लिखता है कि आप हमारी रक्षा कीजिये, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो? क्या हम कह दें कि वह उनकी रक्षा न करे? फिर अगर कहीं गड़बड़ हो जाय तो यही प्रश्न किया जायगा कि लिखने के बावजूद भी सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। हम जायं तो पवित्रता नष्ट होती है और न जायं तो फिर क्या करें? हम कभी भी वाइस-चांसलर की इच्छा के विरुद्ध विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं गये। उनकी इच्छा पर ही विश्वविद्यालय में या किसी दूसरी शिक्षा संस्था में पुलिस गई और उनके यह कह देने के बाद कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, एक मिनट भी पुलिस वहां नहीं रही। अनुशासनहीनता न हो इसके लिये प्रबन्ध किया गया पर अनुशासन-हीनता हो जाय तो हम क्या करें? और अनुशासनहीनता हो रही है, खतरा मौजूद है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम-खतरे में पड़े हुये हैं तो उस वक्त हम क्या करें। उस समय आप क्या राय देंगे? ऐसी ही परिस्थिति में पुलिस गई है। मैंने यह निवेदन किया कि अगर प्रदेश में आप जनता की सरकार बनायेंगे और वहां पर अगर पुलिस जोर जबरदस्ती से हुकूमत करने लगे, तो यह कभी किसी सरकार के लिये हितकर नहीं होगा। कभी भी कोई सरकार नहीं चाहेगी कि इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो मगर वैसी परिस्थिति हुई तो हम क्या करें। जिनके ऊपर कर्तव्यों का भार होता है उन्हें अपना कर्तव्य करना पड़ता है। जब हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं होता तभी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है।

आपने यह मांग की कि हर जगह जुडिशियल इंक्वायरी की जाय। हर जगह जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती, जहां पर जरूरत होती है वहां पर कराई जाती है और जहां पर जरूरत हुई वहां पर कराई भी गई। यद्यपि मैं बिलकुल निश्चित नहीं हूं परन्तु जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा यह पहला प्रदेश है जहां पर पिछले दो चार वर्षों के बीच फायरिंग के बाद जुडिशियल इंक्वायरी हुई हो।

श्री गौरीशंकर राय--पी० एस० पी० की गवर्नमेंट ने केरल में कराई थी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अच्छा पी० एस० पी० की गवर्नमेंट ने कराई होगी । हम उन्हीं का पदानुसरण कर रहे हैं और आप को गुरू मान लेते हैं । पी० एस० पी० बेचारी दो टुकड़ों में हो गई....तो मैं कह रहा था कि इस बीच में यहां पर दो-दो इंक्वायरीज हो गईं । तो जहां आवश्यकता होती है वहां पर हम इंक्वायरी कराते हैं । खैर, प्रशासन का चलाना भी बहुत जरूरी होता है और यह देखना पड़ता है कि किस स्थान पर कब कहां कौन चीज की जाय ।

अब जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, मुझे इस बात की खुशी है कि विरोधी दलों ने पुलिस ने जो अच्छे काम किये हैं उनके लिये उसकी प्रशंसा की है और यह भी भावना व्यक्त की है कि अगर उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रबन्ध किया जाय तो उसका विरोध नहीं होगा । ऐसा प्रायः सभी ने कहा है । इसकी हमें प्रसन्नता है । यदि हम यह कहें कि हमारी पुलिस में जो कमजोरियां, इंसान में होती हैं वे नहीं हैं और शिकायतों का भी नामोनिशान नहीं है तो यह हठधर्मी और दुराग्रह की बात होगी । इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि जितना कार्य इस प्रदेश की पुलिस के ऊपर आया और बाहरी प्रदेशों में भी उसने जो कार्य किया है उससे लोगों को सन्तोष हुआ है और हमारे प्रदेश के लिये यह गौरव की बात है । रोजाना के शासन में कमजोरियों को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिये । जिस सीमा तक हम सफल अभी नहीं हुये हैं उसका हमें दुख है । हम किसी प्रदेश से तुलना नहीं करते । जितने कम खर्च और संख्या में और जितने अधिक काम का बोझ और उत्तरदायित्व इस प्रदेश की पुलिस के जिम्मे पड़ा उतना मैं समझता हूं कि किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस पर नहीं पड़ा । तमाम कमजोरियां और कठिनाइयों के रहते हुये जिस दृढ़ता के साथ हमारी पुलिस ने अपना कर्त्तव्य पालन किया उसके फलस्वरूप दूसरों की सराहना और प्रशंसा उन्होंने ली है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--आपके यहां गोली कितने बार चली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो आप स्वयं भी जानते हैं और जहां आपकी पार्टी की सरकार थी वहां दसियों बार चली ।

मान्यवर, मैं अब समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय सदन इस अनुदान को स्वीकार करे ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है :--पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जन-विरोधी कार्यों की आलोचना बढ़ते हुये अपराधों के छिपाने की प्रवृत्ति एवं अवैधानिक जांच के ढंगों में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता । जनता और पुलिस के बीच की खाई को दूर करने का सुझाव ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अब २ बज चुके हैं और यह अनुदान २ बजे तक के लिये था । २ बजने से पहले समय बढ़ाना चाहिये था जो नहीं किया गया । इसलिये मैं समझता हूं कि अब इस पर वोटिंग का समय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--चेयर को अधिकार है कि कुछ समय बढ़ा सके । मुमानियत सिर्फ ११ बजे से पहले और ५ बजे के बाद होने का प्रश्न है ।

श्री राजनारायण--नियमों के मुताबिक १५ मिनट के लिये आप ऐसा कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--सदन की सहमति से ही तो दो बजे हो रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर वोटिंग लाबी में करा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता । अनुदानों के बारे में रोज प्रश्न आ सकते हैं, नीतियों पर मतभेद हो सकता है । मैं हाथ उठवा कर ही मत लूंगा ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में ---४२ ,
विपक्ष में-----१२२ ।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, कुछ मेरा भी निवेदन सुन लिया जाय । अब तो इस सदन में होता क्या है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष---कृपया आप बैठें । मैं पुजारी जी को यह बतला देना चाहता हूं कि वह बार बार बिना चेयर की आज्ञा के बोलते हैं और अभी तक मैंने यही किया है कि कार्यवाही से उनका हिस्सा हटा दिया है और प्रेसवालों से प्रार्थना की है कि वह न छापे । लेकिन अगर उनका यही तरीका जारी रहा तो मजबूरन सदन को कुछ सख्त कार्यवाही करनी होगी । इसलिये उनकी बुजुर्गी का ध्यान रखते हुये मैं यह निवेदन करता हूं कि बिना चेयर की इजाजत के वह भाषण करने का प्रयास न करें ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मैं तो चेयर का बहुत आदर करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८---पुलिस, लेखा शीर्षक २९---पुलिस के अन्तर्गत ९,८५,९५,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१२४,
विपक्ष में-८४३ ।

अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०---शिक्षा, लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १७,२२,९६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं अधिक समय इसमें लेना नहीं चाहता । मैं बहुत शीघ्र ही दो तीन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करके चाहूंगा कि आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों की सम्मतियां सुनूं और उनके सुझाव जानने और समझने का प्रयत्न करूं । सन् १९५९-६० का जो बजट है वह १६ २०० ७,८०० रुपये का था और अब वह ६०-६१ में १७,२२,९६,२०० रुपये का हो गया है । इससे ज्ञात होता है कि इस साल १,०२,८८,४०० रुपये की वृद्धि हुई है । माननीय सदस्यों ने इस बात को भी देखा होगा कि यह वृद्धि सभी आइटम्स में हुई है । जैसे विश्व विद्यालय और डिग्री कालेजेज के सम्बन्ध में १० लाख रुपये की वृद्धि है, माध्यमिक स्कूलों के लिये ५३ लाख की, प्रारंभिक शिक्षा के लिये २० लाख की, इसके अतिरिक्त छात्रवृत्तियों और एन०सी०सी० तथा पी० ई०सी० आदि पर भी है ।

अब इसमें एक तो हमारा नार्मल बजट है जो प्रति वर्ष चलता है और दूसरा प्लान का बजट है । नार्मल बजट गतवर्ष १२,८९ लाख रुपये का था, जबकि इस साल १३,३५ लाख रुपये

का है। प्लान बजट पिछले साल ३,३० लाख रुपये का था जो इस वर्ष ३,८७,४१,००० रुपये का है। अब अगर हम यह विवेचन करें कि प्लान बजट का जो रुपया है वह किस मद में अधिक खर्च हो रहा है तो यह आपको आंकड़ों से अंदाजा लग जायगा। प्लान बजट का ६५ प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा पर खर्च हो रहा है, १६ प्रतिशत माध्यमिक पर और १० प्रतिशत विश्वविद्यालय की शिक्षा पर,

(इस समय २ बजकर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुये।)

७ परसेंट मिसिलेनियस है, जैसा मैंने कहा, एन०सी०सी० आदि पर। इस प्रकार यह बजट का एक स्वरूप है संक्षेप में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी चीजें जो कुछ हुई उनके विषय में मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसकी पुस्तिका बंट गयी है, आंकड़े की भी पुस्तिका बंट गयी है और उसे बार-बार दोहराने से कोई विशेष लाभ नहीं है। ऐसा दिखता है कि हमारे कुल बजट का करीब ४८ प्रतिशत तो प्राइमरी शिक्षा पर है, २३ प्रतिशत सेकेंडरी शिक्षा पर है और डिग्री तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा पर १० प्रतिशत है तथा १४ प्रतिशत उन तमाम नये और विविध विषयों के ऊपर है जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चलते रहते हैं। इस प्रकार यह बजट का एक स्वरूप बनता है।

हमारे सामने कुछ समस्यायें हैं जिनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह आयेगा भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता ह कि जो यह वर्ष बीता है इसमें टीचर्स की पे के सम्बन्ध में कुछ किया जा सका और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी कुछ किया जा सका। पिछले दो वर्षों में प्राइमरी अध्यापकों की वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में भी कुछ हुआ जिसे मैं यद्यपि बहुत नाकाफी समझता हूं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ वह यह कि साढ़े ७ रुपये की वृद्धि उनको मिली। अभी डिग्री कालेजों के अध्यापकों की कुछ मांगें हैं और वह यह कि जो दो स्केल रखे गये हैं सीनियर और जूनियर के, वह उनको पसन्द नहीं हैं। यह विषय सरकार के विचाराधीन है और हम उस पर विचार भी कर रहे हैं और वित्त विभाग से भी परामर्श हो रहा है। फिर भी सरकार के ऊपर जो खर्चा बढ़ा है, सेकेंडरी तथा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि की वजह से, उसका सारा बोझ सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है जो करोड़ों रुपये तक पहुंचता ह।

गत वर्ष हमने सोचा था कि प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क रखें यानी दर्जा ५ तक की फीस माफ हो जसा कि एक वर्ष से माफ किया गया है। कुछ सदस्यों का विचार था और कुछ सदस्यों ने इस हाउस में और उस हाउस में भी कहा कि दर्जा ६,७ और ८ के जूनियर हाई स्कूलों की जो जूनियर कक्षायें हैं उन्हीं में पहले फीस माफ करावें। कुछ लोगों का विचार था कि इससे जो पैसा बचे उसे अध्यापकों की वेतन वृद्धि में लगाया जाय। पर सदन की राय की हुई कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये और दर्जा ६ तक की फीस माफ हो सकी जसा कि माननीय सदस्यों ने देखा है कि १९६०-६१ में दर्जा ६ तक की फीस माफी में खर्च का बोझ करीब १ करोड़ रुपये तक पहुंचता है। हमारे यहां बच्चों की तादाद बढ़ी है और अध्यापकों के वेतन का भी बहुत बड़ा भार सरकार के ऊपर आ गया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पूरी तरह से ज्ञात है इस प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में कदाचित् भविष्य में बहुत बड़ा भार उठाना पड़ेगा। क्योंकि इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे लिये यह बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में हमको बैकवर्ड समझा जाता है।

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से जो लिस्ट निकलती है उसमें जो बैकवर्ड प्रदेश कहे जाते हैं प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। बहुत लम्बी चौड़ी बात तो हम करते ही रहते हैं और बैकवर्ड प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में हैं और बैकवर्डस का जो खाका सामने आया है उससे ऐसा पता लगता है कि देश के एक प्रदेश को छोड़ कर शायद वह उड़ीसा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नम्बर १२ वां है।१३ प्रदेशों में हमारा बारहवां नम्बर है। शिक्षा का प्रसार तो बहुत

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हुआ। आंकड़े आप के पास मौजूद हैं उनसे आप देखेंगे कि विद्यार्थियों की तादाद बढ़ी है। सन् १९४६ के मुकाबिले में प्राइमरी में विद्यालयों की संख्या में ८१ प्रतिशत वृद्धि हुई है, छात्रों की संख्या १२३ प्रतिशत बढ़ी है और अध्यापकों की संख्या १०९ प्रतिशत बढ़ी है। कुछ पहले से मुकाबला करें तो और अधिक दिखाई पड़ेगा, यह मुकाबिला सन् १९४६ से किया है जब से स्वतंत्रता आई और यहां की सरकार के हाथ में शासन आया और काम शुरू हुआ। मैं स्वयं ही कह रहा हूं कि अभी यह बहुत कम है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

मैं कह रहा हूं कि हमारे लिये यह अभी लज्जा का विषय है, गंगा और यमुना की शरण हमने ली है, उपनिषद् और वेद यहां बने और आज यह तमाशा है। हालाँकि यहां की रिपोर्ट यह भी है कि शुरू-शुरू में जब प्राइमरी एजूकेशन शुरू हुई तो पहला कदम १९ वीं शताब्दि में उत्तर प्रदेश ने ही उठाया था। १८२०–२१ तक यह रहा, उसके बाद १८५७ के बाद इस चीज को तोड़ने की कोशिश की गई। (एक आवाज: आप विराजमान हैं तो और क्या होगा ?) हम तो आप की कृपा से ही विराजमान हैं। जिस दिन आपका अनुग्रह न होगा हम भी चटकाते हुये बाहर चले जायेंगे। मैं कह रहा था कि ८१ प्रतिशत प्राइमरी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, छात्रों की संख्या में १२३ प्रतिशत वृद्धि हुई और अध्यापकों की संख्या में भी १०९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इतना सब होने के बाद भी आज जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी तादाद ३५ लाख है, सन् १९५७–५८ में यह तादाद ३३ लाख थी, २ लाख १९५८–५९ में बढ़ गई, इस तरह से यह २ लाख प्रतिवर्ष के औसत से बढ़ रही है। यह वृद्धि है परन्तु फिर भी प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात से वह बहुत ही कम है, यह केवल ३३ या ३४ प्रतिशत है। यह लड़कों की तादाद तो फिर भी कुछ है, सन् १९४७–४८ के मुकाबिले में वह ६० प्रतिशत बढ़ी है लेकिन लड़कियों की तादाद तो बिलकुल गायब है, वह तो १४–१५ प्रतिशत से अधिक नहीं है, प्राइमरी में भी पीछे हैं। (एक आवाज: लड़कियां स्कूल जाने में डरने लगी हैं) यह भी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन प्राइमरी की लड़कियों के विषय में तो यह कहना ठीक नहीं है। किसी भी कारण से हो लेकिन लड़कियों की रुचि अभी इधर कम है, देहातों में दूर-दूर स्कूल हैं। लड़कियां एक दो मील तक नहीं आ पातीं हैं और फिर उतनी ही दूर उन्हें वापस भी होना पड़ता है इसलिये यह एक उन की समस्या है, छोटी लड़कियां फासले की वजह से नहीं जा सकतीं और जो बड़ी हाई स्कूल की लड़कियां हैं वह भी १४-१५ वर्ष की आयु की होती हैं उनको भी ४–५ मील देहात में जाना कठिन है। उनकी तादाद कम है, चाहे कारण कुछ भी हों, बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं। प्राइमरी क्षेत्र में और विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और सेकेन्डरी स्कूल के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। डिगरी कालेज में भी हमारी संख्या ५ हजार से ७ हजार तक पहुंची है। हायर सेकेन्डरी में भी २९२ प्रतिशत संख्या बढ़ी है ५०६ से १६३२ हुई है और २ लाख से ७ लाख विद्यार्थियों की तादाद है। २९२ परसेन्ट विद्यार्थियों की वृद्धि हुई।

अब यह समस्या हमारे सामने है कि बैकवर्डनेस कैसे दूर हो। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बातचीत चल रही है। अभी एक मीटिंग भी हुई थी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी। ऐसा लगता है कि इस दिशा में जब तक केन्द्र से हमें सहायता न मिले, तेजी केसाथ हम पूरा नहीं कर सकते। ८५ परसेंट और १०० परसेंट करने के लिये जिस धन की आवश्यकता होगी उसमें भारत सरकार की सहायता हमें चाहिये। तभी चल सकता है। करीब ५० करोड़ पहुंचता है अगर हम ८५ परसेंट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार भी उत्सुक है कि संविधान में प्राइमरी शिक्षा के विषय में जो निर्णय है कि दर्जा ५ तक की पूरी तरह से फीस माफ हो और कम्पलसरी हो, वह लक्ष्य किसी तरह से सिद्ध किया जा सके। उसके लिये वह प्रयत्नशील है और चेष्टा कर रही है प्रदेशों की सहायता करने की। जिस साल का बजट पास हो रहा है वह इस प्लान का अन्तिम वर्ष है इसके बाद ही तीसरा प्लान शुरू होगा। तो उसके लिये वह चेष्टा कर रहे हैं।

दूसरी हमारी दिक्कत अध्यापिकाओं की है और ट्रेन्ड अध्यापकों की भी दिक्कत है। बजट के साहित्य में मौजूद है, भारत सरकार से सहायता मिली है, नार्मल स्कूल खोले गये ह, लड़कियों के भी स्कूल खोले गये हैं। कोशिश यह है कि अध्यापिकायें देहातों में जायं। शहर की पढ़ी लड़कियां अगर देहात में जायं भी तो कहां रहें? कोई जगह होती नहीं। तो उनके कुछ क्वार्टर्स वगैरह बनायें जायं, इसके लिये भी रुपया मिला है, प्रश्न केवल इतना है कि हम कितने साधन जुटा सकते हैं और कितनी तेजी से बच्चे और बच्चियों की प्राइमरी शिक्षा के काम को पूरा कर सकते हैं।

जहां तक हायर सेकेन्डरी शिक्षा का ताल्लुक है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट में थोड़ा बहुत माननीय सदन ने परिवर्तन किया है। उससे कुछ सिक्योरिटी हुई है। वेतन में कुछ वृद्धि की गई है। स्केल हुआ है और जो स्केल हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। हमारे हायर सेकेन्डरी स्कूल्स की एक ही प्राब्लम है जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो कम्प्रीहेंसिव बिल की बात इंटरमीडिएट एजूकेशन के बारे में थी, वह अब भी जागृत अवस्था में है या स्वप्न जगत में है? तीन साल तो हो गये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जागृत जगत में है और कुछ सचेष्ट भी है। कम्प्रीहेंसिव बिल की आपने याद दिलाई। जैसा मैंने निवेदन किया, तेजी के साथ चल रहा है। शायद बजट के बाद आप लोगों से कुछ सलाह लेने का मौका मिले और शायद कुछ कर सकें। लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह है कि कई सौ हमारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि ग्रान्ट इन ऐड की लिस्ट में नहीं हैं। १,६०० में से १,३०० के करीब को अनुदान मिलता है। ३०० के करीब हैं जो अनुदान के लिस्ट में नहीं आये हैं। उनके लिये यह दिक्कत भी है कि जो मेंडेटरी स्केल अध्यापकों का हुआ है वह कैसे दे सकेंगे। इस विषय में भी कुछ योजना सोच रखी है। कुछ कह नहीं सकता। प्रतिवर्ष ६० विद्यालयों को हम ग्रान्ट इन ऐड की लिस्ट में ले आते हैं, जिनको आरंभिक अनुदान दिया जाता है। जितना उनका खर्चा है और जितनी उनकी आमदनी है उसका जो घाटा है वह घाटा सरकार पूरा करती है और वह आवर्त्तक हो जाता है और प्रतिवर्ष बढ़ता भी है क्योंकि खर्चा बढ़ता है। जो वह अनुदान पा जाता है, जिसे कि प्रारम्भिक अनुदान कहते हैं, उससे उन्हें मेंटेनेन्स का एक साधन प्राप्त हो जाता है। असल में बात यह है कि जो नये ग्रेड बनाये हैं उसी के हिसाब से जोड़ करके उनको ग्रान्ट मिलेगी और जिनको अनुदान नहीं मिलती है उनके लिये दिक्कत होती है कहां से वह अध्यापकों को वेतन देंगे। वही ग्रेड नहीं दे पाते हैं जो उनको देना चाहिये और ऐसे स्कूलों की तादाद ३००, ३५० के करीब है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको अनुदान की सूची पर ले आया जाय। उस विषय में कुछ सरकारी बातचीत हो रही है, जो कुछ हमसे हो सकेगा, करने की कोशिश की जायगी।

इसके अलावा २ यूनिवर्सिटीज का भी मामला है, यह प्रश्न बार-बार उठा करता है। सरकार के सम्मुख दो विश्वविद्यालयों की मांग बहुत जबरदस्त है, एक मेरठ की और दूसरी कानपुर की। मान्यवर, हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की तादाद अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अधिक है। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है और इतनी तादाद होती चली जा रही है डिग्री कालेजेज की और लड़कों की। इस समय हमारी २,३ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो रेजीडेंशियल हैं, इलाहाबाद जिसमें वहां के ३,४ कालेजेज ऐफीलियेटेड हैं और लखनऊ जिसमें शहर के ८,१० कालेजेज ऐफिलियेटेड हैं। एक आगरा की ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ऐफिलियेटिंग कैरेक्टर की है और सारे सूबे के कालेजेज उससे ऐफिलियेट होते रहे। अब गोरखपुर में टीचिंग साइड भी है और ऐफिलियेटिंग भी है, यानी टीचिंग-कम-ऐफिलियेटिंग, थोड़ी बहुत रेजीडेंशियल भी। फिर भी मेरठ और कानपुर की मांग है। अब व्यवस्था यह है कि कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती जब तक कि भारत

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सरकार का यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन अनुमति न दे दे । भारत सरकार से अनुमति लेने के पूर्व हमने अपने विभाग की दो, दो कमेटियां बैठायी थीं और उन्होंने देख कर यह राय दी कि इन क्षेत्रों की आवश्यकतायें ऐसी हैं कि यहां यूनिवर्सिटीज हों । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को हमने लिखा भी है, उनकी पूरी सहमति तो नहीं, और अस्वीकृति भी नहीं आयी, लेकिन उनकी राय यह है कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए यहां यूनिवर्सिटी हो सकती है और सरकार को उस दिशा में कदम बढ़ाने की इजाजत कदाचित् यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन दे सकेगा । ऐसी उन्होंने राय दी है ।

अब यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहां यूनिवर्सिटीज जो हों, और मैं तो कुछ ऐसा सोचने लगा हूं कि खाली रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाने से काम नहीं चलता है, बल्कि टीचिंग-कम- एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और उसी ढंग की हमारी यूनिवर्सिटीज हों । अब ऐसा ही स्वरूप इनको दिया जाय, या कैसा हो, यह प्रश्न विचारणीय है । जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी कमीशन बनाने की बात है, शीघ्र ही कदाचित् उसकी भी घोषणा होगी । तो उसमें यह प्रश्न रहेगा कि यूनिवर्सिटियां बनाई जायं तो कौन सा स्वरूप हो । अभी तक जैसा स्वरूप है उसमें टीचिंग की साइड नहीं है । दो इंस्टीट्यूशंस हिन्दी व समाज विज्ञान की हैं लेकिन टीचिंग की साइड नहीं है और कालेजेज निकलते जा रहे हैं और उनके स्वरूप में क्या परिवर्तन किया जाय, टीचिंग की साइड शुरू की जाय जो साथ ही साथ एफिलियेटिंग हो ।

एक बात और कह दूं कि हमारे यहां एन० सी० सी० की शिक्षा प्रदेश में भारत सरकार की ओर से चल रही है । उन्होंने एक नई स्कीम एन० सी० सी० राइफल्स की निकाली है और इसमें २० हजार केडेट्स की तादाद होगी और उसमें खर्चा कम होगा । हमारी पी० ई० सी० की जो स्कीम है जो सन् १९४६ से या १९४८ से चल रही है और जिसके सम्बन्ध में सदन में कई बार बातचीत हो चुकी है और जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार से बराबर विरोध मिलता रहा है और जिसे वह उपयोगी नहीं समझती थी, आज प्रसन्नता की बात है कि वह ऐसा समझने लगी है कि यह उपयोगी है और उसका विरोध कदाचित् अब हमें प्राप्त नहीं होगा । पी० ई० सी० में ६३ हजार केडेट्स हैं और उनका खर्चा उतना ही है जितने में कि हम एन० सी० सी० राइफिल्स की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि ५१ जिलों के हेडक्वार्टर पर इसकी ट्रेनिंग मिलने लगे और इस बात की भी चेष्टा है कि देहातों में हम इसका प्रसार कर सकें । इसके लिये जो कुछ भी साधन हमें, प्राप्त होंगे उनके हिसाब से यह शिक्षा चलेगी । अभी हाल में दिल्ली में एक सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई, उसमें इस प्रकार की बात थी कि शिक्षा के बजट में इस प्रकार का कुछ समावेश हो जिसमें समाज में सेवा, कुछ शारीरिक व्यायाम और कुछ सैनिक अनुशासन की शिक्षा लोगों को प्राप्त हो सके । इसके लिये देशमुख कमेटी बनी थी और उसने बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी और उनका करीकुलम वैसा ही है जैसा पी० ई० सी० का है । इसका विस्तार करने की चेष्टा अगले वर्ष में होगी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी निर्मित हो रही है । जिसमें इस बात की चेष्टा व आकांक्षा है कि ८५-९० फीसदी हमारे बच्चे कम्पलसरी प्राइमरी फ्री एजूकेशन के अन्दर आ जायं और इस पर जो कुछ रुपया खर्च हो उसके साधन जुटाये जायं और भारत सरकार से सहायता प्राप्त हो जाय तो और अच्छा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मेरा एक प्रश्न है । उन्होंने यह नहीं बतलाया कि ६ और ११ साल के बीच में ऐसे कितने बालक और बालिकायें हैं जो अशिक्षित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा खयाल ऐसा है कि जितना सर्वे से ज्ञात हुआ है ३४ परसेंट बच्चे तो स्कूलों में हैं और बाकी बाहर हैं ६ से ११ के बीच वाले। ८५ और ९० फीसदी तक कवर करना है तो ८ करोड़ अभी प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं। अब ३७ परसेंट है और इसका दूना या ढाई गुना भी मान लें तो उसके हिसाब से जो खर्चा होगा, पड़ेगा। ५ वर्षों में उसकी हमने स्कीम बना कर भारत सरकार को भेज रखी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह बात सही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवस्थी जी, आप इस तरह से बीच में दखल न दें। बाद में प्रश्न कर लीजियेगा। पहले उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---तो मैं जैसा निवेदन कर रहा था कि उसके लिये अभी शास्त्री जी ने बतलाया कि ३६ नहीं ३८ परसेंट पहुंच रहा है। बहरहाल ३८ भी हो तो बहुत कवर करना बाकी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---लेकिन जो सूचना साल, डेढ़ साल पहले दी थी वह यह थी कि ३३ लाख तो पढ़ते हैं और ५६ लाख के करीब नहीं पढ़ते तो वह परसेंटेज नहीं आता जो माननीय मंत्री बतला रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---डिटेल्स में पूरी फिगर्स बाद में दे दूंगा, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ६२ फी सदी बच्चे आपके प्रदेश के ऐसे हैं ६ और ११ के एज ग्रुप के जिन्हें फ्री कम्पलसरी एजूकेशन प्राप्त नहीं है और हम उसके लिये प्रबन्ध कर रहे हैं, स्कीम भी बनाई है, भारत सरकार से पैसे की भी मांग की है। उन्होंने इतनी सहायता तो कर दी कि ट्रेन्ड टीचर्स हमको मिल जायं, ४८ नार्मल स्कूल उन्होंने खोल दिये हैं जिनमें काफी विद्यार्थी ट्रेन्ड हो जायंगे ताकि प्राइमरी एजूकेशन जब हम शुरू करें तो उसके भार को वे उठा सकें और उसमें कुछ लड़कियों के भी स्कूल खुले हैं।

अब मैं आपकी आज्ञा से सम्मानित सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह कृपया इस अनुदान की स्वीकृति दे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मंत्री जी क्या यह बतलायेंगे कि प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक जो ग्रांट्स मन्जूर की हैं क्या वह पूरी की पूरी इस सरकार ने प्राप्त करके व्यय कर ली हैं या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आपने प्रश्न किया है मैं उत्तर दे दूंगा। कल तो मुझे उत्तर देना ही है। पूरा डिटेल देख लूंगा। कहीं ऐसी बात न हो जाय कि कुछ गलत हो जाय तो आप कहें कि प्रिविलेज हो गया।

श्री राजनारायण---एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के बोलते समय उनके भाषण में बाधा देने की कोशिश नहीं की वरना उनकी गति टूट जाती है और भाषण के बीच में बोलना हम पसन्द नहीं करते हैं। अनुदानों की मांगों पर जब बहस होती है तो अध्यक्ष समय का बंटन करते हैं सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता से राय ले कर और यहां की कुछ परिपाटी भी यही रही है। मैं यह देखता हूं कि वह परिपाटी टूट रही है। उस समय जब पुलिस के अनुदान पर विवाद हो रहा था तो कुछ थोड़ी,सी कटुता भी आयी थी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने १० मिनट का ही अपने लिये समय मांगा था, तो समय की कोई व्यवस्था हुई है या माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पर है कि वह जितने समय तक चाहें उतने समय तक पहली बार बोलें और जितने समय में चाहें उतने समय में उत्तर दें?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं इस विषय को थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूं कि मैंने कोई समय मांगा नहीं था १० मिनट का अपने लिये। यह कहा था कि मेरी यह इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी, १०-२० मिनट में समाप्त कर दूं। मैं बैठना चाहता था लेकिन किसी ने प्रश्न किया और मैंने उत्तर देना चाहा।

श्री राजनारायण--मेरा मंत्री जी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्या यह समय बांधा गया और बाँधा गया तो किस तरह?

श्री अधिष्ठाता--आज कई दिन से अनुदानों पर बहस मुबाहसा हो रहा है। आम तौर से माननीय सदस्यों के लिये १० मिनट का समय और माननीय मंत्रियों के लिये १५ मिनट का समय रहता है। लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय उचित समझें तो वह समय बढ़ा कर १० का १५ और १५ का २० मिनट तक कर देते हैं; और ऐसा भी अवसर आया है कि माननीय राजनारायण जी २० मिनट तक बोले हैं।

श्री राजनारायण--मैं इस पर नहीं जा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--आपको शिकायत है कि माननीय मंत्री जी बहुत देर तक बोले हैं।

श्री राजनारायण--मेरी यह शिकायत नहीं है। मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री जी को आप दो घंटे बोलवायें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर यह समय का बंटन हुआ कब ? हमारी नियमावली में लिखा है.....

श्री अधिष्ठाता--उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं १५ मिनट क्या आपकी आज्ञा से २० मिनट तक बोलता हूं और कभी-कभी आपसे और समय मांगता हूं, आप नहीं देते हैं तो बैठ जाता हूं क्योंकि आपकी आज्ञा का या नियम का उल्लंघन करूं तो या तो सदन से बाहर जाऊं या फिर सदन स्थगित हो और हथियार बन्द पुलिस सदन में आये और लोगों को घसीट-घसीट कर बाहर करे। मगर मैं यह नहीं चाहता कि समय का बंटन माननीय मंत्री जी की सद्इच्छा से ही हो। इसका अधिकार आपको है, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी पक्ष को है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, सदन की अनुमति से यह तय हुआ था कि माननीय सदस्यों के लिये १० मिनट और नेताओं के लिये १५ मिनट का समय रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर ५ मिनट और दिया जा सकता है नेताओं को। यही समय मंत्रियों के लिये नियत था। मगर कभी-कभी विरोधी पक्ष के सदस्य कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं जैसे कि अभी माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट और माननीय अवस्थी जी ने जानकारी हासिल करनी चाही। मैंने कहा कि सदन की सलाह से समय नियत होता है या अध्यक्ष महोदय को इस मामले में इनहेरेंट पावर है कि अगर कोई भाषण हो रहा हो तो थोड़ा बहुत समय बढ़ा दें। यह जो कुछ तय होता है सदन की अनुमति से तय होता है। जो सदन की अनुमति से तय हुआ, वही व्यवस्था कई दिनों से चली आ रही है।

श्री राजनारायण--मैंने इसलिये कह दिया कि पुलिस पर माननीय कमलापति जी ४५ मिनट शुरू में और करीब ५० मिनट अन्त में बोले। यह किस व्यवस्था के अनुसार वह बोले?

श्री अधिष्ठाता--मंत्री जी अनुदान को पेश करते हैं और माननीय सदस्यों की उत्कंठा रहती है कि बहुत-सी चीजों की जानकारी उनको हो जाय। इस वास्ते यह हमेशा प्रथा रही है कि माननीय मंत्रिगण को कुछ समय बेशी लग जाता है। अगर माननीय राजनारायण जी चाहें तो उनको भी समय बेशी दिया जा सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण--मेरी आपत्ति तो यह है कि जानबूझ कर, पुलिस के अनुदान पर हम न बोल पावें, इसलिये माननीय मंत्री जी ज्यादा बोले, इसीलिये हम को वाक आउट करना पड़ा।

श्री अधिष्ठाता--मैं तो बैठा हुआ था। जब आपको बोलने के लिये बुलाया जाने वाला था तो आपने दूसरे का नाम भिजवा दिया।

श्री राजनारायण--दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे विधान सभा के सचिव, जिनकी एक मर्यादा होती है, का यह कर्त्तव्य है कि वह माननीय मंत्री महोदयों के पास जा कर उनसे पूछें कि आप को कितने समय की आवश्यकता है ताकि उसके अनुसार हम दूसरे लोगों के भाषण को काट दें?

श्री अधिष्ठाता--जो भी काम इस तरह का होता है, सदन की सुविधा के लिये होता है, किसी माननीय सदस्य का समय नहीं लिया जाता है। मंत्री जी की सुविधा के लिये विरोधी दल के माननीय सदस्यों का समय नहीं लिया जा सकता है। यह सुविधा के खयाल से कभी-कभी ऐसा होता है। मगर आपके अधिकारों की रक्षा करना हमारा पूरा कर्त्तव्य है।

श्री राजनारायण--अगर न हो तो हमारे लिये कोई रेमिडी बतायेंगे?

श्री अधिष्ठाता--अगर आप के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है तो अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री राजनारायण--अविश्वास का प्रस्ताव लाना बार-बार अच्छा नहीं होता है। हम यह नहीं चाहते हैं। मैं देखता हूं कि नित्य प्रति, एक दिन हो तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बार-बार देखता हूं कि कभी यह सज्जन जो बैठे हुए हैं और कभी-कभी माननीय मित्थल जी माननीय मंत्रियों से पूछने जाते हैं कि आप कितना समय लेंगे। आज पुलिस पर यही हुआ। यहां तक कि जवाब देने का अधिकार जो मूवर को है, वह आ रहे थे, माननीय कमलापति ने बोलना शुरू नहीं किया था, वह बैठ सकते थे, लेकिन जवाब देने का अधिकार भी उनको नहीं दिया गया। पूरा का पूरा समय कमलापति जी ने लिया।

श्री अधिष्ठाता--मैंने बताया कि अगर आपके अधिकारों की रक्षा नहीं होती है तो एक ही तरीका है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या जिसके जरिये से रक्षा न होती हो, उनके विरुद्ध आप अविश्वास का प्रस्ताव ले आ सकते हैं; और कोई तरीका विधान और नियमों में नहीं है।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाता हूं। वह यह कि जब एक माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे दी जाती है उसके बाद भी क्या यह व्यवस्था है कि दूसरा आदमी बीच में बोलने लग जाय?

श्री अधिष्ठाता--ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, जो १० मिनट हमें दिये जाते हैं वे पूरे मिलने चाहिये और अगर नेताओं को पांच मिनट बढ़ाये जायं तो दो मिनट हमारे भी बढ़ाये जायं। यह नहीं कि दस मिनट में दो मिनट और ले लिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--आपके लिये अवश्य समय बढ़ाया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करने से पहले यह जानना चाहूंगा कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिये आप मुझे कितना समय देंगे जिससे कि उसी समय के अनुसार भाषण का नियमन कर लूं।

श्री अधिष्ठाता--आमतौर से १५ मिनट का समय है, २० मिनट तक आप बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, २५ मिनट का समय था शायद ।

श्री अधिष्ठाता—नहीं २० मिनट।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मुझे यह बताया जा रहा है कि शायद ऐसा तय हुआ है कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने वालों को प्रारम्भ में २० मिनट मिलते हैं और फिर जवाब देने के लिये १० मिनट मिलते हैं।

श्री अधिष्ठाता—तो २० मिनट तो कहा मैंने।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी शिक्षा पद्धति में क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार होना चाहिये यह तभी तय किया जा सकता है जब हम यह तय कर लें कि हमारे देश और प्रदेश में शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? हमारे यहां जब लोग यज्ञ करते थे तब सबसे पहले उनके सामने यह प्रश्न आया करता था कि 'कस्मै देवाय हाविषा विधेम':, अर्थात् हम किस देवता को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ कर रहे हैं और यही प्रश्न सदन के सामने है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जिस पर हम १७ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और जो कि बहुत ही कम है, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? मेरे मत के अनुसार स्वाधीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य यही हो सकता है कि हम नैतिक मानव, नैतिक समाज का निर्माण करें और इसका निर्माण करने के लिये ऐसी शिक्षा दें जिससे कि हमारे देश में ऐसे सुयोग्य नागरिक पैदा हों जिनमें जन-सेवा और लोक सेवा की भावना हो, जो मानवता प्रेमी हों, शांतिप्रिय हों और सत्य और अहिंसा के मानने वाले हों। लेकिन हमारे देश की शिक्षा प्रणाली हमारे उन उद्देश्यों को पूरा करने वाली नहीं है। और सच बात तो यह है कि शिक्षा प्रणाली हमारी थोड़े हेरफेर के साथ आज भी वही है जो ब्रिटिश राज के जमाने में थी। अपने इस कथन की पुष्टि में सन्त विनोबा के कथन से करूंगा—"शिक्षा की तीन कसौटियां" नामक लेख में युग सन्त विनोबा ने यह कहा है "कि ४०,५० साल गुजर गये लेकिन जो तालीम उस वक्त चलती थी करीब-करीब वही तालीम आज भी चल रही है। अगर उसमें और आज की तालीम में कुछ फर्क होगा तो यही होगा कि आज की तालीम कमजोर होगी, बच्चों का स्टैंडर्ड, (स्तर) गिरा हुआ होगा। तो जो मैंने यह निवेदन किया सदन की सेवा में कि हमारी शिक्षा पद्धति हमारे देश के और वर्तमान युग के अनुरूप नहीं है उसके लिये समीचीन नहीं है, उपयुक्त नहीं है सन्त विनोबा के इस कथन से उसकी पुष्टि होती है।

जो शिक्षा प्रणाली अब तक चल रही है विनोबा जी के कहने के अनुसार अंग्रेजी राज के जमाने की उस शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध हम लोगों ने सन् १९२०–२१ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में धर्मयुद्ध किया था, जेहाद किया था और उस जेहाद में मंत्रि-मंडल के भी बहुत से सदस्यों ने योगदान दिया था, वर्तमान माननीय शिक्षा मंत्री ने भी उसमें योगदान दिया था। लेकिन वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है। यह माना कि उसको सुधारने के लिये कुछ प्रयत्न किये गये और कई कमेटियां बैठाई गईं। अब भी प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन उद्देश्य निर्धारित करने के लिये, शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिये अब तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप सरकार यह कह सके, हम यह कह सकें कि हमारे देश की शिक्षा नीति यह है। यह हमारे लिये शोभनीय बात नहीं है।

हमें विदेशों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिये रूस की नकल करके पंचवर्षीय योजना बनाने का बड़ा शौक है। लेकिन शिक्षा की नीति को निर्धारित करने के लिये हमने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई और अगर हम १९३७ में, जब कि हमारे हाथ में सत्ता आई उस समय शिक्षा की नीति को निर्धारित कर लिये होते और सन् १९४७ में देश के स्वतंत्र होने पर उसको कार्यान्वित करते तो आज तक उसके

बहुत हद तक सुफल मिल गये होते; लेकिन वह शिक्षा नीति सन् १९३७ या १९४७ से आज तक निर्धारित नहीं हुई है। हमारे सामने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण चीन का है जब कि पहले-पहल वह मंचू डाइनेस्टी से स्वाधीन हुआ। वहां पर विश्वविद्यालय आयुक्त नियुक्त करके उसके द्वारा लिंग्विस्टिक लिटरेरी रिवोल्यूशन (भाषा और साहित्य सम्बन्धी क्रान्ति) की एक योजना बनाई गई और उसके अनुसार देश में उसके ऊपर अमल किया गया। यह बात हमारे शिक्षा मन्त्री और माननीय सदस्य जानना चाहें तो "यूथ मूवमेंट इन चाइना" (youth movement in China) नामक पुस्तक में वह यह देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें वहां की जा चुकी हैं।

हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसका सब से बड़ा दोष तो यह है, जिसको मुझे हर्ष है कि माननीय शिक्षा मन्त्री ने स्वीकार किया है, कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। उनके कथनानुसार केवल एक प्रदेश को छोड़कर यह सब प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। जिस समय गृह मन्त्री के रूप में शिक्षा मन्त्री भाषण कर रहे थे और यह कह रहे थे कि जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है हम किसी प्रदेश से पीछे नहीं हैं तब मैं यह सोचा है कि शिक्षा के सम्बन्ध में वह ऐसा नहीं कह सकते। मुझे हर्ष है कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बात को नहीं कहा जा सकता है। तो सोचने की बात यह है कि हमारे प्रदेश की नीति की प्रमुख खराबी क्या है। सब से बड़ी खराबी तो यह है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश भी दोनों कृषि प्रधान हैं। गांवों का देश है और गांवों का प्रदेश है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में और हमारी शिक्षा में रूरल और एग्रीकल्चर वायस नहीं है। वह गांव प्रधान और कृषि प्रधान नहीं है जिस रूरल एण्ड एग्रीकल्चर वायस की सिफारिश रायल कमीशन ने सन् १९२६ में की थी कि होनी चाहिये, वह आज तक नहीं हुई है।

अधिष्ठाता महोदय, जब मैं इस बात को कहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में रूरल एण्ड एग्रीकलचर वायस होनी चाहिये तब मैं एक खास उद्देश्य को सामने रखकर कहता हूं। मेरा मतलब यह है कि हमारे गांवों की अपनी सभ्यता है, उनकी अपनी संस्कृति है। गांव की सभ्यता और संस्कृति धर्म प्रधान है। स्वावलम्ब प्रधान, स्वाभिमान प्रधान और स्वाधीनता प्रधान है और इस युग में इस सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय कायम करना शुरू किया है और उसको कायम किया है लेकिन ग्राम विश्वविद्यालय, ग्राम गुरुकुल, रूरल यूनिवर्सिटी को हमने आज तक कायम नहीं किया है और न अभी तक यह कहा गया है कि हम उसको कायम करना चाहते हैं। आमतौर पर लोगों का यह खयाल है कि इस संसार में केवल दो वाद हैं। एक पूंजीवाद और दूसरा समाजवाद, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक अलग-वाद ग्रामवाद है जिसको आप चाहें तो गांधीवाद भी कह सकते हैं और वह ग्रामवाद या गांधीवाद इस पूंजीवाद और समाजवाद से बिलकुल भिन्न है। इन दोनों से उसका महत्व कम नहीं है और वह किसी से कम उपयोगी नहीं है। इसलिये जैसा मैंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली खराब है इसकी ओर मैं दूसरे माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊं कि एक प्रोफेसर Charles Maizes जो बर्लिंग्टन यूनिवर्सिटी के हैं, ने एक एजूकेशन क्वार्टर्ली में लिखा है कि यहां की शिक्षा में बड़ा दोष है और जो दोष उन्होंने बताया उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"Education which is itself an urban product imposes urban forms of thought and behaviour on rural population without regard to their relevance to rural life."

यानी योरप की शिक्षा प्रणाली के बारे में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा की पद्धति एक शहरी पद्धति है और वह शहरी पद्धति गांव में भी अपने विचार को लादती है, शहरी विचारों को लादती है और उनको लादते समय गांव के लिये उनकी कोई उपयुक्तता है या नहीं इसका

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कोई ध्यान नहीं रखती। इतना कहने के बाद उन्होंने यह भी कहा है कि एशिया के लिये यह और भी अधिक अनुपयुक्त है और उन्होंने कहा कि जब दुर्भाग्य से योरप की एशिया में नकल, की जाती है, उस समय यह बात भुला दी जाती है। तो इसलिये मैं फिर इस बात की ओर ध्यान दिलाता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा पद्धति में ऐसे सुधार होने चाहिये कि जिनके द्वारा हम अपनी शिक्षा प्रणाली में रूरल बायस और एग्रीकल्चरल बायस पैदा कर सकें और ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप उसे बना सकें।

दूसरी चीज जिसे मैं कहना चाहता था और जिसे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने मान लिया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में हम बहुत पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि संविधान का आदेश है कि २६ जनवरी, १९६०, जो बीत गयी, तक हमें फ्री ऐंड कम्पल्सरी एजूकेशन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ६ साल से लेकर १४ साल तक के बच्चों के लिये कर देना चाहिये थी। लेकिन हम यहां कह सकते हैं, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि, ६ साल से १४ साल तक की तो बात क्या, ६ साल से ११ साल तक के बच्चों को भी हम प्रारम्भिक शिक्षा देने के बारे में पीछे हैं और माननीय अधिष्ठाता जी, इसका एक कारण है। इसका कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये उनसे स्पष्ट हो जाता है। उसका कारण यह है कि सरकार की नीति ही गलत है। सरकार का दृष्टिकोण गलत है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आंकड़े दिये थे और मैं भी उनके भाषण से ही कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करता हूं। उन आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि जहां बड़े कालेजों की संख्या बढ़ कर १६ से १०२ हो गयी, ६ गुने से ज्यादा और माध्यमिक कालेजों की संख्या ५०६ से बढ़ कर १,६१२ हो गयी यानी तिगुने से ज्यादा, जूनियर हाई स्कूलों की संख्या १,८५० से ४,०७३, दुगुनी से ज्यादा हो गयी, लेकिन वहां प्रारम्भिक पाठशालाओं की संख्या २० हजार कुछ से बढ़ कर ३६ हजार कुछ हुई है। दुगुनी से भी कम। तो सरकार की नीति गलत है। प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार पर वह अधिक ध्यान नहीं दे रही है और वह कालेजों की संख्या बराबर बढ़ा रही है। हाल ही में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और जिस पर राज्य सभा में चर्चा भी हो चुकी है उसने कहा है कि विश्वविद्यालय में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाय जो अध्ययन का रूझान रखते हों। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय वेटिंग रूम नहीं होने चाहियें। उन्होंने यह भी कहा है कि आवास युक्त विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या ५,००० से अधिक नहीं होनी चाहिये। लेकिन हमारी जो नीति है अभी तक, वह इसके विपरीत है।

सब से अधिक महत्वपूर्ण बात शिक्षा के क्षेत्र में, जो मैं कहना चाहता था, वह यह है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे शिक्षा और ज्ञान के मंदिरों में, पाठशालाओं में, चरित्र का ह्रास हो रहा है। शेक्सपियर ने भी कहा है कि:

"If wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, but if character is lost, every thing is lost."

अगर धन की हानि हो तो कोई हानि नहीं हुई, अगर स्वास्थ्य की हानि हो तो कुछ हानि हुई, और अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में सबसे अधिक हानि चरित्र के ह्रास की हो रही है। इस बात को रात दिन देखता रहता हूं। जो चरित्र निर्माण के मन्दिर हैं, जो उसकी आधारशिला होनी चाहिये, पाठशालायें, विद्यालय और कालिजों में, आज तथ्य यह है कि चरित्र बन नहीं रहा है वे भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं। आज विद्यार्थियों में भी चरित्र का ह्रास हो रहा है और अध्यापकों में भी हो रहा है। उसकी चर्चा यहां विधान सभा में भी होती रहती है, मैं उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं समझता हूं इसे सभी स्वीकार करेंगे और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और मैं यह भी मानता हूं कि जो कुछ इस सम्बन्ध में यहां पर वाद-विवाद होता है वे एक्सट्रीम केसेज हैं, साधारण नहीं हैं। लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, यह जो एक्स्ट्रीम केसेज हैं वे समाज में बीमारी के ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये उनकी उपेक्षा करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। बुद्धिमानी का काम यह है कि उन लक्षणों

से रोग का निदान होना चाहिये और उन रोगों की चिकित्सा सही चिकित्सा होना चाहिये। जब मैं चरित्र ह्रास की बात करता हूं तब मैं यौन दुराचार की बात भी करता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि इसके जो कारण हैं उनमें एक कारण मानव निर्बलता भी है। मैं यह मानता हूं कि यह कोई नई चीज नहीं है, यह अंग्रेजों के जमाने में भी थी। मैं १० वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं। मैं जानता हूं कि पाठशालाओं में, बोर्डिंग्स में भी हर प्रकार का दुराचार होता है। खाने-पीने की चोरियां आदि तो होती ही हैं, अप्राकृतिक व्यभिचार भी होता है। किन्तु अप्राकृतिक व्यभिचार ऐसा होता है कि उसमें किसी को ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता। लड़कियों से छेड़-छाड़ भी बहुत होती है। इसके लिये महात्मा गांधी तक को एक लेख लिखना पड़ा और उन्होंने भी यौन दुराचार के कारणों में एक कारण मानव दुर्बलता को माना है। इसलिये इसको दूर करने के लिये, इसके निराकरण के लिये, हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि इंगलैंड में भी पहले विश्वव्यापी महायुद्ध के पश्चात् वहां के एक लेखक सर फिलिप्स गिपत ने अपनी 'यंग एनारकी' में यह लिखा है कि इंगलैंड का चरित्र बहुत नीचे गिर गया है। गीता में भी अर्जुन से कृष्ण ने कहा है कि युद्ध का एक बुरा परिणाम यह होता है कि नैतिक स्तर नीचे गिर जाता है। मैं यह मानता हूं और साथ ही यह भी मानता हूं कि जीवन के स्तर को ऊपर उठाना ही हमारा एकमात्र धर्म और एकमात्र कर्त्तव्य नहीं होना चाहिये। अगर हम उस जीवन स्तर को सर्वोपरि मानते हैं तो 'चार्वाक' के इस सिद्धान्त का कि "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत" का प्रसार होता ह जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि भौतिकवाद की ओर हम ध्यान देंगे और अध्यात्मवाद की उपेक्षा करेंगे तो इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी।

एक बात और भी है हमारी शिक्षा पद्धति में, और वह मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं जिसे सुन कर माननीय शिक्षा मंत्री जी शायद चौंकें जिस तरह से कि वे पुलिस के मामले में चौंके थे। मैं यह कह रहा हूं कि शिक्षा के मामले में सरकार की नीति गलत है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में गुटबंदी है, राजनीति का प्रवेश हो रहा है। इस चीज को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मंजूर भी किया है। वे यह भी मानते हैं कि यह कांग्रेस सरकार के जमाने में हुआ है और उसको दूर करने के लिये कुछ संशोधन भी लाये गये हैं। और उन लोगों का आरोप यह है कि अब दूसरी गुटबन्दी की जा रही है। वह सही हो या गलत, लेकिन गुटबन्दी का, राजनीति का, प्रवेश है। इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। एक दूसरी बात यह भी है कि शिक्षा स्वतंत्र होनी चाहिये, लेकिन सरकार बराबर शिक्षा पर अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये उनसे मालूम होता है कि एडेड स्कूलों की संख्या कम हो रही है और सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं। वे एडेड स्कूलों को निरुत्साहित कर रहे हैं शिक्षा पर अपना अधिकार रखने के लिये--यह सरकार की नीति बड़ी विचित्र है। अधिष्ठाता महोदय, उधर तो सरकार की नीति यह है कि बंदियों के स्वतंत्र शिविर बनाती है, लेकिन यहां पर शिक्षा की स्वतंत्र संस्थाओं के बन्दी शिविर बनाती है। वह कैदियों की पंचायत बनाती है, लेकिन नागरिकों को, गांव की पंचायतों को, सरकार के कैदी और बन्दी बनाती है।

मैं, जो थोड़ा-सा समय मेरे पास रह गया है, उसमें कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री महोदय और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वह प्रारम्भिक पाठशालाओं में अधिक योग्य अध्यापक रखें। संत विनोबा का कहना है कि यह अजीब नीति है कि जब प्रारम्भिक शिक्षा मूलाधार है सब शिक्षा की तो उसके लिये सस्ते अध्यापक जो योग्य नहीं होते हैं, कम वेतन पर रखे जाते हैं। जब प्रारम्भ में ही शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो उसका परिणाम आगे चल कर अच्छा हो नहीं सकता। इसलिये एक तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये। दूसरे, जिन अध्यापकों ने निरक्षरता को दूर करने के लिये और साक्षरता का प्रसार करने के लिये प्रयत्न किया है उनके लिये कसौटी मुकर्रर करके उस पर जितने विद्यार्थी खरे उतरते हैं उनके अनुपात से, साक्षरता के अनुपात से अध्यापकों को कुछ बोनस दिया जाय जिससे अध्यापकों में प्रोत्साहन बढ़े साक्षरता को बढ़ाने के लिये और निरक्षरता निशाचरी को दूर करने

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

के लिये। सबसे बड़ी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, शुरू में जैसा मैंने कहा, जो सबसे अधिक बुराई है वह चरित्र निर्माण की है और चरित्र निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं में धर्म की शिक्षा दी जाय।

मैं जानता हूं कि "धर्म" शब्द के बारे में बहुत भ्रम है और यह एक विवादग्रस्त शब्द है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि धर्म के माने किसी एक संगठित धर्म के नहीं हैं। धर्म की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह सवाल पैदा हो जाता है कि किस धर्म की शिक्षा दें? हिन्दू धर्म की, इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की या बौद्ध धर्म की? उत्तर यह है कि धर्म के मानी किसी सम्प्रदाय के, किसी आर्गेनाइज्ड रिलीजन के नहीं हैं। महात्मा गांधी और संत विनोबा ने कहा है कि कोई संगठित धर्म, धर्म नहीं है। धर्म भावना ही धर्म है। सब धर्मों में जो नैतिकता और सदाचार के समान उपदेश हैं और जिनके बारे में किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं है, उनकी शिक्षा दी जा सकती है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है और वेदान्त की शिक्षा दी जा सकती है; क्योंकि वेदान्त भी किसी संगठित धर्म को सामने रखकर नहीं चलता; जिसको स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि ने प्रतिपादित किया। संत विनोबा ने आलोचना की है इस नीति की और कहा है कि धर्म निर्पेक्षता और सेक्युलरिज्म के माने इरिलीजसनेस (अधार्मिकता) नहीं होनी चाहिये। इसके माने सिर्फ यह है कि सरकार किसी एक संगठित धर्म का पक्षपात न करे, बाकी धर्मों के साथ अन्याय न करे, उसकी दृष्टि में सब धर्म समान हों। गांधी जी और विनोबा जी की शिक्षा यह है कि सब धर्मों के प्रति समान भाव होना चाहिये, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव नहीं सिखाता है जैसा कि इकबाल ने कहा है कि "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना"। मैं भी कहता हूं कि सब धर्मों में समान भाव होना चाहिये। सब धर्मों को समान मानते हुए हम अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। धर्मों की इन बातों की शिक्षा हम दे सकते हैं और अभी हाल में ही कदाचित शिक्षा मंत्री महोदय ने इसकी ओर संकेत किया और वह यह कि श्रीप्रकाश समिति एक बनाई गई, बम्बई के जो गवर्नर हैं उनकी अध्यक्षता में। उसने कुछ सिफारिशें की हैं और यह भी सिफारिश की है कि मारल (सदाचार) और रिलीजन की शिक्षा, शिक्षा संस्थाओं में देनी चाहिये। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं और इस बात का जवाब मैंने दे दिया कि यह प्रश्न कोई कठिन नहीं है कि हम किस धर्म की शिक्षा दें बल्कि सच बात यह है कि हमारे ही प्रदेश के और हमारे शिक्षामंत्री के ही नगर के आदरणीय डाक्टर भगवान दास ने एक धार्मिक ग्रंथ "एसेंशियल यूनिटी आफ रिलीजन" में साबित कर दिया है कि सभी धर्मों का सार एक है। हर धर्म से, इस्लाम से, बौद्ध से, यहूदी से और सभी से उन्होंने कोटेशंस देकर बताया है कि हर धर्म के उपदेश एक से हैं। तो जो समान उपदेश हैं उनकी शिक्षा दी जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता—आप कितना समय और लेंगे। आपके २० मिनट हो गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—आपने अगर पहले ही कह दिया होता तो मैं २० मिनट में ही समाप्त कर देता। अब मैं दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, गुरुनानक, संत रैदास, सब की सदाचार रूपी शिक्षा समान है, एक सी है।

स्वामी विवेकानन्द ने "World Parliament of Religions, Chikago." में यह बात कही थी—

"All religious are like different rivers originating from difierent sources but ultimately meeting, in the same sea."

यानी सब धर्म अलग अलग पैदा हुए लेकिन अन्त में जाकर सब एक हैं, जैसे सब नदियां अन्त में जाकर एक समुद्र में मिलती हैं। सभी धर्म सदाचार की शिक्षा देते हैं। इसलिये धर्मभाव की शिक्षा देनी चाहिये, इसमें किसी एक संघटित धर्म की शिक्षा देने की बात नहीं है। धर्म निर्पेक्षता के माने, जैसा मैंने कहा, यह नहीं हैं कि हम धर्मों को धता बतायें, उनका बायकाट करें या अधार्मिकता का प्रचार करें; बल्कि यह है कि हम किसी

एक धर्म का पक्षपात न करें। सब धर्मों के मूलतत्वों की शिक्षा अपने यहां दें। हम अपनी शिक्षा संस्थाओं में सदाचार, नैतिकता की शिक्षा दें तब हम चरित्र निर्माण की ओर कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस बात को देखना चाहिये कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्चतम पदों पर हों उनका चरित्र निष्कलंक हो, उनकी अपकीर्ति न हुई हो और जिनकी अपकीर्ति हो चुकी हो उनको कम से कम सन्देह की दृष्टि से देखना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे मनुष्य को उच्चतम पद पर न रखा जाय। हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति का चुनाव होने वाला है इसलिये चुनाव करने वालों से मैं चाहूंगा कि वे चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति न चुना जाय जिसके सम्बन्ध में दुराचार और लोक अपवाद फैल चुका हो। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, जो बजट शिक्षा के लिये १७ करोड़ से अधिक का माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने अंग्रेजों के जमाने में भी देखा था और आज भी मैंने देखा है। यूं तो माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और दूसरे प्रदेशों के आंकड़ों को देख कर माननीय पालीवाल जी ने भी जोर दिया लेकिन मैंने देखा अंग्रेजों के जमाने में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा अधिक दी गयी, उस जमाने में अधिक स्कूल खुले लेकिन उन आंकड़ों में आज तक हमारे यहां कमजोरी है। दूसरी ओर जो शिक्षा इस प्रदेश में दी गयी है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। जहां ३-३, ४-४ मील पर स्कूल थे आज उतनी दूर नहीं हैं। अभी प्रारंभिक स्कूलों का एक नक्शा बनाया गया है। न जाने वह नक्शा किस प्रकार से बना दिया गया है। कहीं तो आबादी के अनुसार बना दिया गया है और कहीं दूरी के हिसाब से बना दिया गया है। कहीं २ मील पर बीस हजार की आबादी है तब एक स्कूल दिया गया है और कहीं उसके कम की आबादी पर ही दे दिया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसकी सर्वे एक बार फिर से करायें और आबादी के अनुसार ही स्कूल खोले जायं।

दूसरी बात यह है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में तनख्वाह की कुछ विषमता है। अभी पिछले साल कुछ तनख्वाह बढ़ायी गयी है लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्लर्कों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी, जो अधिकतर अपने समय के विपरीत भी बैठकर काम किया करते हैं। उनकी तनख्वाह की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह ठीक है कि आप हिन्दी और उर्दू के स्कूल खोल रहे हैं लेकिन संस्कृत भाषा की पद्धति को कायम रखने के लिये आपको स्कूल खोलने चाहिये। जब तक आप संस्कृत को ताकत नहीं देते तब तक हिन्दी भाषा पनप नहीं सकती। यह मैं मानता हूं कि ७ करोड़ की आबादी के लिये १७ करोड़ का शिक्षा का बजट बहुत कम है लेकिन जहां ५ स्कूल दूसरी भाषा के खोले जा रहे हैं वहां ५ नहीं तो २ स्कूल तो संस्कृत के जरूर खोले जायं। हमारी सरकार को चाहिये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात पर बल दे कि हमारे यहां आबादी के अनुपात से शिक्षा की बड़ी भारी कमी है उसके लिये उसको हमारी ओर ध्यान देना चाहिये।

एक चीज मैं जौनपुर, बनारस, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में देख रहा हूं कि वहां स्कूल खुले हैं। प्राइमरी स्कूलों की एक पद्धति सन् १९३७ में चली और स्कूलों का एक नक्शा दे दिया गया और एक हजार रुपया और कहा गया कि कच्ची इमारत हो लेकिन नक्शा ऐसा कि उतनी लम्बी लकड़ी भी उस इलाके में न थी। नतीजा यह हुआ कि उस नक्शे की एक इमारत नहीं है। इसलिये आप या तो उनको इमारत दीजिये या यह तय कर दीजिये कि पेड़ों के नीचे स्कूल चलेंगे। अपने जिले में हमने देखा कि बीसों स्कूल आठ-आठ साल से प्राइवेट चल रहे हैं लेकिन आज तक उनको मान्यता नहीं दी गयी। बोर्ड वाले, अब जो अन्तरिम जिला परिषद् हो गयी, कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे स्कूल को मान्यता दे दें। वहां राजकीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

पाठशालाओं के अध्यापकों की तनख्वाह अलग है और अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों की तनख्वाह अलग है । इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि दोनों के नियम एक होने चाहिये, दोनों की तनख्वाह एक होनी चाहिये और दोनों की योग्यता एक होनी चाहिये । वहां इन तमाम चीजों में जो अन्तर है वह कतई नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि दोनों का अन्तर वहां खतम किया जाय तथा उनकी तनख्वाह में समानता हो, सब की एक ड्यूटी हो और सबके लिये एक उसूल कायम हो । कुछ तो बन्द हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, इस तरह की असमानता नहीं होनी चाहिये और नियमों में बार बार परिवर्तन नहीं लाना चाहिये । राजकीय पाठशालाओं तथा बोर्ड की पाठशालाओं की असमानता को मिटा देना चाहिये ।

हमारे सूबे में स्कूलों की तादाद काफी बढ़ी है और इसे गांवों में जाकर देखा जा सकता है । इसी लखनऊ में हम लोग देखते हैं कि पचासों हाई स्कूल, इंटर तथा बी० ए० पास विद्यार्थी नौकरी की तलाश में हम लोगों के पास आते रहते हैं । तो इससे साबित है कि हमारे यहां शिक्षा की कमी नहीं है बल्कि धन की कमी है जिससे हम सब की बेकारी को दूर करने में असमर्थ हैं । आखिर शिक्षा बढ़ी नहीं है तो इतने लोग शिक्षित कैसे हो रहे हैं ? इन शब्दों के साथ शिक्षा के लिये जो बजट की मांग की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी सज्जन इसको मान्यता देंगे ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, माननीय पालीवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । शिक्षा विभाग द्वारा जो साहित्य हम सदस्यों को वितरित किया गया है उसके अन्त में यह लिखा है—"शिक्षा में क्रान्ति हो चुकी है, वह ऐसा माध्यम बनती जा रही है जिसके द्वारा आज की भारी सामाजिक और आर्थिक क्रान्तियों का कल की आकांक्षाओं और उत्तरदायित्वों से सामंजस्य संभव होगा और उन लक्ष्यों की संसिद्धि हो सकेगी जिनके लिये विगत सौ वर्ष से हमारी वीरात्माओं ने सतत् उद्योग किया है और जो हमारी पनपने वाली पीढ़ी के मधुर स्वप्न हैं" । इतना पढ़ने के बाद शिक्षा में कोई और भी कमी है, समझ में नहीं आता । किस ढंग से इस साहित्य को हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया है ? इसके प्रारम्भ में ही कहा गया ह "हमारा शैक्षिक क्षितिज पहले की अपेक्षा अब कहीं अधिक प्रकाशमान ह ।" प्रकाश क्या होता है, मान्यवर ? इस विभाग द्वारा वितरित आंकड़े सम्बन्धी जो दूसरा साहित्य है, उसके द्वारा मैं सदन के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं । जब इस साहित्य को हम हाथ में लेते हैं तो यह देखते हैं कि लगातार परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है । इसमें देखा जाय कि सन् ५४ में जहां १,८५,९१० विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए वहां सफल हुए ९४,३६१ और सन् ५८ में १,९२,४९२ विद्यार्थी सम्मिलित हुए और उनमें पास ८७,००० विद्यार्थी हुए । ९४ से भी घटकर हम ८७ हजार पर पहुंचे, लगातार फेल्योर्स की संख्या बढ़ रही है । आये दिन हम को विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के समाचार मिलते हैं लेकिन फिर भी दावा किया जाता है कि शिक्षा जगत में क्रान्ति हो चुकी है । अभी मंत्री जी ने अनुदान को सदन के सामने पेश करते हुए स्वीकार किया था कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में हम सब से ज्यादा पिछड़े हैं लेकिन साहित्य में इसकी ठीक उल्टी शक्ल है । एक जगह देखने से तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी दूसरे देश का शिक्षा साहित्य मैं पढ़ रहा हूं । नन्हें नन्हें शिशुओं को कैसे हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था अगर हम देखें और अगर कोई अच्छी ढंग की संस्था में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो एक स्कूल स्टेट भर में है जिसमें शिशुओं की संख्या १०४ है । इस तरह से कहीं एक दो प्रयोग ही हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर जो स्थिति है वह ऐसी है जो चिन्तनीय है । उसकी तरफ सदन के सदस्यों को चाहिये कि गम्भीरतापूर्वक विचार करें । अनुशासन का प्रश्न आये दिन हमारे सामने आता है, यह कोई एकांगी प्रश्न नहीं है । इसको अगर हम रचनात्मक ढंग से हल करना चाहते हैं तो आवश्यक होगा कि सब से पहले अध्यापकों के प्रोमोशन और नियुक्ति आदि की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो स्थिति है उस पर हम गहराई से विचार करें। जितने भी झगड़े होते हैं उनके पीछे अध्यापकों के प्रोमोशन और नियुक्ति आदि ही विशेष कारण होते हैं। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिन से अनुशासनहीनता बढ़ती है और जिस ढंग से यह सब हो रहा है वह ढंग भी इसका एक कारण है। सन् १९४७-४८ में एक अध्यापक २० विद्यार्थियों को पढ़ाता था, वहां आज ठीक उसके उल्टे वृद्धि के आधार पर, यह हो रहा है कि एक अध्यापक को ३६-४० विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी लेकिन वह बढ़ोत्तरी किस क्षेत्र में हुई? संख्या में वृद्धि हुई लेकिन गुण में नहीं हुई। यह सब स्वीकार करेंगे कि आज शिक्षा का स्तर क्रमशः गिर रहा है। म आप के द्वारा मंत्री जी की सेवा में एक सुझाव रखना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम ह।

सब से पहला मेरा सुझाव यह है और वह मेरा पुराना सुझाव है और में आशा करता हूं कि मंत्री जी आज उसकी घोषणा अवश्य करेंगे। उन्होंने बहुत से कमीशन बनाये और बहुत सी रिपोर्टें भी आईं लेकिन कोई प्रयास उन कमीशनों की रिपोर्ट्स को कार्यान्वित करने का नहीं किया गया। हम चाहते थे कि जिस शिक्षा का आज वह निर्देश करते हैं वह कब तक कितने दिन में पूरी होगी, इसकी घोषणा माननीय मंत्री जी करें। हाई पावर कमीशन की बात मैं फिर से दोहराता हूं कि उसकी स्थापना की जाय।

एक बात यह भी कहना है कि आज शिक्षा विभिन्न विभागों के द्वारा चालाई जाती है। इंजीनियरिंग शिक्षा दूसरे विभाग के हाथ में है, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा हेल्थ विभाग के हाथ में है, एग्रीकल्चर की शिक्षा कृषि विभाग के हाथ में है। मेरा मत है कि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा एजूकेशन विभाग के अण्डर आनी चाहिये। मेरा यह भी विचार है कि विद्यार्थियों को केवल अध्यापक ही अनुशासन-युक्त बनाये रख सकते हैं; सरकार का यह खयाल, कि पुलिस द्वारा उन में अनुशासन आयेगा, ग़लत है; न वह माता-पिता ही उनमें ला सकते हैं न पुलिस ही ला सकती है; वह तो केवल अध्यापक वर्ग ही उनमें ला सकते हैं। हमारे सामने जो यह साहित्य है उस को ध्यान से देखने पर मालूम होता ह कि हमारे यहां उपयोगी शिक्षा में कम वृद्धि हुई है। आज की बेकारी को देखते हुए मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि ऐसी उपयोगी शिक्षा का प्रबन्ध करने की कृपा करें जिसको पाकर विद्यार्थी बेकारी का शिकार न हो। उसके साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय के साथ एम्प्लायमेंट ब्यूरोज यानी रोजगार दिलाने वाले कार्यालय होने चाहिये। उनका सामंजस्य होना चाहिये शिक्षा संस्थाओं से। अध्यापकों के वेतन वृद्धि की चर्चा पिछले वर्ष की गई। मैं ऐसा समझता था कि उनके साथ-साथ जो नींव की ईंट है, जो छोटे-छोटे कर्मचारी--चपरासी या लेखक वगैरह हैं--उनकी तनख्वाहों के बारे में, भी माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे; क्योंकि हम तो समाजवादी समाज की रचना का स्वप्न देखते हैं; तो उन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए था।

स्कूलों में स्कूल साइकालाजिस्ट जो रखे जाते हैं। वह १२० के ग्रेड में रखे जाते हैं जबकि इंटरमीडिएट का लैक्चरार १७५ रुपये पर एप्वाइंट होता है। इससे इंफीरियारिटी और सुपीरियारटी काम्प्लेक्स का झमेला होता है। यदि आप चाहते हैं कि वे वहां काम करें तो कम से कम उन्हें इंटरमीडिएट के लेक्चरार के बराबर तो ग्रेड देना ही चाहिये, यदि अधिक न दे सकें तो। अध्यापकों की चिकित्सा व्यवस्था की घोषणा तो हुई लेकिन कोई भी उससे लाभान्वित नहीं हो सका है। अमली शक्ल देने के लिये क्या किया, यह माननीय मंत्री जी ने बताने की कृपा नहीं की।

शिक्षा विभाग के अफसरों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अन्य विभाग के अफसरों को देखा और शिक्षा विभाग के अफसरों को और उनकी तनख्वाहों को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जंगल विभाग के अफसरों से भी बुरी हालत है सुविधाओं के क्षेत्र में। यह अव्यवस्था दूर होनी चाहिये। शिक्षा को हम इतना महत्व देते हैं तो उसमें काम करने वाले लोगों की ओर भी ध्यान देना होगा।

[श्री रामायणराय]

एक बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव है। विद्यार्थियों में नये प्रकार की लीडरशिप पैदा हो सके, इसके लिये आवश्यक है कि जो विद्यार्थी रचनात्मक कार्यों में अधिक ध्यान दें—उन्हें पुरस्कृत किया जाय, सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाय और एम्प्लायमेंट के क्षेत्र में भी उन्हें प्राथमिकता दनी चाहिये।

मैं ऐसा मानता हूं कि जो ग्रेड अध्यापकों को आज दिया गया है अगर उस ग्रेड को कोई ध्यानपूर्वक देखे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि डिग्री कालेज में काम करने वाले जो जूनियर टीचर्स हैं उन टीचर्स को पहले जो तनख्वाह मिल रही थी और जो इंक्रीमेंट मिल रहा था और जो आज तनख्वाह, इंक्रीमेंट और बेसिक पे है, उसमें उनको पीछे जाना पड़ा है। पुराना ग्रेड २०० का था और इंक्रीमेंट २५ का मिलता था। ६ वर्ष तक इस ग्रेड में चलते हैं तो धीरे-धीरे उनको लास होने लगता है। तो जो नया ग्रेड बना है उससे हर प्रकार के अध्यापक को फायदा हुआ है, यह कहना ठीक नहीं है। उसमें दोष हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो नया वेतन-क्रम हमारे सामने रखा है उसको फिर से देखें और उसे व्यवस्थित करें। एक अध्यापक को भी हानि होती है तो उसके परिहार होने का प्रयत्न होना चाहिये।

नये वेतन-क्रम के बारे में और भी चर्चा करनी थी लेकिन केवल इतना बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं और पालीवाल जी के कटमोशन का समर्थन करता हूं कि आज कमीशन को बार-बार सिफारिशों के बाद भी एफीलियेटेड कालेज और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों में समान काम करते हुए भी, तनख्वाहों में जो अन्तर है वह बुरी बात है। राधाकृष्णन कमेटी ने सबसे पहले कहा था कि बी० ए० में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो या डिग्री कालेज में, दोनों को समान वेतन देना चाहिये। न तमाम सिफारिशों की केवल चर्चा करके हम शिक्षा का स्तर नहीं उठा सकते हैं। जो भी सिफारिशें आती हैं उनके ऊपर अमली कदम उठाना चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटमोशन का विरोध करता हूं और आदरणीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति सी मच गयी है। जब हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हमें जो चीज दिखाई देती है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। शिक्षा के संबंध में कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले हमारे पालीवाल जी ने विवेकानन्द जी की ओर ध्यान दिलाया। मुझे एक बार स्मरण है विवेकानन्द जी के संबंध में। उनके सामने जीवन का एक आदर्श था और स्वामी जी ने डिफाइन किया था कि लाइफ क्या है। उनके शब्दों में "Life is the tendency of unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down." जीवन दो प्रतिद्वंदी शक्तियों का संघर्ष है और नियम है कि एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहती हैं। आज शिक्षा का जो आदर्श है, वह स्वयं संघर्षमय है। इस अर्थ संचालित संसार में शिक्षा का ध्रुव तारा क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट नहीं है। चाहे हजारों कमीशन बैठें लेकिन अन्धकार रहेगा अपनी जगह पर। हमें जो साधन प्राप्त हैं उन्हीं को लेकर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे। आज विज्ञान का बोलबाला है। शिक्षा के संबंध में वज्ञानिक शिक्षा पर अधिक जोर होना चाहिये। विज्ञान इस समय ईश्वर की देन है और रत्ती-रत्ती स्थान पर उसका समावेश है। जहां तक योग्यता का सम्बन्ध है नैतिकता एक ऐसी चीज है जिसके किसी भी एक अंग को अपनाया जाय, चाहे वह सत्य हो, अहिंसा हो, चाहे समय का पालन हो। मनुष्य के जीवन को उठाने के लिये नैकितता से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन आज कालेजेज में अध्यापक तक अनैतिकता को बढ़ाते हैं, विषय वासना को बढ़ाते हैं। इससे शिक्षा का ह्रास होता है। वे स्वयं अनैतिकता पर चलते हैं और देश को चलाते हैं। इसमें शिक्षा मंत्री का क्या दोष हो सकता है? यह तो सारे भारतवर्ष का दोष है। जीवन का लक्ष्य आज अन्धकारमय

है। जो कमीशन बैठता है वह स्पष्ट रूप से तथा बलपूर्वक कह नहीं पाता कि आज जीवन पश्चिम से चकाचौंध है, भोग से लिप्त है। हमारे सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उनसे क्या सिद्ध होने वाला है? मैं जानता हूं कि हमारे स्वामी शंकराचार्य के सामने जीवन का एक आदर्श था। वह आदर्श आज हमारे सामने नहीं है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वह सारे शासन का अर्थ है। यह किसी भोग के लिये नहीं बनता। शिक्षा किसी शासन का विशेष अंग नहीं होता। शासन के सारे अंग केवल शिक्षा की पूर्ति के लिये होते हैं। मानव जाति ने राज्य बनाने की कल्पना की थी तो उसका एक अर्थ था और वह शिक्षा थी।

नचदंडो नचदंडकः स्वधर्मेणावरक्षन्ति निज धर्मे परस्परम्।

न दंड देने वाला होता था और न दंड पानेवाला होता था; एक दूसरे के आचरण देखकर एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। लेकिन इस समय तो कहा जायगा कि यह तो पुरानी चीज है, व्यावहारिक बनना चाहिये। तो व्यावहारिक बन कर क्या करें? आज तो यही ह कि जो १० इन्द्रियों के भोग की सामग्री है उसकी बहुतायत प्राप्त हो हमको। तो जो मैंने संकेत रूप से बात कही है हमारे माननीय साथी उसको समझेंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी शिशु कक्षा की पाठ्य पुस्तकों के ऊपर विशेष ध्यान दें। उनको पढ़ाने वाले विद्यार्थियों का चयन विशेष तरीके से हो।

इसके अतिरिक्त कालेजेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे और शिक्षा संस्थाओं में हो, अगर किसी की नैतिकता के बारे में किसी प्रकार का संदेह हो तो वह वहां रहने योग्य नहीं है, उसको वहां से निकाल देना चाहिये। भगवान रामचन्द्र ने केवल एक धोबी के कहने पर माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। तो यह वह देश है जहां संदेह के लिये गुंजायश नहीं है और यह एक ऐसा विषय है जिस पर शिक्षा संस्थाओं में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज तो हम देखते हैं कि अक्षर ज्ञान की बात होती है। तो अक्षर ज्ञान की तो इतनी वर्षा हो गयी है कि कुछ कहना नहीं, लेकिन उसमें भी जो यह डिवीजन चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसमें भी संकरता आ गयी है, वर्णसंकर तो मैं नहीं कहता। मैंने यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े लोगों से बात की है। बड़े लोग बड़े-बड़े अपराध करते हैं। उनमें करीब-करीब ४० प्रतिशत करप्शन है। जब विदेशों में भेजने का प्रश्न होता है, बड़े बड़े स्कालर्शिप्स देने का सवाल होता है तो उसमें बहुत पक्षपात किया जाता है। टेबुलेटर्स बड़ी बड़ी घपलेबाजी करते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह केवल शिक्षा मंत्री के बस का काम नहीं है। यह सारे देश का सवाल है। हमारी पुरानी पद्धति के टूट जाने से मानव जाति को इस समय एक सन्निपात सा हो गया है और यह उसकी एक बड़ी भारी कमी है। हर एक आदमी सोचता है कि कितना कमा लें, कितनी चीज रख लें क्योंकि उसको भविष्य पर विश्वास नहीं रहता है। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, अभी तक भाषण में मेरा भाव आ नहीं सका, मेरे भाव बहुत आगे चले गये थे।

अन्त में मैं एक स्वार्थ की बात माननीय शिक्षा मंत्री के सामने कह कर समाप्त करता हूं। बस्ती जिले के उत्तरी भाग में नैपाल की सरहद पर एक गांधी विद्यालय ह जिसमें आधे लोग नपाल के पढ़ते हैं और आधे हमारे यहां के पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री का कुछ ध्यान उसकी ओर जाता और कुछ अधिक ग्रांट आदि देकर उसकी सहायता करते। मेरी आवाज क्षीण है। मैं विरोधियों की तरह से खूब शोर मचा कर अपनी बात नहीं रख पाता हूं। एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा था कि राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकारें लौह के रूप में होती हैं। लौह को पहले भट्ठी में गरम करो और जब उसका रंग लाल हो जाय तो उस पर घन का प्रहार करो। उस समय यदि बन जाय तो बन जाय और यदि कहीं वह ठंडा हो गया तो फिर वह झुकने वाला नहीं है। तो मैंने एक ह्यूमर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

के लिये इस बात को कहा और हमारे आदरणीय सदन के सदस्य उसी रूप में उसको लेंगे। अब मैं आपसे क्षमा लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा शिक्षा का बजट पेश है, जिसके सम्बन्ध में कटमोशन भी पेश है, उस पर बोलते हुए मैं एक अध्यापक के नाते कुछ शिक्षा संबंधी निजी अनुभव की बातें ही रखूंगा। ऐसे तो मैंने अपने इस तीन साल के काल में अपने शिक्षा मंत्री जी से ही कुछ सीखने की कोशिश की थी कि वह बहुत पुराने शिक्षा विशारद हैं, शिक्षा के संबंध में वह मुझे कुछ प्रकाश देंगे; लेकिन मुझे आज यह विश्वास हो गया है कि शिक्षा मंत्री महोदय से हमें कोई भी शिक्षा सुधार संबंधी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी इन कमियों के लिये बार-बार पिछले सालों में भी यही भाव प्रकट किया कि हमारी शक्ति के यह बाहर है। लेकिन मैं चाहता था कि उनकी शक्ति के बाहर यह न होकर उनके मंत्रिमंडल की शक्ति के अन्दर होता या उनकी उस पार्टी की शक्ति के अन्दर होता। मगर जब वे अपनी असमर्थता बार-बार प्रकट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं साहस के साथ कि शिक्षा के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य हो, क्या वास्तविक सुधार हो, इसके लिए न कोई योजना उनके मस्तिष्क में है न उनके दल में है और न उनकी सरकार में है।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—आप ही कुछ सुनाइए न। जरा हम लोग भी समझें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर आपको सुनना हो तो आप मेरे कमरे में आ जायं, मैं आपको बता दूंगा। इस दस मिनट में यह नहीं बताया जा सकता या इस लाल बत्ती को आप मना करवा दें तो यहीं मैं आपको समझा दूं; क्योंकि यह आपकी सरकार का कोढ़ इस दस मिनट के समय में प्रकट नहीं किया जा सकता। यह शिक्षा सम्बन्धी जो कोढ़ है इसमें लाखों नहीं करोड़ों बच्चे कराह रहे हैं और आज जो हमारे बच्चों में बेकारी, निरुत्साह और अनुशासनहीनता फैल रही है यह आपकी ही गलत नीति का परिणाम है। इसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप अवसर लें और मुझे अवसर दें।

मैं प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में ही इस समय कुछ कहना चाहूंगा। यह देखा गया है कि ज्यों-ज्यों हम अपनी सभ्यता में अपने को बढ़ाते समझते जाते हैं त्यों-त्यों शिक्षा में हम उच्चतर शिक्षा तक ही अपने को सीमित करते जाते हैं। ऊंची शिक्षा अधिक हो जाय, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करते चले जायं, वह अधिक से अधिक खर्चीली हो जाय, उसकी अधिकता से अपना यश कमा लें, यह आधुनिक सभ्यता के साथ एक लगी चीज है। उसी का हम पालन कर रहे हैं। आंकड़ों से ही साफ है कि प्राइमरी शिक्षा को हम उतने अनुपात में नहीं बढ़ा पाये हैं और न उतना उस पर खर्च कर पाये हैं। दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार का मिला हुआ अनुदान भी हम ले न पाये, उसको व्यय न कर पाये उसको ग्रहण न कर पाये। शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा कि सारे देश में केवल उड़ीसा को छोड़कर, सब से पीछे शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं।

प्राइमरी एजूकेशन के बारे में थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में निजी प्रयास से हजारों स्कूल चल रहे हैं और लोग चलाने के लिए इच्छुक हैं अपने आर्थिक बल पर। भवन दे रखे हैं, विद्यार्थी रख लिये हैं, अध्यापक रख लिये हैं, केवल सरकार की उन को संरक्षता, मान्यता और हो सके तो कुछ आर्थिक सहायता ही दे देना रह जाता है। वह भी आज सरकार नहीं दे पाती है। मैं विशेष तौर से शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अपने पैरों पर खड़ी होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की इन शिक्षा संस्थाओं को वह कुछ न कुछ सहायता देने का रास्ता अवश्य निकालें। यदि वह इन दिन पर दिन बढ़ती हुई शिक्षा संस्थाओं के स्रोत को कुछ प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यह हमारी अनेक जिला परिषदें उनको इनकार कर देती हैं कि हमारे सर्वे के अन्दर आप नहीं

आते, आप उस एक या दो मील के अन्दर ही स्कूल खोल रहे हैं, वहां हमारा स्कूल पहले से मौजूद है। यह उनका एक नियम है जो हमारी शिक्षा की प्रगति में बाधा डाल रहा है। यह मैं केवल अपने यहां के अनुभव के आधार पर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूं। हजारों स्कूल आज दिन प्रति दिन जनता के प्रयास से खुल रहे हैं; उनमें विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं और उनके लिये भवन हैं। सारा व्यय चल रहा है लेकिन मान्यता देकर कुछ सहारा सरकार को देना ही उसका कर्त्तव्य रह गया है। वह सरकार दे नहीं पाती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का आमूल परिवर्तन कर लें। यह भी कर लें कि अध्यापकों के साथ मनुष्यता के नाते मनुष्य का व्यवहार किया जाय। एक केन्द्रीय सरकार द्वारा पे कमीशन बैठा। उसमें मिनिमम पे स्केल ७० रुपया और १० रुपया मंहगाई रखी है मगर सरकार अपने अध्यापकों के लिये उस पे स्केल को नहीं मानती है। अध्यापकों के लिये सरकार ५५ रुपया वेतन रखती है। चपरासियों से नीचे उनका मान सरकार रखती है। यदि उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जायगा तो अध्यापक स्वाभिमानी नहीं बन पायेगा। यदि आप देश में अध्यापकों के स्टैंडर्ड को उठाना चाहते हैं तो अध्यापकों के स्तर को आप बढ़ायें तभी विद्यार्थियों के प्रति भी उनका मान बढ़ेगा।

हमारे विश्वविद्यालयों को लेकर निम्न स्कूलों तक अनुशासनहीनता फैलती जाती है। उसका कारण जो पालीवाल जी ने बताया मैं उसका समर्थन करता हूं और मानता हूं कि यही इसके कारण हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में नैतिक व धार्मिक शिक्षा हो। आज हमारे विश्वविद्यालयों में, जो ऊंचे स्तर के शिक्षा स्थल है, वहां से अनुशासनहीनता का प्रवाह फैल रहा है; वहीं से यह अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, वहीं से इसका पूरा आकार दिखाई पड़ता है। इसलिये इस बात को मानना पड़ेगा कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा हमारी माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा से कहीं ज्यादा दूषित है। इसलिये आवश्यकता है कि इस ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय और व्यय किया जाय तभी यहां की कुछ समस्या हल हो सकती है।

मैं यह बात और कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय की यह मांग है कि टैक्नीकल शिक्षा की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय और समय की प्रावधिक शिक्षा की इस मांग को पूरा किया जाय। जब हमने सरकार की एक स्कीम को देखा तो मालूम हुआ कि हर एक शहर में एक पोलिटेक्निक स्कूल खोला जायगा। सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थाओं को अब यह सरकार ऊंचा स्थान देना चाहती है और अब इन योजनाओं पर अधिक रुपया व्यय किया जायगा। मुझे इन पर एतराज नहीं है लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि उन संस्थाओं में जाने के लिये विद्यार्थियों के लिये मार्ग उपस्थित नहीं है, तब दिक्कत पैदा होती है। इन संस्थाओं में जाने के लिये पहली शर्त यह होती है कि विद्यार्थी विज्ञान का जानकार हो किन्तु विज्ञान पढ़ने के लिये कोई सामग्री नहीं होती है। जूनियर हाई स्कूलों के अन्दर जब तक विज्ञान को अनिवार्य नहीं किया जायगा तब तक वे काम नहीं कर सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तभी विद्यार्थी पोलिटेक्निक स्कूलों में या टेक्नीकल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जा सकते हैं। तभी यह वैज्ञानिक शिक्षा आगे बढ़ सकती है। इसलिये आवश्यकता है कि पहले विज्ञान को जूनियर स्कूलों में आप पढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन मैं साथ ही यह चेतावनी सरकार को दे दूं कि जूनियर स्कूलों में विज्ञान का जो सिलेबस है वह इतना दूषित है कि उससे उनका कोई लाभ नहीं होगा। मैंने एक विज्ञान के अध्यापक से बातचीत की और उससे यह पूछा कि क्या आप यह बता सकते हैं कि कुओं का पानी क्यों खारा होता जाता है तो उन्होंने कहा कि यह हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है और यह विज्ञान के कोर्स में नहीं है। मैंने फिर पूछा कि तुम्हारे गांव में यह जमीन दिन ब दिन जो ऊसर बढ़ती जाती है और उसमें रेह क्यों बढ़ रही है। उन्होंने यही कहा कि यह हमारी किताब में नहीं है। ग्रामीण जनता की इस

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

तरह की दिक्कतों को जब विधान के अध्यापक ही नहीं जानते हैं तो चाहे वह एम० एस–सी० हों या बी० एस–सी० हों तो फिर विद्यार्थी क्या बता सकते हैं। हम ऐसा विज्ञान नहीं चाहते हैं। हम ऐसा ग्राम्य विज्ञान चाहते हैं कि जिससे वह टेक्निकल शिक्षा हासिल कर सके। वही शिक्षा हमारे काम की हो सकती है जो कि उस दृष्टिकोण से देखी जाय जो कि उसका उद्देश्य है। जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने बताया कि शिक्षा सफल तभी मानी जायगी जब शिक्षित विद्यार्थी अनुशासन को मानने वाला हो, टीचर का आदर करने वाला हो और साथ ही अपनी रोजी भी कमा सके। आज उनमें यह तीनों बातें नहीं हैं। न तो वह रोजी कमा सकता है, बड़ों का आदर नहीं करता है और स्वयं भी शिक्षित नहीं है। आज वह इन तीनों बातों में पिछड़ा हुआ है। ऐसी हालत में मैं कह सकता हूं और बार बार कह सकता हूं कि आप की शिक्षा असफल है। इन तीनों बातों को दूर करने के लिये शिक्षा में मूल परिवर्तन किया जाय कि हमारी शिक्षा ऐसी हो कि जिसमें हमारे बच्चे दस्तकारी सीख सकें, वह आध्यात्मिकता सीख सकें और अपने तथा अपने बच्चों के साथ न्याय कर सकें। इस के लिये आप एक कसौटी बना लें। इसमें ऐसी कौन सी कठिन समस्या घुसी हुई है। आप एक साधारण सी कमेटी बना लें। अगर हमारे शिक्षा मंत्री जी साधारण शिक्षकों की एक कमेटी बना लें उनसे बात करके और कह दें कि उनकी बनायी योजना को वे स्वीकार कर लेंगे तो वह योजना बना कर देने के लिये तैयार हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके स्वभाव, सामर्थ्य उनकी वृत्तियों को देखा है, समझा है। उन पर तो आप विश्वास नहीं करते और उनके बजाय बड़े-बड़े आफिशियल्स की कमेटियों में विश्वास करते हैं। आफिशियल्स कहते हैं कि मंत्री कितना उछलेंगे। हम ही लोग उनको चलावेंगे....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के ऊपर जितना भी रुपया मांगा जाय, सदन के इधर के लोग या उधर के, उसे देने में किसी को गुरेज नहीं हो सकती। प्रश्न इतना है कि शिक्षा पर जो रुपया खर्च हो रहा है, क्या उससे उन तत्वों की पूर्ति हो रही है, जो मैटीरियल हम समाज के लिये चाहते ह वह वहां से निकल रहा है या नहीं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि पिछले १०-१२ सालों में बहुत काफी मात्रा में स्कूल खोले गये हैं, अनुदान भी बढ़ा है और शिक्षा के हर क्षेत्र में काफी विस्तार भी हुआ है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

लेकिन यह हकीकत भी छिपी नहीं है कि १०–१२ साल के विस्तार के बाद आज हमारे प्लानर्स, आज हमारे देश के विचारक इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है कि जिससे जो लड़के वहां से निकलते हैं वह देश की सेवा और निर्माण के कार्य में ज्यादा उपयोगी हो सकें और मैं नहीं समझता कि इस हकीकत से कोई इन्कार कर सकता है। यह इधर के लोगों के कहने की बात नहीं है, काफी विचारकों ने भी यह बात कही है और मेरा खयाल है कि जब भी मुझे शिक्षा मंत्री जी से कुछ बातें करने का मौका मिला है, उन्होंने इस विषय पर भी मुझसे ज्यादा अनुभव किया है और कहा है कि इस बात पर कुछ नयी थिंकिंग की जरूरत है। इसलिये मैं इस सारे प्रश्न पर इस नजरिये से देखता ही नहीं कि इसमें कितना फैलाव हुआ है। बल्कि इस नजरिये से देखता हूं कि जो कुछ रुपया हम खर्च कर रहे हैं उससे जो तत्व हम समाज में पैदा करना चाहते हैं, जिन स्कूलों को हम बढ़ाना चाहते हैं, जिस किस्म का मैटीरियल एक नयी सन्तान में हम पैदा करना चाहते हैं वह वहां से निकल रहा है या नहीं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस दृष्टि से हमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। बहुत गौर करने की जरूरत है और उस दृष्टि से हम अभी तक विफल हुए हैं। कोई फायदा नहीं हुआ ऐसी वृद्धि से।

हमारे देश के निर्माणकों को जब यह मालूम हो जाय कि हमारे प्लान में यह कमी है तो उसे हिम्मत के साथ वह कुबूल करेंगे और कुबूल करने से ज्यादा बल मिलता है और फिर उसे ठीक करेंगे। कहा जाता है कि आज हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है। उधर से बताया जाता है,

कि टीचर्स से ज्यादा लड़के हो गये हैं। मैं इस बात से पूर्ण सहमत नहीं हूं। अनुशासनहीनता हमारे विद्यार्थियों में स्वाभाविक है क्योंकि हमारा पुराना समाज टूट रहा है और टूटने से जो इंडिस्पिलिन होता है, जो डिस्करप्शन होता है वह डिस्करप्शन उन्हीं के जरिये से होता है कि जिनमें व्यक्त करने की शक्ति होती है। चूंकि हमारे समाज में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और हर एक व्यक्ति की नीयत यह है कि वह टैक्स का इवेजन करे, जाली काम करे, तो वही चीज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के रूप में व्यक्त हो रही है। हमारी यंगर जनरेशन में यह अनुशासनहीनता इसलिये दिखाई दे रही है क्योंकि उनमें जीवन शक्ति अधिक है। दूसरे अगर यंगर जनरेशन लड़ाई के जमाने में पैदा हुई है। आप यह जानते ही हैं कि कमरे की दीवार पर जो तस्वीर लगी होती है उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। तो जब इस मार काट के युग में वे बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें संकीर्णता गर्मी तथा अनुशासनहीनता का पैदा होना स्वाभाविक है। उसे न हम टीचर बढ़ा कर रोक सकते हैं और न कुछ और ज्यादा रुपया खर्च करके उसके लिये हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे यह शक्ति रचनात्मक कार्यों में लगाई जाये क्योंकि हमारे शिक्षा के ढांचे और हमारे प्लान के ढांचे में कोई मेल नहीं है।

शिक्षा के ढ़ांचे में ही मेल नहीं है। मिसाल के लिये, पोलीटेक्निक का आज बहुत चर्चा किया जाता है। यहां तो एक हवा चलती है। अगर काटेज इंडस्ट्री की चर्चा चलती है तो हर एक उसकी ही चर्चा करेगा। यह ठीक है कि टेक्निकल एजूकेशन होनी चाहिये, लेकिन यह उसूल भी हमने नहीं माना है कि टेक्निकल एजूकेशन, एजूकेशन का जुज होना चाहिये। हमारा एजूकेशन विभाग जो है उसका टेक्निकल एजूकेशन से कोई वास्ता नहीं है। रुड़की यूनिवर्सिटी का एजूकेशन से कोई वास्ता नहीं है। तो पहले एजूकेशन विभाग के इंटीग्रेशन की जरूरत है और उसके बाद ही दूसरे विभागों को मिलाने की बात आती है। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक हाई पावर कमीशन की जरूरत है समूची एजूकेशन की प्रोग्रेस पर रिव्यू करने के लिये कि क्या उसका सिलेबस है, क्या बच्चों को पढ़ाया जाये, इसके लिये एक कमीशन की जरूरत है। क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि जो शासक होता है उस के अनुकूल ही देश में शिक्षा पद्धति का निर्माण होता रहा है। जब दुनिया में राजतन्त्र था तो बच्चों को पढ़ाया जाता था किताबों में कि राजा ईश्वर का बेटा है। शुरू से राजा में उसके लिये एक श्रद्धा पैदा की जाती थी। शिक्षा उस समय सारे के सारे बच्चों को राजतन्त्र की तरफ ले जाती थी। राजतन्त्र के बाद कैप्टिलिज्म आया। उसने अपने ढांचे के अनुरूप शिक्षा पद्धति बनायी। कैप्टिलिज्म ने इस तरह की शिक्षा पद्धति दी कि बच्चों को उत्पादन से काटा जाय, उत्पादन से शिक्षा का कोई सम्बन्ध न हो और इसीलिये हमारी शिक्षा का आज उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। चूंकि उत्पादन से सम्बन्ध नहीं है इसलिये निर्माण कैसे हो सकता है। निर्माण के लिये तो टेक्निकल किस्म की शिक्षा दी जानी चाहिये कि जिसे समाप्त करने के बाद, बच्चे बाहर निकल कर प्रोडक्शन बढ़ा सकें। आज हमारी शिक्षा का प्रोडक्शन से वास्ता नहीं है और हमने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। तो कैप्टिलिज्म के जमाने में १०० साल में जो शिक्षा प्रणाली यहां चली उसका पहला फल यह हुआ कि उसने हाथ के काम से नफरत सिखायी और अपने घरू काम से नफरत सिखायी। किसान का बच्चा सब से पहले अपने बाप के काम से नफरत करता है, उसके दिमाग में उस काम के लिये नफरत है और इसके अलावा ऊंच नीच का भाव भी उस में पैदा हो गया। हाथ से काम करने से उसमें नफरत पैदा हो गयी, इतना ही नहीं आज यह कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में जो एक साधारण लड़का एम० ए० में अर्थ-शास्त्र पढ़ता है उसको यह नहीं मालूम रहता कि वह क्यों अनइंप्लायड है। उसको अपनी बेकारी का कारण जानने के लिये ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है और वह उस से पूछता है कि मैं क्यों बेकार हूं। एम० ए० तक पढ़े हुए एकोनामिस्ट जवाब नहीं दे पाते कि प्राइसेज क्यों बढ़ती हैं। तो यह एजूकेशन बेकार है। वह विद्यार्थी तमाम लोगों का, कीथ का, मार्शल का और दूसरों का रेफरेंस दे देगा और अपनी बात को बड़े पेचीदा ढंग से पेश करेगा।

[श्री गोविन्द सहाय]

आज कोआपरेशन की चर्चा है। बहुत चर्चा है। कोआपरेशन की शिक्षा देनी चाहिये, यह हम कह सकते हैं, सुनते हैं रोज,लेकिन यह कोआप्शन, कोआपरेशन शिक्षा का जुज नहीं है। लड़कों के अंदर मिल-जुल कर काम करने की तरबियत नहीं होती और जब तक ऐसा न हो यह कोआपरेशन हमारी शिक्षा का जुज नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं। हमारे यहां कोआपरेशन की किताब पढ़ाई जाती है। एक बच्चों की किताब पढ़ाई जाती है उसमें एक लेसन है सहकारिता के बारे में। नाम है उस सबक का "साझे की खेती"। मैंने एक कमेटी में जिक्र किया था कि मैं चाहता हूं कि बच्चों को सहकारी खेती में यकीन हो। वह सब मिल कर आपस में एक साथ रह कर काम करना सीखें। डिपार्टमेंट ने एक किताब पेश कर दी। तो उसका हेडिंग था, साझे की खेती और मैटर था यह कि साझे की खेती कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो कोआपरेशन को एजुकशन से अलग नहीं किया जा सकता और एजूकेशन को प्लानिंग से अलग नहीं कर सकते।

आज जितने भी विभाग हैं, न्याय विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, प्लानिंग विभाग हो, ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभाग हो, सभी एक डिपार्टमेंटल व्यू पैदा करते हैं और एक इस्पैलिस्ट पर्सनालिटी पैदा करते हैं। इसके लियें मैं इस विचारों को पेश करना आवश्यक समझता हूं क्योंकि प्रत्येक समाज का आधार विचार होता है। यह खेद की बात है कि १२ सालों की स्वतंत्रता के पश्चात् भी अभी तक हम उस दिशा में कोई सक्रिय कदम, ठोस कदम, नहीं उठा पाये हैं, जिस ओर हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में शिक्षा को नयी आवश्यकताओं के आधार पर ढालने की, उस ओर ठोस कदम उठाने के प्रयत्न की जरूरत थी। इसमें शक नहीं कि जो लोग आज निकलते हैं उसमें अनुशासनहीनता पायी जाती है। अगर वास्तव में वे लोग नालायक हैं, अनुशासनहीन हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप जिस तरह के उनको बना रहे हैं उसी प्रकार के तो वे निकल रहे हैं। आप की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं से जिस समय निकले उस समय योग्य हों और अनुशासन को समझते हों। इसके लिये पुरानी व्यवस्थाओं को बदल कर नयी व्यवस्था को लाना चाहिये। यह मैं जानता हूं कि व्यवस्थाओं को बदलने का काम आसान नहीं है।

सरकार ने अपने आप किताबों को छपवाने का काम सम्भालना चाहा था, किन्तु जिन लोगों को सरकार की इस नीति से नुकसान पहुंचने वाला था उन्होंने कानून का सहारा लेकर कुछ उसमें अड़ंगे लगाये। वे लोग कोर्ट तक गये और कानूनी कार्यवाहियां की। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा में अगर हम कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वह केवल कानून पास कर देने से ही नहीं होगा। उनमें विश्वास की भावना भी पैदा करनी होगी। इसके लिये सरकार को एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये। इसमें एजूकेशन के विशेषज्ञ ही नहीं हों बल्कि और भी लोग होने चाहिये। मुझे विशेषज्ञों से कोई आपत्ति नहीं है परन्तु बुनियादी बात यह है कि जो विशेषज्ञ इस शिक्षा प्रणाली की उपज हैं वे उसे बदलने में उपयोगी सिद्ध होंगे या नहीं? इसके लिये हमें उनकी डिग्रियां ही देख कर नहीं रखना चाहिये। हमें यह नहीं नहीं देखना चाहिये कि फलां व्यक्ति डीलिट है, या और इसी प्रकार की अनेकों डिग्रियों उसके पास हैं; उसमें हमें उन व्यक्तियों को भी रखना चाहिये जिनका नया आदर्श हो और नया आधार हो। सच बात तो यह है कि कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन विशिष्ट शिक्षकों और पंडितों को स्वयं भी नयी आधार की शिक्षा की आवश्यकता है। एण्ड "They need to be reeducated". इसके साथ ही अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री इस दिशा में कुछ सोंचे, तो हमें उन्हें भी सोचने के लिये मौका देना होगा। आज सुबह से शाम तक जो लोग भी उनके पास पहुंचते हैं वे अनुदानों को बढ़ाने की और अपनी लोकल आवश्यकताओं की ही बात करते हैं और उन्हें नई बातों को सोचने का समय ही नहीं रहता। इसलिये हमें उन्हें सोचने का मौका देना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह पूछना चाहता हूं, इस बात पर भी माननीय गोविन्द सहाय जो थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, वे चाहते हैं कि नया पैटर्न हो । इसके लिये भी तो नये सोचने वाले हों, नये आदमी होने चाहिये, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वे तो पुरानी बात ही सोचेंगे, वे प्रोडक्टिव तो होंगे नहीं, वे उस चीज को सोच ही नहीं सकते जिसको यह चाहते हैं, तो यह नया पैटर्न कहां से आये ?

श्री गोविन्द सहाय---मुझे इंतिहाई खुशी है कि मेरी बातों पर कम से कम शिक्षा मंत्री जी ने ध्यान तो दिया और मेरे बोलने के बीच में इस बात को जानना उचित समझा । हमारा यह खयाल बन गया है कि जैसे इसी शिक्षा ने नेशनल मूवमेंट के लिए नैशनलिस्ट लीडर भी पैदा किये, लेकिन बहुत बड़ी अक्सरियत में वह पैदा किये जो ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश इम्पीरयलिज्म को चलाते थे, तो उसमें अंधेरे में उजाला निकलता है । बहुत ऐसे लोग भी आपको मिल जायंगे इन यूनिवर्सिटीज से निकले हुए । हम आप को इस दिशा में सहायता दे सकते हैं । क्योंकि जहां यह शिक्षा प्रणाली समुचित शिक्षा को एक तरफ को ढ़ालती है उसमें कुछ ऐसे विचार भी हैं जो किन्हीं में उच्च प्रेरणाएं पैदा करते हैं । बहरहाल मेरा मतलब यह है कि एक लड़का जो बी० ए० में इकानामिक्स पढ़ता है, वह "अ, आ" नहीं जानता है कि वेल्फेयर या सोशलिज्म क्या बला है । इसलिए आपको शिक्षा का बायस बदलना होगा जिससे वह सोशलिज्म के माने समझे आपको ऐसे इन्सान मिल सकते हैं और अगर मेरी खिदमत की जरूरत समझेंगे तो मैं नाम भी बता सकता हूं । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । क्योंकि मेरा दिमाग इसमें बिलकुल साफ है कि १२ साल के बाद अगर इन आने वाले ५-४ साल में अपनी शिक्षा, अपने शासन, इन ढाचों के अन्दर कोई रिथिंकिंग करके इसको एक खास सिम्त पर नहीं डाला तो ये व्यवस्थाएं हमको डस लेंगी । एक सिस्टम जो होता है उससे इन्सान नहीं बदलता, सिस्टम को इन्सान बदलता है । आज वह समय आ गया है कि एक जबरदस्त थिंकिंग की जाय, एक प्रहार किया जाय इस प्रणाली पर । मैं आपकी दिक्कतें जानता हूं । ला आपके खिलाफ होगा, विधान का सहारा लिया जायगा, जो जो वेस्टेड इंस्टेरेस्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में वेस्टेड इंटेरेस्टेन्सड हैं, वह आपका मुकाबला करेंगे, लेकिन जब बुराइयों की जिम्मेदारी आप पर पड़ती है तो आपको उसका मुकाबला करना चाहिये । अभी वह स्टेप नहीं उठाया गया ।

अभी इस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने एक बुनियादी कदम शिक्षा की तरफ उठाया था कि जो लड़का पब्लिक सर्विस कमीशन में जाय वह पहले ट्रेनिंग ले, हाथ से काम करे । वह एक अच्छा स्टेप था । लेकिन एक अच्छा काम आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत से लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और टेक्निकल उलझनें पैदा करते हैं । आप को इस नजरिये से सोचना चाहिये कि किस प्रकार से शिक्षा को प्रोडक्शन से जोड़ा जाय और रुड़की इन्जीनियरिंग युनिवर्सिटी को, अन्य युनिवर्सिटी को, जहां शिक्षा दी जाती है एजूकेशन से जोड़ा जाय जो इसमें क्या परेशानी है ? लेकिन एक जरा सा मसला हल नहीं हो पाता । रुड़की वालों का यह नजरिया है कि हमारी एम्पायर में से कुछ निकल रहा है । तो हमारा विचार उधर नहीं गया है और मैं आशा करता हूं और मेरा विश्वास है कि अगर हमने इस यंगर जेनरेशन को नये सिद्धान्तों के साथ जोड़ा, उन्हें फलने फूलने-का मौका दिया, उन्हें नये नये रोजगार मिलें तो उनमें न अनुशासनहीनता रहेगी और न चरित्र ही खराब होगा । महज पूजापाठ करने से चरित्र नहीं आता है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दिया जाय । आज यह कहने का एक फैशन हो गया है कि हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है और उनका चरित्र गिरता जारहा है । क्यों गिरता जा रहा है ? उसका बेसिस कारण यह है कि सबेरे से शाम तक जितने इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये वह फंकशन करते हैं वह सब के सब ईमानदारी को ठोकर लगाते हैं और बेईमानी को तरजीह देते हैं । आज अदालत का ढांचा यह है कि बेईमान आदमी छूट जाता है और जो झठ नहीं बोलते उसके खिलाफ सजा होती है । हमारी एजूकेशन,

[श्री गोविन्द सहाय]

हमारी जूडिशियरी, हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन, सबके सब झूठ बोलने वाले को होशियार कहते हैं और ईमानदार को बेवकूफ कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में ईमानदारी आवें, समाज का चरित्र ठीक हो तो हमें उन सारे इंस्टीट्यूशन्स के फंकशन्स को इस तरह से ढालना होगा कि ईमानदार आदमी की इज्जत बढ़े। हमें उसके सारे वैल्यूज को बदलना होगा। हमारे एजूकेशन मिनिस्टर बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जंग के जमाने के बाद इस प्रकार का इन्कलाब करना आसान हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब समय आगया है उन्हें एक बात छोड़ जानी है, वह एक डाकबेल डाल सकते हैं। उनको इस प्रकार की सहूलियत हैं और उनके विचार भी उसी के मुताबिक हैं। मुझे किसी खास यूनिवर्सिटी या स्कूल से शिकायत नहीं है कि वहां पर यह प्रोफेसर नहीं हुआ या कहीं की ग्रान्ट कम हो गई लेकिन समूचे तौर पर समझता हूं कि हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने उस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की है जिस तरफ जाने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि उस तरफ और भी आगे वह जायेंगे। इसी विचार से मैंने अपनी बातें आपके सामने व्यक्त कीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस विषय पर कुछ बोलूं मैं माननीय शिक्षा मंत्री को उनकी इस युक्ति पर कि उन्होंने इस सच्चाई को बड़े गर्व के साथ माना है कि आज हमारे यहां देश के सब प्रान्तों से पिछड़ी हुई पढ़ाई है, बधाई देना चाहता हूं। आज उन्होंने १७,२२,९६,२०० रु० का जो अनुदान इस सदन से मांगा है, उस सम्बन्ध में, मैं आपके द्वारा उनसे यह कहना चाहता हूं, कि यह रुपया शिक्षा पर बहुत कम है और इसमें जितना भी बढ़ाया जा सके वह बढ़ाया जाय। लेकिन हमें दिखाना यह है कि यह रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं और इस पर हमें गर्व हो रहा है और, पिछले सालों से लगातार इस अनुदान को बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हमें हासिल क्या हो रहा है, अनुशासन हीनता, बेकारी, आचार हीनता ? इस आदरणीय मान्यवर, सदन में बीसों बार इस बात पर बहस हुई है कि आज बच्चों में अनुशासनहीनता आ गई है, उदंडता बढ़ती जा रही है, आचरण ठीक नहीं रह गया है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी गाढ़ी कमाई का रुपया क्या इन्हीं चीजों के लिये खर्च किया जा रहा है, इसीलिये यह अनुदान मांगा जा रहा है ? माननीय गोविन्द सहाय जी ने एक बहुत बढ़िया उसूल सामने रखा है। मैं उसका आदर करता हूं। उन्होंने जो यह मांग की है कि पढ़ाई की पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्कता है, की जाये मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह तजवीज जो उन्होंने पेश की है कि इस पढ़ाई की पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन मैं अपने को उनकी इस युक्ति से दुर्भाग्यवश सहमत नहीं पाता हूं कि बच्चों में अनुशासनहीनता स्वाभाविक है क्योंकि ये बच्चे लड़ाई के जमाने में पैदा हुए हैं या खराब वातावरण उनको मिला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सारी अनुशासनहीनता की जड़ मौजूदा शिक्षा प्रणाली है और इसे कायम रखने वाली यह सरकार इसकी पूर्णरूप से जिम्मेदार है। आज स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें बहुत सी गलत बातें भरी रहती हैं। इसके लिये मैं एक मोटी सी मिसाल देता हूं। यह सरकार अपने को धर्म निष्पेक्ष सरकार कहती है। धार्मिक बातें न पढ़ाने की घोशणा करती है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि जब छोटे बच्चों को धर्म से अलग किया गया तो उनका आचरण ठीक नहीं रह सकता। धर्म के डर से हम लोग बुरे काम करने से बचते हैं। शुरू से दिमाग में जो बैठ जाता है वह कभी नहीं निकलता। आज भी अगर हमारे गुरू फटी धोती पहन कर भी हमारे सामने आ जाते हैं तो हम फौरन उनको सम्मान के लिये उठ जाते हैं लेकिन आजकल के बच्चे अगर बाजार में घूमते हुए हों और उनका मास्टर उधर से निकलता है तो वे उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अगर वह सीधा है तो उसे बुद्धू कहते हैं और अगर चालाक है तो उन्हें दूसरे नामों से पुकारते हैं। गुरू को सम्मान एकदम नहीं है आज छठें और सातवें क्लास के लड़के यह भी नहीं जानते कि सड़क,

पोखरा, किसे कहते हैं । उन्हें बाजार, रास्ता मेला, इन चीजों तक का ज्ञान नहीं होता है । पहले पढ़ाई यह थी कि उन चीजों पर बच्चों की पहले नजर पड़ती थी पहले उन्हें उनका ज्ञान कराया जाता था । लेकिन अब दुनियाभर की किताबों का बोझ बच्चों के सिर पर शुरू ही में लाद दिया जाता है उन्हें शुरू ही में संसार का इतिहास, भूगोल पढ़ाया जाता है । उनका ज्ञान विकसित नहीं हो पाता है और वे बुराइयों की ओर लग जाते हैं ।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने को धर्म-निपेक्ष कहने वाली यह सरकार आज किताबों के अन्दर किस कदर बुराइयां भरे हुए है उसको देखने के बाद सरकार का मुंह कलंकित हो जाता है । नवें और १०वें क्लास की हिन्दी की किताब में "विश्वक्रान्ती की लहर" में उस पुरुष के लिये जिसको मानव-संसार ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसके अन्दर इस किस्म की बुराइयां थीं । जैसी कि उस किताब में लिखी हुई हैं । कठोर से कठोर इस्लाम के विरोधी ने भी इस बात को माना है कि इस्लाम धर्म के बानी उसे कायम करने वाले हजरत मुहम्मद, मुस्तफा रजिअल्लाहो अन्हाँ बहुत ज्यादा रहमदिल, सच्चे और इमानदार थे । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नाइन्थ और टेन्थ क्लास की हिन्दी की किताब में उनके खिलाफ अनर्गल बातें दुनिया भर की लिखी हुई हैं । जो सरकार की मनोवृत्ति की परिचायक है । मुझे और भी ज्यादा दुख हुआ जब यह मालूम हुआ कि उसके लेखक एक महांन् कांग्रेसी हैं जिनको कांग्रेस नें मान्यता देकर एम० एल० सी० बनाया है । मैं देखता हूं कि ऐसी बहुत सी, चीजें हैं जिनसे सम्प्रदाय की भावना बढ़ती है बावजूद इसके कि पाठ्यपुस्तकों के लिये एक कमेटी बनी हुई है लेकिन समझ में नहीं आता कि यह पुस्तकें कैसे पास हो जाती हैं । मान्यवर, सबसे बड़ी धोखेबाजी उस पुस्तक में यह हुई है कि किताब का नाम एक है, उस पर पहला शीर्षक एक है भ तर मैटर मुख्तलिफ हैं । यह कितनी बड़ी धोखेबाजी है, लापरवाही है, नाकाबलियत है । कहा जाता है कि बच्चे अनुशासन-हीन हैं । लेकिन उसका कारण क्या है यह जरा पढ़ाई, पढ़ाने वाले, पढ़ी जाने वाली पुस्तकें उठा-कर देखिये कि आप उसके जरिये से बना क्या रहे हैं ? १७ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और पा क्या रहे हैं उससे आचरणहीन, अनुशासनहीन और फेल होने वाले बच्चे । अगर यही हाल रहा तो प्रदेश का तो नाश हो ही रहा है, देश का भी नाश हो जायेगा । अगर आप चाहें कि यूनिवर्सिटीज में पुलिस भेज कर और डंडे बरसा कर आप अनुशासन कायम कर लें तो यह हो नहीं सकता, नामुमकिन है । जैसे कच्ची मिट्टी से चाहे जैसा घड़ा बना लो, कच्चे बांस को चाहे जिधर मोड़ लीजिये, लेकिन सूखा बांस पक्का घड़ा मुड़ने वाला नहीं है, सख्ती से टूट वह भले ही जाये । अगर यह सरकार युनिवर्सिटी में बच्चों को ठीक करने की कोशिश करती रही तो बच्चे कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं । इसी का नतीजा है कि जगह-जगह हल्ला हो रहा है और तमाम झगड़े खड़े हो रहे हैं । मैं कहूंगा कि पढ़ाई के अन्दर शुरू से ही इस चीज को संभाला जाय, सभी छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाय; तभी बच्चों का आचरण सुधर सकता है, तभी गुरुओं के लिये मुहब्बत हो सकती है, उन की इज्जत होगी, उनका लिहाज हो सकता है । तभी बच्चे दूसरे की बुराई करने से, दूसरे की स्त्री की ओर नजर उठाने में उनको दोष दिखायी देगा, तभी वे अच्छे आचरण के बन सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे । देश-प्रदेश के लिये कुशल कर्णधार बन सकेंगे ।

जरूरत इस बात की है कि मास्टरों की तनख्वाह और उनकी नियुक्ति ठीक तरह से हो । आज नियुक्ति होती है पार्टीबंदी के नाम पर, सिफारिश के नाम पर । श्रीमन्, आपको ताज्जुब होगा जिले के दक्षिणी तहसील के रहने वाले की नियुक्ति होती है जिले के उत्तरी तहसील में तराई के इलाके में । नौकरी करने के खातिर वह किसी तरह से आ जाता है लेकिन जब उसको सर्विस मिल जाती है तो वह २-२ महीने की छुट्टी लेते हैं । शनिवार को अगर घर जाता है तो सोमवार को लौटने के बजाय मंगल को लौटता है । इसलिये छोटे स्कूलों में क्षेत्रीय लोगों को ही नौकरी दी जाय ।

जिस प्रकार से हम हायर सेकेंडरी स्कूलों को एड देते हैं उसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों को भी एड देना चाहिये । बहुत से स्कूल गांव वालों की तरफ से चल रहे हैं लेकिन वे अन्तरिम

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

जिला परिषद् को देने की सोचते रहते हैं । फिलहाल अगर उनको २०–२५ रुपया मिल जायेंगे तो स्कूल जैसा का तैसा चलता रहेगा और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और राजकीय स्कूलों से अच्छा चलेगा और बहुत कम पैसे में ज्यादा स्कूल चल जायेंगे । अभी मंत्री जी ने कहा कि ४–५ मील पर एक मिडिल स्कूल है लेकिन अभी ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां २५–२५ मील तक मिडिल या हाई स्कूल नहीं है । नौतनवां और ढूठीवारी के बीच कोई मिडिल स्कूल अभी तक नहीं है । जब कोई स्कूल खुलता भी है तो जिसकी पार्टी तगड़ी होती है उसी के क्षेत्र में खुलता है और ५ मील के बजाय ३ मील पर ही खुल जाता है और जहां वाकई जरूरत है वहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोला जाता है ।

आखिर में मैं इतना और कहूंगा कि मास्टरों की तनख्वाहें बहुत कम हैं । हमें उनकी मदद करनी चाहिये । मेहतर और मामूली चौकीदार, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नौकर है उसको ८०–९० रुपये मिलते हैं लेकिन जो उसी जगह स्कूलों में गुरु है, जो बच्चों को आदमी बनाने वाला है वह ४०–४५ रुपये पाता है । भला उसको किस तरह से उत्साह हो सकता है और दिल लगा कर बच्चों को पढ़ा सकता है ।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि करोड़ों रुपये का बजट शिक्षा के सम्बन्ध में आज पेश हुआ है और उसका मैं हृदय से स्वागत तथा समर्थन करता हूं । लेकिन उसके सम्बन्ध में कुछ अपने जिले की बातें और कुछ सैद्धान्तिक बात भी कहना चाहता हूं । एक तो यह है कि अब कक्षा ३, ४ तक की लिखाई पढ़ाई कागज पर शुरू हो गई है । पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो कक्षा ३, ४ तक पट्टियों पर ही लिखा करते थे, जिससे अक्षर अच्छे बनते थे । लेकिन अब तो कक्षा ३, ४ के लड़के फाउंटेनपेन से कागज पर ही लिखाई शुरू कर देते हैं जिससे उनके अक्षर सुन्दर नहीं हो पाते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि कक्षा ३, ४ तक पट्टियों पर ही लिखाई होनी चाहिये, हो सके तो सुलेख के लिये कागज का भले ही इस्तेमाल किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की फीस आठवें कक्षा तक माफ है । मेरी प्रार्थना है कि सरकार जरा कुछ और हिम्मत करे और उसको बढ़ा कर कम से कम कक्षा १० तक कर दे तो बहुत अच्छा हो ।

इसके अलावा परीक्षा में पास करने पर लड़कों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी दी जाती है, लेकिन जब कभी सर्विस के लिये विज्ञापन निलकता है तो उसमें तृतीय श्रेणी वालों को छोड़ कर द्वितीय और प्रथम श्रेणी के लड़कों को ही बुलाया जाता है, और उन्हीं को दरख्वास्त देने के लिये कहा जाता है । तो या तो आप तृतीय श्रेणी को ही तोड़ दें या अगर रखते हैं तो उस श्रेणी में पास हुए लड़कों को भी मौका दें कि वे दूसरों के साथ कम्पटीशन में बैठ सकें । अक्सर देखा गया है कि जिस प्रश्न का जवाब फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन पास लड़के नहीं दे पाते उसका जवाब थर्ड पास लड़के दे देते हैं । तो इन सब बातों को देखते हुए तृतीय श्रेणी पास लड़कों को भी ऐसी सुविधा देनी चाहिये कि सब के साथ उनको भी बुलाया जाय और जो कम्पटीशन में या परीक्षा में सफल हो जाय, उसे ले लिया जाय ।

इसके अलावा नैतिक और धार्मिक शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है । इसके सम्बन्ध में तो सरकार खुद ही विचार कर रही है । एक शिक्षा जांच समिति भी बैठी थी, जिसके सभापति श्री प्रकाश जी थे, उसने इस बात पर जोर दिया है कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाय । हम डरते हैं कि शिक्षा में धर्म को डाल दिया जायगा तो बड़ी गलत चीज होगी, लेकिन धर्म के माने मानव धर्म के हैं जो बच्चों को सिखाया जाय तो अच्छा है । लेकिन जैसा कि श्री गोविन्द सहाय जी ने कहा कि जब कुएं में ही भांग पड़ी हो तो जो ही उसे पियेगा वही बौरायेगा, पागल होगा ही । जब कि हमारा समाज ही इतना नीचे गिरा पड़ा है तो उसमें पले बच्चों के अनुशासनहीन होने वाली बात कोई आश्चर्य की नहीं है । सबसे जरूरी बात यह है कि हमको अच्छे गुरु मिलें, जो नहीं मिलते हैं । अच्छे गुरु बनाने के लिये जरूरी है कि इस तरफ विशेष ध्यान दें । हमारे

यहां साक्षरों की तादाद ३६, ३७ प्रतिशत तक हो गयी है लेकिन इससे आगे बढ़ाने के लिये, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जब कि वे शिक्षा मंत्री थे उन्होंने सचल शिक्षा दल कायम किया था। कुछ एकाध वर्षों तक वह सचल शिक्षा दल चला भी। जहां आप शिक्षक तैयार करने के लिये नार्मल स्कूल्स खोल रहे हैं वहां उनके साथ ही साथ सचल शिक्षा दल भी चलायें जिससे जल्दी जल्दी अध्यापक ट्रेंड हो सकें। इसके साथ ही साथ और एक बात कहनी है कि अन्तरिम जिला परिषदों के कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो इस्लामिया स्कूल और हिन्दू स्कूल के नाम पर चलते हैं मन जिला अन्तरिम परिषद् में इसका विरोध किया कि हिन्दू पाठशाला और इस्लामिया पाठशाला के नाम पर अब स्कूल न चलें। जब कि सब को शिक्षित करने का हमारा संकल्प है तब यह दूसरी बात है कि हम संस्कृत, अरबी या फारसी के तालीम की संस्थायें खोलें लेकिन यह इस्लामिया या ईसाई मजहब के नाम पर या किसी मजहब के नाम पर अब संस्थायें नहीं खुलनी चाहिये और न सरकार को इन नामों से कोई ग्रान्ट्स ही देना चाहिये। हमने सवाल उठाया तो कहा गया कि हम क्या करें सरकार इन्हीं नामों से ग्रान्ट्स देती है और स्कूल खुलते हैं। अतः इस बात का भी मंत्री जी विचार करें।

मैं कुछ अपने यहां की बात भी बताना चाहता हूं, हमारा बहुत बड़ा जिला है लेकिन जिले में कोई पालीटेक्निक स्कूल नहीं है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा है कि पालीटेक्निक स्कूल का कोई सम्बन्ध शिक्षा विभाग से नहीं है जब हमारे यहां जनता की तरफ से कई हायर सेकेन्डरी स्कूल भी चल रहे हैं और एक गवर्नमेंट का हायर सेकेण्डरी स्कूल भी चल रहा है। जब कई जनता के स्कूल हैं तो गवर्नमेंट के हायर सेकेण्डरी स्कूल की क्या जरूरत है? अगर उसको पालीटेक्निक स्कूल ही कर दिया जाय तो अच्छा है। इसकी बहुत जरूरत है, हमारे लड़कें इधर उधर जब पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें जगहें नहीं मिलती है। अगर गवर्नमेंट अपने हायर सेकेन्डरी स्कूल को पालीटेक्निक स्कूल में बदल दे तो बहुत लाभ हो सकता है। हमारे यहां एक नार्मल स्कूल था और अब एक और खुल गया है, इससे पुरुष शिक्षक तैयार होंगे लेकिन कन्याओं के शिक्षण के लिये भी एक नार्मल स्कूल की जरूरत है। २८ लाख की हमारी आबादी है, हमारा पिछड़ा जिला है उसके लिये नार्मल स्कूल बहुत ही आवश्यक है।

हमें अध्यापकों के बनाने पर अधिक जोर देना चाहिये। आज अध्यापकों की ट्रेनिंग ऐसी हो रही है जिससे वे बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। छोटे बच्चों की तालीम की बहुत ही आवश्यकता है, साढ़े ४ वर्ष के बच्चों की कक्षायें खोली जायं। जैसे विनोबा जी ने सुझाव दिया है, हर गांव में स्कूल खोले जायं, जब वहां घंटी बजे सब आ जायं और जब दूसरी घंटी बजे तो अपने घर वे चले जायं। इन स्कूलों में गांव का ही कोई पढ़ा लिखा आदमी उनको पढ़ाये। घर आ कर वह अपने मां-बाप के काम में हाथ बटायें। अगर स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसका हिसाब, छुट्टी काटकर जोड़ा जाय तो प्रति दिन २ घंटा आता है जिसमें पढ़ाई होती है और बाकी बाकी ही है। इस तरह से शिक्षा के प्रसार में जोर दिया जाय।

शिक्षा के लिये अगर इमारतों की जरूरत हो तो मेरा सुझाव है कि जिस तरह से जापान में जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो वहां पर मन्दिरों और पगोड़ों की इमारतें ले ली गई, उसी तरह से यहां भी आवश्यकता है कि इन धार्मिक इमारतों को शिक्षा संस्थाओं के काम में लाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने और जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमें अभी शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने होंगे। मैं समझता हूं कि इस से किसी को विरोध न होगा और आज आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आज प्लानिंग के युग में जब तक आमूल परिवर्तन शिक्षा में न होगा तब तक हमारे जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति न होगी और समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जल्द ही वह आमूल परिवर्तन किये जायं।

[श्री ऊदल]

इसके अतिरिक्त आज की जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि लड़कों की तादाद बढ़ी, स्कूलों की बढ़ी, मास्टरों की बढ़ी। मानता हूं कि बढ़ी। प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में तादाद बढ़ी, यह सत्य है। लेकिन उन स्कूलों की जो इमारतें पहले थीं वह गिर गयीं। लड़कों के बैठने की टाट और चौकी भी गड्ढे में चली गयी। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यापकों के बैठने का स्थान जो पहले था वह भी खत्म हो गया। जब हमें बच्चों के चरित्र को उठाना है तो कम से कम उनके बैठने की जो व्यवस्था है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उससे कुछ कटौती भी हो सकती है। मैंने देखा कि बेसिक शिक्षा के लिये काफी रुपया इस विभाग से दिया जाता है। जैसे वाराणसी में ४८–४९ हजार रुपया तीन साल से दिया जा रहा है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे ५–६ साल के न तकली चला सकते हैं, न सुतली बना सकते हैं। इस धन का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि इसको दर्जा ६, ७, ८ में दिया जाय तो ज्यादा कारगर होगा। मैं समझता हूं कि बेसिक शिक्षा के नाम पर पूरे सूबे में ४०–५० लाख तो जरूर खर्च होता होगा। इसकी कटौती करके बैठने की व्यवस्था की जा सकती है।

दूसरी बात मैं प्रौढ़ शिक्षा की कहना चाहता हूं। बहुत पहले हर गांव में प्रौढ़ शिक्षा दी जाती थी, मास्टर भी नियुक्त किये जाते थे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो पढ़े-लिखे लोग थे उनको बैठाते थे, उनकी हाजिरी भी लेते थे। लेकिन कुछ फायदा नहीं होता था। मेरा सुझाव है कि गांव सभा के अन्दर जो पढ़े-लिखे लोग हैं या प्रधान हैं उनको लालटेन, किताब, कुछ आर्थिक मदद आदि यदि विभाग दे सके तो इसको चलाया जा सकता है। बाकायदा विभाग की तरफ से हिदायत होनी चाहिए कि लोगों को इकट्ठा करके एक घंटा पढ़ाई होनी चाहिए। औरतों के बारे में भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है क्योंकि हर गांव में कुछ न कुछ पढ़ी-लिखी औरतें मिल जाएंगी।

लड़कियों की शिक्षा के बारे में जैसा कि मंत्री जी ने कहा, बहुत कम प्रगति हुई है। जहां स्कूल की आवश्यकता है वहां नहीं खोले गये हैं और जहां आवश्यकता नहीं है, वहां खुल रहे हैं। इसका एक सर्वे होना चाहिए कि सचमुच में कहां आवश्यकता है और जहां आवश्यकता हो वहां खोले जायं। जौनपुर की सरहद पर कठिरांव एक गांव है। उसके अगल बगल १० मील की एरिया में प्राइमरी कन्या पाठशाला नहीं है। बनारस में धौंकलगंज और अनेही में भी नहीं हैं। कहीं-कहीं २ मील के फासले पर मिडिल स्कूल हो गये हैं लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां १०–१० प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं लेकिन एक भी मिडिल स्कूल नहीं है। कुछ ऐसे लोगों का असर पहुंच जाता है जिस पर अधिकारी भी ध्यान दे देते हैं। इसलिये विभाग को इस तरह का सर्वे करना चाहिये कि जहां पाठशाला की आवश्यकता है वहां खुलना चाहिये।

जो प्राइमरी एजूकेशन है, श्रीमन्, उसमें जो जांच पड़ताल करने का तरीका है उसमें डिप्टी इंस्पेक्टर और एस० डी० आई० जो होते हैं वे बोर्ड में रहते हैं और उनका सम्बन्ध इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से है, एजूकेशन विभाग से सम्बन्धित है। नतीजा यह होता है कि काम चाहे अच्छा हो या बुरा हो उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरा सुझाव है कि म्यूनिसिपैलिटीज व कारपोरेशन के अन्दर शिक्षा सुपरिंटेंडेंट रखे जाते हैं इसी तरह से शिक्षा विभाग में ऐसी ही व्यवस्था की जाय और जो जिला अन्तरिम परिषद् है या जिला कौंसिलें बनने वाली हैं उनसे उनका सम्बन्ध हो ताकि उनकी देखरेख में अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो सके।

जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि किसान का लड़का पढ़ लेता है तो खेती के काम से घृणा करने लगता है। न बैल बांध सकता है और न चारा डाल सकता है। बाबूगिरी वाली धारणा उसमें पैदा हो जाती है। इसलिये शिक्षा में ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि इस तरह की उनको कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी जैसे रोजाना कुछ शारीरिक व्यायाम

तथा कृषि का काम उन्हें करना होगा ताकि प्लानिंग में वे रुचि ले सकें। हम चाहते हैं कि अन्न में हम आत्मनिर्भर हों और योजनायें हमारी अच्छी तरह से चल सकें। यदि हम इन बातों को चाहते हैं तो हमारी शिक्षा की पद्धति कुछ ऐसी होनी चाहिये जिससे सब योजनायें अच्छी तरह से चल सकें और हमारा जो लक्ष्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना जिसे यह सरकार मानती है तभी लक्ष्य पूरा होगा जब कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हम करें और उसी के मुताबिक हम अपने विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करें।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत शिक्षा के बजट का समर्थन करती हूं। गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। छात्र व छात्राओं की संख्या में शिक्षक शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। शिक्षा पर राजस्व का भाग व्यय होता ह। सन् १९४६ में २ करोड़ ८७ लाख रुपये का व्यय था वह १९५८-५९ में ३३ करोड़ हो गया। छात्र संख्या १९४६ में २० लाख थी वह १९५८-५९ में ४५० लाख हो गयी। १९४६ में शिक्षक संख्या १ लाख २० हजार थी वह १९५८-५९ में १ लाख ५६ हजार हो गयी। ४६ में शिक्षण संस्थायें २४,७९३ थीं वह १९५८-५९ में ४४,२१० हो गयी।

मान्यवर, हमने गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया है। जनतंत्र की सफलता के लिये दो बड़े गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता है। वे हैं सदाचार और विवेक। सदाचार और विवेक का विकास शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। श्रीमन्, यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि हमारी शिक्षा निर्दिष्ट सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन या माध्यम हो, अर्थात् हमारी शिक्षा हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, हमारी शिक्षा सर्वांगीण विकास करती हो, शिक्षा द्वारा हृदय, हाथ और मस्तिष्क का विकास होता हो। परतन्त्रता के काल में इसी शिक्षा पद्धति के विरुद्ध भी आन्दोलन किये गये थे। विश्व वंदनीय बापू ने उस समय कहा था कि यह शिक्षा-पद्धति विनाशकारी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की विवेचना की थी--तथा प्रचलित शिक्षा पद्धति में तीन महान् दोष बताये थे। पहला यह कि शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है, इसमें भारतीय संस्कृति के लिये कोई स्थान नहीं है। दूसरा यह कि यह शिक्षा एकांगी है, इसमें हृदय और हाथ के विकास के लिये कोई स्थान नहीं है, केवल मस्तिष्क का विकास करती है; तीसरा यह कि सच्ची शिक्षा विदेशी माध्यम से नहीं हो सकती। आज हम स्वतंत्र हैं। हम अपने विधि विधान के सर्वथा बनाने वाले हैं और सभी प्रकार की सभी पद्धतियों में हम आमूल क्रान्ति ला सकते हैं तो फिर हमें कौन सी बाधा है जिससे कि आज हम अपने राष्ट्रपिता के कथन को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, परतंत्रता की मूलाधर शिक्षा पद्धति को नहीं बदल रहे। आज बेकारी की समस्या, अनुशासनहीनता की समस्या और सभी प्रकार की समस्यायें हमारे सन्मुख हैं जो कि शिक्षा के द्वारा ही विशेषतया पूर्ण हल हो सकती ह, पर शिक्षा हो जीवनोपयोगी है।

मान्यवर, हम अपनी शिक्षा पद्धति को बापू की शिक्षा पद्धति की कसौटी पर कसते हैं तो हम उस पर पर्ण बिलकुल नहीं उतरते। हमको आज एक ही प्रश्न का उत्तर देना है कि इतने वर्षों में, इतना व्यय करने के पश्चात्, हमने तीनों दोषों को कहां तक दूर किया है, हमने हृदय व हाथ की शिक्षा की ट्रेनिंग में कितनी सफलता प्राप्त की है, अर्थात् कितनी अर्थकारी विद्या हम समाज को दे सके और कितना चरित्र विकास है। इसका उत्तर सभी के सन्मुख है। सन् १९३२ में कार्लटनबार ने बापू से पूछा कि जब आपका देश स्वतंत्र होगा तो आपकी शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। तो गांधी जी ने कहा था कि मेरे स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का सर्वप्रथम लक्ष्य होगा चरित्र निर्माण सत्य और अहिंसा, अभय, प्रेम, कर्मनिष्ठा आदि मानवीय गुणों का विकास और उन्होंने कहा था कि किसी महान् लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने को भुला देने की क्षमता का विकास। यह उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था। और यह कहा था कि साहित्य और साक्षरता तो इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साधनमात्र है। मान्यवर, उच्च शिक्षा के विषय में गांधी जी ने कहा था कि जब मेरा देश स्वतंत्र होगा तो मैं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कालेजेज में क्रान्ति करूंगा। मैं मेकैनिकल और इंजीनियरिंग कालेजेज का सम्बन्ध उद्योगों के साथ जोड़ने की चेष्टा करूंगा और उनका भार प्रदेश या देशीय सरकारें वहन न करें, वे ही

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

लोग करें। उनका मत था कि टाटा बिड़ला आदि सभी इंजीनियरिंग कालेज चलाएं इसी भांति अन्य मिल एसोशियेशन्स भी प्रदेशीय सरकार की देखरेख में शिक्षण शालायें चलायें। इस दिशा में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ ने एक अनुकरणीय कदम उठाया है। उन्होंने टाटा मरसरीज बेंज के शो रूप में प्रति वर्ष एक दर्जन विद्यार्थियों को आटामोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सन्मुख मेरा सुझाव है कि कानपुर के जितने सूती या केमिकल मिलें हैं वे भी इसी प्रकार की शिक्षण शालायें चलाएं और जितनी प्रदेश की शुगर फैक्टरियां हैं, वे भी इसी प्रकार अपने कालेजों द्वारा केमिस्ट आदि तैयार करें और प्रदेश के अन्य औद्योगिक केन्द्रों में इसी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं खोली जायं जिससे उद्योग और कृषि के साथ शिक्षा का सम्मिश्रण हो सके। मान्यवर, मेरा मत है कि राज्य का उत्तरदायित्व यूनिवर्सल निःशुल्क प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षा तक होना चाहिये। इसके अतिरिक्त पाठशालायें स्वावलम्बी हों और उनका प्रबंध गांव पंचायतें करें। ग्राम पंचायतों को जितनी भी सहायता हो सके, स्थानीय करों द्वारा दी जाय। मान्यवर, उन पाठशालाओं के विद्यार्थियों को खेती, लोहार, बुनकर आदि द्वारा शिक्षा प्राप्त कराने के लिये सहायता दी जाय अर्थात् उनके घर ही तत्स्थानीय छात्रों की उद्योगशाला या प्रयोगशालायें हों। उनके लिये सरकार आर्थिक सहायता दे विशेषकर बिजली इत्यादि की सहायता दे।

अन्त में मेरा सुझाव है कि सरकारी सेवा के लिये विभिन्न टेस्ट ही लिये जायं, टेस्टों में सफलता ही योग्यता मानी जाये नकि यह कि केवल ग्रेजुएट्स की डिग्रियां। इस बात की सिफारिश कांग्रेस की नियोजन उप समिति ने की है। मेरा सुझाव है कि प्रदेश की सभी समाजोपयोगी और जनोपयोगी शिक्षण संस्थायें सघन केन्द्र बनायी जायं। हरिजन, नारी, बाल, वृद्ध, विमुक्त जातें सूचना विभाग तथा उद्योग विभाग शिक्षा विभाग में विलीन किये जाये ताकि हृदय, मस्तिष्क और हाथ का सम्मिश्रण हो सके और हमारे समाज का पूर्णतया विकास हो सके। हमारे शिक्षा मंत्री को और सरकार को अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल कर और विफलता को उठाकर क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा; तभी बापू के स्वर्णिम स्वप्न साकार हो सकेंगे; तभी हमारे प्रदेश और देश में समाज संस्था, सृष्टि संस्था और शरीर संस्था की स्थापना हो सकेगी; तभी गीता का 'योग: कर्मसु कौशलम्' का उपदेश सार्थक होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२९ फरवरी, १९६०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

(१) कोड़िया
(२) रूपईडीह
(३) थानेपुर
(४) बालपुर
(५) गोरवाखुर्द
(६) परसपुर
(७) रगड़गंज
(८) उमरी बेगमगंज
(९) वजीरगंज
(१०) नवाबगंज
(११) बनगांव
(१२) खुरहसा
(१३) मोतीगंज
(१४) असरफपुर
(१५) मसकिनवां
(१६) बभनान
(१७) अल्लीपुर
(१८) सादुल्लानगर
(१९) रेहरा
(२०) इंटईरामपुर
(२१) महदेइया
(२२) कूपादेवर
(२३) इंटियाथोक
(२४) रेतवागाड़ा
(२५) खगई जोत
(२६) सहेट महेट
(२७) मथुरा बाजार
(२८) शिवपुरा २
(२९) बव्वापुर
(३०) तुलसीपुर
(३१) गैसड़ी
(३२) पचपेड़वा
(३३) पिपरा
(३४) रामापुर
(३५) बेरिया बिशुनपुर
(३६) बनकटी

अप्रकाशित

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

प्रदेश की निम्नांकित गन्ना यूनियनों का वर्ष १९५८-५९ का चुनाव नहीं हुआ।

१—मेरठ	..	मलियाना
२—बुलन्दशहर	..	..
३—बिजनौर	..	धामपुर, सिवहारा
४—मुरादाबाद	..	विलारी, मुरादबाद, अमरोहा
५—रामपुर	..	मिलक
६—हल्द्वानी	..	हल्द्वानी
७—बरेली	..	भोजीपुरा
८—बदायूं	..	न्योली
९—शाहजहांपुर	..	रोजा, शाहजहांपुर
१०—पीलीभीत	..	पीलीभीत, बिसलपुर, पूरनपुर
११—सीतापुर	..	हरगांव, बिसवां
१२—हरदोई	..	के० डी० हरदोई, डी०जी०सी० हरदोई
१३—बाराबंकी	..	बड़ागांव, बाराबंकी, दरियाबाद, जुगोर, ऐशबाग।
१४—फैजाबाद	..	फैजाबाद, मसोधा, शाहगंज, मेहरावां, चन्दौली।
१५—बस्ती	..	खलीलाबाद, मुडेरवां, बस्ती, गोविंदनगर, टिनिच, गोड़, बभनान।
१६—देवरिया	..	देवरिया, प्रतापपुर, भटनी, कसियाभटपार, लार, हाटा, वेल्थरा रोड।
१७—पडरौना	..	छितौनी, बोदरवार लक्ष्मीगंज, रामकौला, (पी) दुधई, सिवराही, तरैयासुजान, पडरौना।
१८—गोरखपुर	..	पिपराइच, धुगली, सिसवां, आनन्दनगर, कम्पियरगंज, सरदारनरगर, कूड़ाघाट
१९—गोंडा	..	तुलसीपुर, बलरामपुर, मनकापुर, नवाबगंज गोंडा, जरवल रोड।

नत्थी 'ग'

(देखिये तरांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९३ पर)

उत्तर प्रदेश में उन्नत बीजों के उत्पादन संग्रह (Storage) तथा वितरण सम्बन्धी योजना की संक्षिप्त रूपरेखा

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन के कार्यक्रम में उन्नतिशील बीज का महत्वपूर्ण स्थान है । इस प्रदेश में १९६०–६१ के अन्त तक अतिरिक्त वार्षिक खाद्य उत्पादन का लक्ष्य २४ लाख टन है । इस लक्ष्य का पांचवां भाग अर्थात् ५.३ लाख टन उन्नतिशील बीज के द्वारा पूरा करना है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये, भारत सरकार की स्वीकृति से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उन्नतिशील बीज के उत्पादन, संग्रह तथा वितरण की एक योजना ३०९ लाख रुपये की लागत से चलाने का निर्णय किया गया है । प्रदेश की विभिन्न फसलों के लिये प्रति वर्ष लगभग ३२० लाख मन बीज की आवश्यकता पड़ती है । इस आवश्यकता का केवल २० प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख मन बीज भंडारोंसे बीजकी शुद्धता की सुरक्षा तथा पुनर्नवीकरण (Renovation) के लिये वितरित करने का विचार है । शेष क्षेत्रफल की आवश्यकता की पूर्ति किसानों द्वारा उत्पादित उन्नतिशील बीज से की जायगी । भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडमें कम से कम एक उन्नतिशील बीज भंडार होना चाहिये । प्रदेश भर में १९६०–६१ के अन्त तक ८७६ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के खुलने की योजना थी । इस प्रकार ८७६ विभागीय उन्नतिशील बीज भंडार होंगे जो कि २१.९ लाख मन बीज प्रति वर्ष वितरित करेंगे । शेष ४२.१ लाख मन बीच सहकारी बीज भंडारों द्वारा वितरित किया जायगा ।

२—बीज वृद्धि का कार्यक्रम तीन अवस्थाओं में विभक्त है जैसे—(१) कृषि विभाग के अनुसंधान फार्मों पर शुद्ध बीज का उद्घाटन, (२) इन बीजों की विभागीय फार्मों पर मूल स्टाक के रूप में वृद्धि करना, (३) इस मूल स्टाक की पंजीयित किसानों के फार्मों पर और अधिक वृद्धि जहां तक सम्भव होगा । प्रत्येक बीज भंडार के आस-पास एक प्रगाढ़ क्षेत्र होगा जिसमें २५ एकड़ का बीज वृद्धि फार्म होगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४४९ वर्तमान फार्म यूनिट को बीज उत्पादन बनाने तथा ४२७ नये फार्म यूनिट खोलने का लक्ष्य था ।

३—इस योजना के निर्धारित लक्ष्य तथा पूर्ति के आंकड़े नीचे दिये हुए हैं :

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का लक्ष्य		१९५८–५९ तक की सफलता	लक्ष्य १९५९–६०	लक्ष्य १९६०–६१	१९६०–६१ तक प्रत्याशित सफलता
१—नये बीज फार्म यूनिटों की संख्या	.. ४२७	२२८	१००	९९	४२७
२—बीज फार्म यूनिटों के रूप में विकसित वर्तमान फार्मों की संख्या	.. ४४९	४४९	..	..	४४९
३—खोले गये कृषि बीज भंडारों की संख्या (२३६ पहले से खुले हुए हैं)	.. ८७६	८३७	३९	..	८७६ (२३६ पहले से) खुले हुए हैं ।
४—वितरित उन्नत बीजों की मात्रा लाख मनों में	६४.००	४०.५०	५५.१०	६४.०	६४·०

४—इसके अतिरिक्त १,७५२ सहकारी बीज भंडार होंगे जिनके द्वारा किसानों को बीज वितरित किया जायगा । इनमें से द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शुरू में १,०४० सहकारी बीज भंडार स्थापित थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ७१२ सहकारी बीज भंडारों के खुलने की आशा है । ध्येय यह है कि बीज वितरण के लिये प्रत्येक विकास खंड में एक उन्नत कृषि भंडार तथा दो सहकारी बीज भंडार हों ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

सन् १९५९–६० में खोले गये बीज भंडारों की सूची

नाम जिला	नाम स्थान जहां बीज भंडार खोले गये
१--लखनऊ	१--कुशालगंज
	२--गंगागंज
२--उन्नाव	३--हैदराबाद
	४--बारा
	५--मगरवारा
	६--सीमऊ
३--लखीमपुर खीरी	७--अजीबगंज
४--सीतापुर	८--कैसरीगंज
	९--पालगांव
	१०--रघवांपुर
	११--मादवारा
५--बलिया	१२--रतनपुर
	१३--चिलकहार
६--हरदोई	१४--कुरसत
७--मिर्जापुर	१५--गरौली
८--फैजाबाद	१६--बीकापुर
	१७--गंगौली
९--गोंडा	१८--पछपिरवा
	१९--उत्तरी सुहलपुर
	२०--लिवना
	२१--परसोत्तमपुर
	२२--रामपुर
१०--बहराइच	२३--गंगवाल
	२४--मातीपुर
११--फर्रुखाबाद	२५--चंदुइया
	२६--मतौली
	२७--किसरौली
१२--हमीरपुर	२८--बहादुरपुर
	२९--हमीरपुर
	३०--पछखुरा
१३--आगरा	३१--अकोला
	३२--संतपुर

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२९७ एल० ए०—१९६०—५४५ ।